सत्यमेव जयते

सोमवार,
२३ नवंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation 13.3.12

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

सोमवार, २३ नवम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

*१९३. **श्री एस० एन० दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संघ तथा राज्य सरकारों के वाणिज्यिक तथा अर्ध-वाणिज्यिक कामों के सम्बन्ध में प्रभावी लेखापरीक्षा की व्यवस्था के विचार से विभिन्न लेखापरीक्षा कार्यालयों में एक पृथक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा विभाग की स्थापना का काम पूरा हो चुका है ; तथा

(ख) विभाग की इस शाखा में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) नहीं, श्रीमान्, बड़े बड़े कार्यालयों में जहां सम्बन्धित सरकार का औद्योगिक तथा वाणिज्यिक काम इस प्रकार का है तथा इतना है कि एक पृथक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा विभाग की आवश्यकता है, वहां इस दिशा में प्रगति हो रही है ।

(ख) चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों के अतिरिक्त, इस समय यह सक्रिय संख्या ४२७ है ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में भर्ती किये गये कर्मचारियों के लिये किन्ही विशेष योग्यताओं की आवश्यकता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, इसके लिये वाणिज्यिक लेखापरीक्षा में विशेष अनुभव की आवश्यकता है ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या उनके प्रशिक्षण के लिये कोई प्रबन्ध किये गये हैं अथवा कि वे काम करके ही अनुभव प्राप्त करते हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये । मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता है ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि संघ सरकार के सरकारी रूप से किये जाने वाले कामों की संख्या कितनी है तथा उनका कितनी धन-राशि से वास्ता पड़ता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

सरकारी स्वामित्व के निगम

*१९४. **श्री हेडा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले उन निगमों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक कुछ धन नहीं कमाया है ;

(ख) इन निगमों में कितनी पूंजी लगी है ;

(ग) इस स्थिति के सामान्य कारण क्या हैं ; तथा

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या उपाय सोच रही है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (घ) तक। सूचना एकत्र की जारही है तथा उचित समय पर उसे सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

कोलम्बो योजना

*१९५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत विदेशों के कितने विद्यार्थियों को भारतीय संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधायें दी हैं ; तथा

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत विदेशों के लिये कितने भारतीय विशेषज्ञों की व्यवस्था की गई है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) २०० ।

(ख) ६ ।

डा० राम सुभग सिंह : लड़कों को शिक्षा देने और यहां से कुछ एक्सपर्ट्स को बाहर भेजने के अलावा क्या भारत सरकार कोलम्बो प्लान के सिलसिले में कोई और भी टेक्निकल मदद देती है ?

श्री बी० आर० भगत : कोलम्बो प्लान की स्कीम में टैक्निकल और इकनामिक दोनों तरह की असिस्टेंस दी जाती है। टैक्निकल असिस्टेंस की यह मदद मिल रही है और इसके साथ साथ इकनामिक असिस्टेंस भी भारत सरकार ने दी है ।

डा० राम सुभग सिंह : यह जो लोग बाहर से हमारे देश में आते हैं उनको कहां शिक्षा दी जाती है और गवर्नमेंट उनका कुल खर्चा बेअर करती है या कुछ ?

श्री बी० आर० भगत : उनको देश में विभिन्न जगहों में विभिन्न इन्स्टीट्यूशन्स में शिक्षा दी जा रही है । इसकी बड़ी लम्बी लिस्ट है । अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनके नाम दे सकता हूं ।

श्री अलगू राय शास्त्री : कुछ के नाम बताइये ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री मनिस्वामी : श्रीमान्, विदेशों के ये विद्यार्थी किन किन विषयों में प्रशिक्षा पा रहे हैं ?

श्री बी० आर० भगत : विस्तार से कहते हुए ये विषय सिंचाई कोया–पालन, लोह तथा इस्पात, रासायनिक वस्तुएं, वैज्ञानिक पर्यालोकन तथा बैंकिंग हैं ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं उन देशों के नाम जान सकता हूं जिनसे ये विद्यार्थी आये हैं ?

श्री बी० आर० भगत : ये विद्यार्थी सभी दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व ऐशिया के देशों से अर्थात् श्री लंका, बर्मा, इन्डोनेशिया आदि देशों से आये हैं ।

भारतीय रुपये की विनिमय दर

*१९६. **डा० राम सुभग सिंह** : **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नैपाली मुद्रा से भारतीय रुपये की चालू विनिमय दर क्या है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : यह दर समय समय पर बदलती रहती है तथा इस समय यह है : १०० रुपये (भारतीय) –१६२।१।२ रुपये (नैपाली) ।

डा० राम सुभग सिंह: क्या यह सही है कि यहां से जो आदमी नैपाल जाते हैं उनसे उतना ही रुपया लिया जाता है जितना कि नैपाली रुपये का मूल्य होता है यानी एक रुपये के बदले भारतीय एक रुपया ?

श्री बी० आर० भगत: यह बात सही नहीं है। मैं माननीय सदस्य का सवाल समझ नहीं सका। रुपया सरकार तो लेती नहीं है। वहां के मारकेट में जो आम तौर से सप्लाई और डिमान्ड होता है उसी के हिसाब से देना पड़ता है। सरकार तो लेती नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह: यदि सरकार की कोई विनिमय दर नहीं है तो भारत से नैपाल जाने वाले व्यक्ति किस प्रकार से अपना कारबार चलाते हैं, क्या उन्हें नैपाली मुद्रा में अधिक धन देना पड़ता है ?

श्री बी० आर० भगत : भारत तथा नैपाल में कोई विनिमय दर नहीं है। भारतीय रुपये का नैपाल में निर्बाध लेनदेन हो रहा है तथा विशेषतः तराई में। इसके अतिरिक्त नैपाल में अधिकतर आयात भारत से होता है तथा नैपाल की लगभग सारी पूंजी भारत में ही लगी है, अतः भारतीय रुपये की दर अधिक है। इसीलिये भारतीय रुपये की विनिमय दर अधिक है। सरकार द्वारा विनिमय दर को निश्चित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नैपाल राज्य भारत के बीच कोई विनिमय दर नहीं है।

श्री हेडा : मैं जान सकता हूं कि सरकार इस प्रकार की किसी विनिमय दर को निश्चित करने का यत्न क्यों नहीं कर रही है ?

श्री बी० आर० भगत : यह प्रश्न भारत सरकार से सम्बद्ध नहीं है ; विनिमय दर के निश्चित करने का प्रश्न नैपाल सरकार से सम्बन्ध रखता है।

अन्धे विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां

*२००. **श्री एस० एन० दास :** (क) **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में अन्धे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के हेतु छात्रवृत्तियां देने के लिये अब तक कितने ऐसे प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनकी सिफारिश विभिन्न राज्य सरकारों ने की है और प्रत्येक राज्य के पृथक पृथक आंकड़े क्या हैं ?

(ख) १९५३-५४ में कुल कितनी छात्र वृत्तियां दी जायेंगी ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०**]

(ख) २३ से अधिक नहीं।

श्री एस० एन० दास: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या ये छात्रवृत्तियां स्थाई आधार पर दी जायेंगी या ये किसी तदर्थ प्रबन्ध के अधीन दी जाती हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : इस समय तो तदर्थ प्रबन्ध के अधीन दी जा रही हैं।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि कितनी राशि दी जायेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : चालू वर्ष में आयव्ययक में १४००० रुपये की व्यवस्था की गई है।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद): क्या आनरेबल मेम्बर का मतलब यह है कि स्कालरशिप कितने रुपये का होता है ?

श्री एस० एन० दास : मैं कुल राशि तथा प्रत्येक छात्रवृत्ति की राशि जानना चाहता हूं ?

श्री के० डी० मालवीय : योजना के अनुसार एक विद्यार्थी को अधिक से अधिक १०० रुपये की राशि दी जाती है किन्तु वास्तविक राशि का निर्णय प्रत्येक मामले में माता पिता की वित्तीय स्थिति को देख कर किया जाता है । इस वर्ष आयव्ययक में कुल १४००० रुपये की व्यवस्था है, गत वर्ष ६००० रुपये की थी ।

श्री एस० एन० दास : इस आरोप से बचने के लिये कि सरकार अन्धों के हितों की उपेक्षा कर रही है, क्या उनकी दशा सुधारने के लिये कोई पग उठाये जा रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : अन्धे विद्यार्थियों को पढ़ाई में प्रोत्साहन देने और अन्य तरीकों से उनकी सहायता करने के लिये सरकार हर संभव पग उठा रही है। इसीलिये हर वर्ष राशि बढ़ा दी जाती है । किन्तु राज्य सरकारों के सहयोग और इच्छा पर भी बहुत कुछ निर्भर है । इस बात के बावजूद कि हम ने प्रत्येक राज्य से प्रार्थना पत्र भेजने के लिये कहा है, अब तक केवल ६ राज्यों ने सहयोग दिया है और लगभग ११ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या छात्रवृत्तियां देने के समय अन्धेपन के अतिरिक्त अन्य किन्हीं बातों को भी ध्यान में रखा जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : ये छात्रवृत्तियां संरक्षक की वित्तीय हालत को देखकर दी जाती हैं ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या यह १०० रुपये की राशि प्रति मास है या सारे वर्ष के लिये है या जीवन में एक बार दी जाती है ?

मौलाना आजाद : नहीं, यह रकम तो सालाना है ।

लंदन में संघ लोक सेवा आयोग केन्द्र

*२०१. **श्री डी० सी० शर्मा :** (क) **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने लंदन में भी एक संघ लोक सेवा आयोग केन्द्र खोला है ?

(ख) क्या पदाधिकारी और कर्मचारी यहां से भेजे जायेंगे या भारतीय दूतावास के कर्मचारीवृन्द में से भर्ती किये जायेंगे ?

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इस पर कितना रुपया खर्च किया गया है ?

(घ) क्या सरकार का अन्य स्थानों पर भी जहां कि बहुत से भारतीय काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, केन्द्र खोलने का विचार है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) आई० ए० एस० तथा अन्य संबन्धित सेवाओं में भर्ती के हेतु १९५३ की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिये संघ लोक सेवा आयोग ने लंदन में एक केन्द्र खोला था ।

(ख) केन्द्र का प्रबन्ध लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयोग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने किया था। भारत से कोई पदाधिकारी या कर्मचारी नहीं भेजा गया था और न ही इस प्रयोजन के लिये भारतीय उच्च आयोग को नई भर्ती करने की आवश्यकता थी।

(ग) कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया था ।

(घ) वाशिंगटन में इस प्रकार का एक केन्द्र खोलने का सुझाव संघ लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या भविष्य में भी सरकार का इस परीक्षा को जारी रखने का विचार है ?

श्री दातार : यह विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर है । यदि यह संख्या अधिक हुई तो संभव है कि उन देशों में विद्यार्थियों के हित में हम वह केन्द्र जारी रखें ।

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, क्या यह सत्य नहीं है कि मौखिकी के लिये भिन्न भिन्न परीक्षक होने के कारण, इन परीक्षाओं के दो भिन्न स्तर होंगे ?

श्री दातार : : सब विद्यार्थियों के लिये एक ही स्तर होगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैंने मौखिकी की ओर निर्देश किया था । अतः मैं समझता हूं भारत और इंगलैंड में भिन्न २ स्तर हैं।

श्री दातार : इस वर्ष संख्या बहुत कम थी। किन्तु जब ये प्रश्न उठेंगे तो विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रख कर इन पर विचार किया जायेगा।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या अन्य देशों में, उदाहरणतया पूर्वी अफ्रीका में, जहां बहुत से भारतीय रहते हैं, सरकार का ऐसे केन्द्र खोलने का विचार है ?

श्री दातार : यह एक सामान्य प्रश्न है । यह उपलब्ध होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करता है । सरकार इस मामले में अपनी राय बदल सकती है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या इन केन्द्रों में गैर भारतीय विद्यार्थियों को भी इन परीक्षाओं में बैठने दिया जाता है ?

श्री दातार : जी नहीं। विदेशों में केवल भारतीय विद्यार्थियों को बैठने दिया जाता है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या इस के बाद सरकार का सारी भर्ती इंगलैंड में करने का विचार है या कोई अनुपात निर्धारित किया जायेगा ?

श्री एन० एम० लिंगम् : मैं जान सकता हूं कि लंदन केंद्र में कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए थे ?

श्री दातार : हमें १०० की आशा थी, किन्तु इस वर्ष केवल आठ विद्यार्थी थे ।

औद्योगिक वित्त निगम

*२०२. **श्री गिडवानी** : (क) **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत के औद्योगिक वित्त निगम के कार्य के बारे में सरकार ने श्रीमती सुचेता कृपलानी की अध्यक्षता में जो समिति नियुक्त की थी, उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

(ख) क्या रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है ?

(ग) यदि नहीं, तो इस के कारण क्या हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) से (ग) तक। सरकार सक्रिय रूप से रिपोर्ट की जांच कर रही है और जांच समाप्त होते ही इसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा । यह अभी प्रकाशित नहीं हुई।

श्री गिडवानी : यह रिपोर्ट समिति ने कब प्रस्तुत की थी ?

श्री ए० सी० गुहा : इस वर्ष ७ मई को।

श्री गिडवानी : क्या वास्तव में इसे छापा गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई ; किन्तु संभव है कि यह छप चुकी हो।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस समिति के मुख्य निर्णय क्या हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे लिए यह बतलाना समय से बहुत पहले कहने की बात होगी क्योंकि मेरे विचार में इसे बहुत शीघ्र सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

डा० लंका सुन्दरम : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समिति को औद्योगिक वित्त निगम के बारे में सदन में की गई कड़ी आलोचना के फलस्वरूप नियुक्त किया गया था, क्या सरकार का इस रिपोर्ट पर चर्चा करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार का इस की चर्चा के लिये कुछ समय देने का विचार है ?

श्री ए० सी० गुहा : रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जायेगी। आशा है कि इस के साथ ही हम इसकी सिफारिशों के बारे में सरकार के निर्णय भी देंगे। मैं नहीं कह सकता कि यह सदन इस रिपोर्ट पर चर्चा कर सकेगा या नहीं।

वैस्टमिनिस्टर बैंक

***२०४. श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **राज्य** मंत्री १६ सितम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३२३ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि :

(क) क्या यह ज्ञात किया गया है कि वैस्टमिनिस्टर बैंक में जो धन है, वह चलित अवस्था में है या इसे निश्चलित कर दिया गया है ;

(ख) क्या इस धन में से पाकिस्तान उच्चायुक्त द्वारा कोई राशि निकाली गई थी, क्योंकि यह धन श्री मोइन नवाज जंग ने उन के नाम हस्तांतरित कर दिया था ;

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी राशि निकाली गई है ; तथा

(घ) अब यह मामला किस अवस्था पर है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग) तक। जब से मोइन नवाज जंग ने धन पाकिस्तान उच्चायुक्त के नाम कर दिया है इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती कि इस में से पाकिस्तान उच्चायुक्त ने कोई राशि निकाली है या नहीं। वैस्टमिन्स्टर बैंक के विरुद्ध धन को निश्चलित करने के लिये किसी न्यायालय ने कोई आदेश या आज्ञप्ति जारी नहीं की।

(घ) मामला अभी विचाराधीन है।

श्री० टी० बी० विट्ठल राव : १८ सितम्बर को बैंक में कितना रुपया था और अब कितना है ?

डा० काटजू : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

पाकिस्तानी प्रतिभूतियां

***२०५. श्री ए० एन० विद्यालंकार** : (क) क्या **वित्त** मंत्री ४ सितम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०२७ तथा १०२८ के उत्तरों का निर्देश करते हुए बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सरकार ने पाकिस्तानी प्रतिभूतियों पर २७ फरवरी १९५३ से ब्याज देना बन्द कर दिया है एवं तदनुसार उसके बाद कोई भुगतान न करने की आज्ञा अपने राजकोषों को दे दी है ?

(ख) यह प्रतिबन्ध कब लगा ?

(ग) इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिये नये आदेश कब दिये गये ?

(घ) क्या यह तथ्य है कि २७ फरवरी १९५१ के बाद से १,१९,९६,९०० की प्रतिभूतियों पर जिनका निर्देश उपरोक्त उत्तरों में किया गया है, इस प्रतिबन्ध के कारण कोई ब्याज नहीं लिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (ग) तक। पाकिस्तानी प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान करने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। किन्तु २७ फरवरी १९५१ से पाकिस्तानी रुपया भारत के कितने रुपये के बराबर माना जाय इस बात का स्पष्टीकरण होने तक ब्याज

का भुगतान किस दर से किया जाये इस हेतु दिल्ली तथा कलकत्ता के सार्वजनिक ऋण कार्यालयों ने अप्रैल १९५१ से सितम्बर १९५१ तक ब्याज का भुगतान करना रोक लिया था। इन दोनों स्थानों पर भुगतान का कार्य ४ अक्तूबर १९५१ से प्रारम्भ हो गया है।

(घ) नहीं श्रीमान्!

भारतीय प्रतिभूतियां

*२०६. **श्री ए० एन० विद्यालंकार:** क्या **वित्त** मंत्री ४ सितम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०२७ तथा १०२८ के उत्तर का निर्देश करते हुए बताने की कृपा करेंगे :

(क) २७ फरवरी १९५१ के बाद भारत में आयात की गई भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर पाकिस्तानी राजकोषों के चिन्हों को भारतीय राजकोषों के चिन्हों में परिवर्तित करते समय, इस बात का निश्चय रूप से पता लगाने के लिए कि भारत में आयात की गई प्रतिभूतियों पर पाकिस्तान में किस प्रकार का विचार किया गया था, कोई जांच अथवा छान बीन की गई थी ?

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या भारतीय राजकोषों से पाकिस्तानी राजकोषों में जाने वाले धन पर दिये जाने वाले ब्याज को हटाने की सूचना सरकार को मिलने के समय कोई जांच अथवा छानबीन इस बात की निश्चित रूप से पता लगाने के लिये कि किस प्रकार प्रतिभूतियां पाकिस्तान को निर्यात की गई हैं और भारत को किस प्रकार उन का मूल्य मिला है ; और

(घ) यदि नहीं तो उसके कारण ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) हां श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस प्रकार की जांच पड़ताल जहां तक सम्भव है वहां तक रिज़र्व बैंक करता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सैन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट

*२०७. **श्री मुत्तिस्वामी:** (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि राजस्थान पिलानी में एक सैन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट प्रारम्भ होने वाली है ?

(ख) यदि हां, तो इस संस्था के भवनों तथा साधनों पर कुल मूल पूंजी व्यय कितना होगा ?

(ग) उस संस्था में किस प्रकार का अनुसंधान होगा ?

(घ) इस संस्था में कितने विशेषज्ञ कार्य करेंगे, और स्वदेशी सामग्री इस के कुछ तत्वों के बताने में कहां तक सहायता करेगी ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) हां, श्रीमान्।

(ख) २५ लाख रुपया।

(ग) तथा (घ)। वांछित जानकारी से पूर्ण विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११]**

श्री मुत्तिस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस संस्था में कोई नये प्रकार का अनुसंधान, जो हमारे देश में इस प्रकार की अन्य संस्थाओं में नहीं हुआ, किया जायगा ?

श्री के० डी० मालवीय : कलकत्ता इन्स्टीट्यूट आफ इलैक्ट्रोनिक्स, नेशनल फिज़ीकल लेबोरेटरी तथा टाटा इन्स्टीट्यूट आफ फन्डामेन्टल रिसर्च में रेडियो इलैक्ट्रोनिक्स के बारे में अब तक कुछ अनुसंधान हुआ है। किन्तु इस संस्था में इलैक्ट्रोनिक्स तथा रेडियो का सम्पूर्ण क्षेत्र लेने का विचार है।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या इस संस्था के लिये विदेशों से कोई विशषज्ञ आमंत्रित किये गये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक मैं जानता हूं अभी तक तो नहीं किये गये।

श्री नानादास : इस संस्था में कितने विद्यार्थियों द्वारा अनुसंधान करने की संभावना है ?

श्री के० डी० मालवीय : कार्य की प्रारम्भिक अवस्था में ६० प्राविधिक कर्मचारियों को लेने का विचार है।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस संस्था को क्या केन्द्र द्वारा कोई आर्थिक सहायता दी गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह पूर्ण रूप से केन्द्र की संस्था होगी।

श्री मेघनाद साहा : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ समय तक रेडियो इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग सरकार के विचाराधीन नहीं था ?

श्री के० डी० मालवीय : नहीं श्रीमान्, अभी अभी इलैक्ट्रोनिक्स संस्था की चर्चा की गई है। मुझे किसी इलैक्ट्रोनिक उद्योगी संस्थाओं के बारे में कोई ज्ञान नहीं है : हो सकता है कि यह उत्पादन मंत्रालय के सामने हो।

श्री मेघनाद शाहा : मैं जान सकता हूं क्या यह तथ्य नहीं है कि चार वर्ष पूर्व एक समिति थी, जिसका मैं सदस्य था, जिसने सिफारिश की थी कि देश में एक रेडियो इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग होना चाहिये और वह प्रतिवेदन चार वर्षों से सरकार के सामने है ?

श्री के० डी० मालवीय : यदि प्रतिवेदन भेजा . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : उन्हें निष्कर्ष की अपेक्षा तथ्य कहने दीजिये।

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक रेडियो इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग का सम्बन्ध है मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है।

श्री मेघनाद साहा : मैं जान सकता हूं, कि क्या इस संस्था को रेडियो इलैक्ट्रोनिक संस्थानों से सम्बन्धित करने के विचार को सरकार ने उचित समझा है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस संस्था को पिलानी में रखने की अपेक्षा इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग से सम्बद्ध करना उचित समझती है ?— मैं समझता हूं प्रश्न का संभवतः यही उद्देश्य है।

श्री के० डी० मालवीय : यह तो स्वतन्त्र रूप से इलेक्ट्रोनिक रेडियो अनुसंधान संस्था है जिसकी स्थापना पिलानी में की गई है। अभी तो किसी रेडियो इलेक्ट्रोनिक उद्योग से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि मूल लागत पूंजी व्यय जो कि बताया गया है क्या उसमें निजी अंशदान भी सम्मिलित है ?

श्री के० डी० मालवीय : यहां बताये हुए धन में अर्थात् २५ लाख रुपये में कोई निजी अंशदान नहीं है। किन्तु इस के अतिरिक्त इस अनुसन्धान संस्था के लिए अंशदान इकट्ठे किये गये हैं ?

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात का विश्वास है कि भारत के वैज्ञानिकों की सहायता से वह अनुसन्धान का कार्य चला सकती है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां । हमें विश्वास है कि प्रारम्भिक अवस्था में हम काम चला सकते हैं ।

रेल के सवारी के डिब्बे

*२०८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी में निर्मित सवारी के डिब्बों के मूल्य निश्चित करने के सम्बन्ध में लागत लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जो ६ महीने से अधिक हुए तब रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया था क्या उसकी जांच पूरी हो गई है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि यह देरी कारखाने की पूर्ण क्षमता का उपयोग उठाने में रुकावट डाल रही है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां ।

(ख) यह नहीं उठता । किन्तु फिर भी मैं यह बता देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० को रेलों के डिब्बे बनाने के हिसाब में उनको पैसा मिलता रहा है । इन डिब्बों के लिये अन्तिम मूल्य निश्चित करने के प्रश्न ने किसी भी प्रकार से रेल के डिब्बे बनाने के लिये कारखाने की पूरी क्षमता का प्रयोग करने में कोई रुकावट नहीं डाली है । दूसरी ओर नीचे के ढांचे जो कि अब तक कम संख्या में आ रहे थे, उन के लिये यह स्पष्ट रूप से आश्रित थी ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कारखाने में बने हुए प्रत्येक डिब्बे का मूल्य कितना निश्चित किया गया है ?

श्री त्यागी : प्रत्येक डिब्बे के लिये कारखाने ने १०५,००० रुपया मांगा है । रेलों ने कारखाने द्वारा मांगे गये रुपये में से ४,५०० रुपया कम देना स्वीकार कर लिया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० द्वारा बनाये गये डिब्बों का मूल्य स्विस डिब्बों की अपेक्षा ५० प्रतिशत कम है तो क्या सरकार इस कारखाने की क्षमता बढ़ाने का विचार रखती है ?

श्री त्यागी : तुलनात्मक मूल्यों की दरों के बारे में जिनका उल्लेख अभी माननीय सदस्य ने किया है मैं कुछ नहीं जानता । अतएव इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा । जहां तक इसकी अतिरिक्त क्षमता का प्रश्न है इस कारखाने में डिब्बे बनाने की क्षमता में बढ़ोतरी करने का विचार अभी कोई नहीं है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : प्रत्येक महीने वहां कितने डिब्बे बनाये जाते हैं और कारखाने की क्षमता कितनी है ?

श्री त्यागी : उसकी क्षमता १५-२० डिब्बे प्रत्येक महीने की है । वे अब तक औसतन रूप में १२ डिब्बे प्रत्येक महीने बना रहे हैं ।

श्री मेघनाद साहा : क्या योजना आयोग के औद्योगिक कार्यक्रम के प्रतिवेदन की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया है जिस में कहा है कि कारखाने के कार्य में इस्पात की कमी के कारण अड़चन पड़ती है ।

श्री त्यागी : केवल डिब्बे बनाने वाले भाग से सम्बन्धित सूचना मेरे पास आ गई है । जहां तक इस भाग का सम्बन्ध है नीचे के ढांचों के संभरण में कमी ही कठिनाई का कारण रही है । अन्यथा कारखाना समुचित रूप से ही कार्य कर रहा था ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : अब हमें अगला प्रश्न लेना चाहिये ; इसपर काफी चर्चा हो गई है ।

श्री के० सी० सोधिया : सरकार क्या ....

अध्यक्ष महोदय : मैं ने अगले प्रश्न की सूचना देदी है ।

सम्पदा शुल्क

***२१०. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अधिकारियों को सम्पदा शुल्क विधि का ज्ञान कराने के लिये कोई प्रशिक्षण कक्षा आरम्भ की गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : हां, श्रीमान् ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि कितने अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और प्रशिक्षार्थियों के लिये निम्नतम विहित अर्हता क्या है ?

श्री एम० सी० शाह : पन्द्रह निरीक्षण-कर्त्ता सहायक आयुक्त, तथा ३१ आयकर अधिकारी : कुल मिला कर ४६ अधिकारी ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या कुछ अधिकारीगण मृत्यु शुल्कों के संचालन का अध्ययन करने के लिये बृटेन भेजे गये हैं ?

श्री एम० सी० शाह : वे भेजे नहीं गये हैं । इन अधिकारियों को बृटेन के सम्पदा शुल्क प्रशासन का अध्ययन करने के लिये वहां भेजने का प्रस्ताव सामने है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या यह प्रशिक्षण केवल सरकारी अधिकारियों को ही दिया जा रहा है अथवा गैर-सरकारी अधिकृत गणक (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) भी इस केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री एम० सी० शाह : केन्द्रीय राजस्व मण्डल के अधिकारी तथा विधि मंत्रालय का एक अधिकारी ; हमने दो ऐसे सालीसिटरों की सेवायें प्राप्त करली हैं जिन्होंने वहां पर सम्पदा शुल्क का अध्ययन किया है । बारह अधिकृत गणक यह प्रशिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या यह तथ्य है कि आयकर अधिकारियों को सम्पदा शुल्क सम्बन्धी कार्य करने के लिये मांगा गया है और उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है ? यह प्रशिक्षण कितने समय के लिये है ?

श्री एम० सी० शाह : तीन सप्ताह । ये व्यक्ति प्रशिक्षण के कार्यों के लिये यहां पर लगभग तीन सप्ताह रहेंगे । प्रशिक्षण कार्य दूसरी नवम्बर को आरम्भ हुआ था ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जनता को सम्पदा शुल्क की मुख्य विशेषताओं से परिचित कराने के लिये कुछ किया गया है ?

श्री एम० सी० शाह : हां, श्रीमान् । सम्पदा शुल्क अधिनियम के सम्बन्ध में कुछ मुख्य बातों का हम विज्ञापन कर चुके हैं । साथ ही साथ हम एक ऐसी पुस्तक भी प्रकाशित कर रहे हैं जिसको सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति समझ सकेंगे । यह पुस्तक वैसी ही होगी जैसी कि हमने सर्वसाधारण के लिये आयकर सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशित की है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि ये प्रशिक्षार्थी एक विशेष राज्य से ही भर्ती किये गये हैं अथवा वे सारे देश से लिये गये हैं ?

श्री एम० सी० शाह : सभी राज्यों से जिनकी संख्या १७ है । आयकर विभाग में १७ क्षेत्र हैं । हमने उन सभी में से अधिकारी लिये हैं ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरे प्रश्न को लेंगे ।

बिहार में भूमि-अर्जन

*२१२. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या रक्षा मंत्री ३ जून १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४०६ के उत्तर की ओर निर्देश करेंगे और सारन जिले के सबेया नामक स्थान, बिहार, में भूमि अर्जन के लिये मुआवजा के भुगतान सम्बन्धी ठीक ठीक नवीनतम स्थिति बताने की कृपा करेंगे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : २८४.८०२ एकड़ क्षेत्रफल के सम्बन्ध में छोड़कर, जो वास्तविक स्वामियों को लौटा दिया गया था और जिसके सम्बन्ध में अर्जन के बदले में दिये जाने वाले मुआवजे का कोई प्रश्न नहीं था, बिहार राज्य के सारन जिले के सेबाया नामक स्थान में सरकार द्वारा ले ली गई भूमि के सम्बन्ध में पूरा मआवजा दे दिया गया है ।

श्री झूलन सिन्हा : उस हवाई अड्डे के लिये भूमि लेने में सरकार ने जो भारी पूंजी लगाई है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या में जान सकता हूं कि क्या उस हवाई अड्डे को ठीक दशा में बनाये रखने के लिये केन्द्रीय सरकार उचित कार्यवाही कर रही है अथवा उसकी देखभाल का काम उन्होंने किसी अन्य राज्य या किसी अन्य अधिकारी पर छोड़ दिया है ?

सरदार मजीठिया : इसकी देखभाल हम कर रहे हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि जो भूमि वास्तविक स्वामियों को लौटाई जाने वाली है, उस पर जो इमारतें आदि बनी हुई हैं ; क्या उनकी लागत वसूल कर ली जायेगी ?

सरदार मजीठिया : और कोई भूमि नहीं लौटाई जानी है । वह १९४८ में लौटाई जा चुकी है ।

वर्ग पहेलियां

*२१३. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में वर्ग पहेलियों की व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिये सरकार कोई विधेयक प्रस्तुत करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : यह प्रश्न विचाराधीन है कि वर्ग पहेलियों पर रोक लगाने के लिये कोई केन्द्रीय विधान बनाया जाना चाहिये अथवा नहीं ।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह तथ्य ज्ञात है कि देश में बहुत से व्यक्ति अपना समय और धन नष्ट करते हैं . . . .

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति श्री राधा रमण ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि देश भर में कितने समाचार पत्र ऐसी वर्ग पहेलियां चला रहे हैं ?

श्री दातार : अभी इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार जिस विधेयक पर विचार कर रही है, क्या वह केवल वर्ग पहेलियों तक ही सीमित रहेगा अथवा इसी प्रकार की अन्य पहेलियों पर भी लागू होगा ?

श्री दातार : सम्पूर्ण प्रश्न विचाराधीन ह

श्री एम० खुदा बख्श : माननीय मंत्री ने कहा कि उन्हें उन समाचार पत्रों की संख्या नहीं मालूम है जो ऐसी वर्ग पहेलियां चलाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन वर्ग पहेलियों पर रोक लगाने का प्रश्न विचाराधीन है। क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह बिना वर्ग पहेलियों के [illegible] तथा उनको

चलाने वाले समाचारपत्रों की संख्या को जाने हुए इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं. . . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

विधि जीवी समिति (प्रतिवेदन)

*२१४. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधिजीवी समिति की सिफारिशों पर अभी तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : अखिल भारतीय विधिजीवी समिति ने जो सिफारिशें की हैं उनके सम्बन्ध में भारत सरकार ने राज्य सरकारों तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के विचार आमंत्रित किये ह । उनके विचारों के प्राप्त हो जाने के बाद समिति की सिफारिशों पर आगे की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : श्रीमान्, इस विषय में कोई निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

श्री बिस्वास : हम ने राय देने के लिये उनके सामने कोई समय सीमा नहीं रखी है । हमें आशा है कि उनके विचार हमें अगले मास में प्राप्त हो जायेंगे । ऐसी दशा में यदि आवश्यक हुआ तो मैं आयव्ययक सम्बन्धी सत्र में एक विधेयक पुरःस्थापित कर सकूंगा ।

समवाय विधि समिति

*२१५. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने समवाय विधि समिति की कितनी सिफारिशें मान ली हैं ?

(ख) अब तक उन में से कितनी क्रियान्वित हुई हैं ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि इस कार्य के लिये एक नया संगठन स्थापित किया गया है ?

(घ) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार यह बतायेगी उस संगठन की रचना क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख). माननीय सदस्य का ध्यान दो सितम्बर, १९५३ को सदन में पुरःस्थापित किये गये समवाय विधेयक १९५३, में संलग्न उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण की ओर आमंत्रित किया जाता है ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) इस संगठन की रचना को बताने वाला एक नक्शा सदन पटल पर रखा गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२]**

रक्षा सेवा कालेज

*२१९. **श्री भागवत झा** : (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रक्षा सेवा स्टाफ कालेज में अक्टूबर, १९५२ से सितम्बर, १९५३ तक आयोजित पाठ्य क्रम में विदेशों के पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए थे ?

(ख) यदि यह सही है तो उक्त पदाधिकारियों की क्या संख्या थी और वे किन देशों से सम्बन्धित थे ?

(ग) पाठ्य क्रम में उपस्थित होने वाले भारतीय पदाधिकारियों की क्या संख्या थी ?

(घ) क्या भारतीय पदाधिकारी भी इसी भांति विदेशों में आयोजित पाठ्य क्रम में उपस्थित होते हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) हां ।

(ख) पाठ्य क्रम में ५ विदेशी पदाधिकारी उपस्थित थे । इन में से तीन ब्रिटेन

और एक एक आस्ट्रेलिया और कनेडा से थे।

(ग) ९२।

(घ) हां।

श्री भागवत झा : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह का यह एक ही उदाहरण है अथवा रक्षा मंत्रालय द्वारा अपने पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिये नियमित रूप से इन कालजों का संचालन किया जाता है ?

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि मैं प्रश्न का महत्व नहीं समझ सका।

अध्यक्ष महोदय : महत्व को जाने दीजिय, आप के पास सूचना है ?

श्री त्यागी : मैं उसका अर्थ भी नहीं समझा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न दूसरे रूप में प्रस्तुत करेंग ?

श्री भागवत झा : इस रूप में कि माननीय मंत्री प्रश्न का महत्व समझ सकें मैं यह जानना चाहता हूं कि रक्षा पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिये उक्त पाठ्यक्रम के आयोजन का यह एक ही उदाहरण है अथवा मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से यह पाठ्क्रम संचालित किये जाते हैं ?

श्री त्यागी : यह पाठ्यक्रम मंत्रालय द्वारा नियमित रूप में आयोजित किये जाते हैं ?

श्री भागवत झा : मैं जानना चाहता हूं कि उक्त कालेज चलाने में कौन खर्च करता है—क्या स्वयं भारत सरकार यह खर्च देती है अथवा किन्हीं अन्य राज्यों द्वारा यह खर्च दिया जाता है ?

श्री त्यागी : प्रशिक्षण प्रदान करने वाले उक्त कालेज का समस्त खर्च भारत सरकार उठाती है और जो पदाधिकारी विदेशों से आते हैं वे अपना खर्च स्वयं ही देते हैं।

श्री भागवत झा : मैं जानना चाहता हूं कि पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने वाले निदेशक भारतीय हैं अथवा बाहर से बुलाये गये हैं ? यदि वे बाहर के हैं तो इन निदेशकों का खर्च कौन देता है ?

श्री त्यागी : कालेज के कर्मचारी-वर्ग में से प्रत्येक व्यक्ति का खर्च भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। मेरे पास इनके अलग २ आंकड़े नहीं हैं किन्तु मेरा विश्वास है कि उनमें से अधिकांश भारतीय हैं।

श्री नानादास : प्रश्न के (घ) भाग के उत्तर से उत्पन्न मैं जानना चाहता हूं कि हमारे पदाधिकारी किन-किन देशों में और कितनी बार विदेशों के स्टाफ कालेजों में गये हैं ?

श्री त्यागी : मैं यह निश्चित नहीं कह सकता कि हमारे पदाधिकारी कितनी बार वहां गये हैं किन्तु यह व्यवस्था प्रायः दोनों ओर से ही की जाती है। वे हमारे कालेजों में प्रशिक्षण हेतु उनके विद्यार्थियों को भेजते हैं और हम भी अपने विद्यार्थियों को उनके कालेजों में भजते हैं।

श्री नानादास : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा एक भी उदाहरण है जब हमारे पदाधिकारी विदेशों के स्टाफ कालेज में गये हैं।

श्री त्यागी : प्रति वर्ष।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जानना चाहता हूं कि कालेज के कमाण्डेन्ट भारतीय हैं अथवा विदेशी ?

श्री त्यागी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री आर० के० चौधरी : उन्होंने यह उत्तर नहीं दिया कि कौन कौन से देश हैं ?

श्री त्यागी : ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रलिया, बर्मा और अमरीका।

श्री अलगूराय शास्त्री लेकिन रूस नहीं ।

आगरा कन्टोनमेंट बोर्ड

*२२०. **सेठ अचल सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा कैन्टोनमेन्ट बोर्ड के चुनाव कितने समय से नहीं हुए हैं ?

(ख) कब तक चुनाव कराने का प्रस्ताव है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १९४६ ।

(ख) अगले वर्ष के आरम्भ में ही ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत के अन्य कैन्टोनमेन्ट बोर्डों में तब से अब तक चुनाव हुए हैं या नहीं ।

सरदार मजीठिया : श्रीमान्, जैसा मैंने कहा अन्तिम चुनाव १९४६ में हुए थे, और नवीन चुनाव अगले वर्ष के आरम्भ में ही होंगे ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरे में अब तक चुनाव क्यों नहीं हुए ?

सरदार मजीठिया : यह एक विस्तृत प्रश्न है । संक्षेप में, सबसे पहले उन्हें वयस्क मताधिकार देने का प्रश्न था जो हमें संविधान द्वारा प्राप्त हुआ है । अब वह सम्पन्न हो गया है । दूसरे समूचे कैन्टोनमेन्ट को एकक मानते हुए वार्ड प्रणाली आरम्भ करने का सवाल था । तीसरा प्रश्न अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधान का था ।

आगरा कन्टोनमेंट

*२२१. **सेठ अचल सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा कैन्टोनमेन्ट क्षेत्र के कुछ भागों को समीपवर्ती नगरपालिका में विलीन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और इस दिशा में कब तक कार्य सम्पन्न हो जायगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : कतिपय प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं और उत्तर-प्रदेश सरकार से सलाह ली जा रही है । निकट भविष्य में ही निर्णय कर लेने की आशा है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि छावनी का जो हिस्सा चुंगी में लिया जा रहा है उसकी क्या वजह है ?

सरदार मजीठिया : मैं प्रश्न को भली प्रकार नहीं समझा हूं किन्तु प्रश्न मिलाने के सम्बन्ध में था और मेरा विचार है कि अब इस का सम्बन्ध उपकर अथवा ऐसे ही किसी अन्य विषय से है ।

करारोपण जांच समिति

*२२२. **श्री नानादास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) करारोपण जांच समिति ने अपने काम में अभी तक कितनी प्रगति की है;

(ख) क्या करारोपण जांच समिति द्वारा कोई अन्तर्कालीन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) यदि यह सही है तो क्या उसे सदन पटल पर रखा जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) आयोग ने उनके सामने विचारार्थ आने वाली अनेक समस्याओं पर जनता तथा देश के वाणिज्यकीय और औद्योगिक संधों

से अपने अपने विचार आमंत्रित करते हुए जुलाई, १९५३ में एक व्यापक प्रश्नावली जारी की थी। अब वे साक्ष्य लेने के लिये विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं।

(ख) नहीं श्रीमान्।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री नानादास : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच कार्य के लिये उक्त आयोग कितने राज्यों में गया था ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह दौरा पन्द्रह नवम्बर, १९५३ से आरम्भ हुआ था और अभी इतने शीघ्र यह नहीं कहा जा सकता कि वे कितने राज्यों में गये हैं।

श्री नानादास : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि कर के भार के सम्बन्ध में ग्राम्य जनता से साक्ष्य प्राप्त करने के लिये करारोपण जांच समिति ने किस प्रक्रिया का अनुकरण किया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : उनकी प्रश्नावली का उत्तर देने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रण दिया गया था जिसमें ग्राम्य जनता भी सम्मिलित है।

श्री एस० एस० मोरे : मैं जानना चाहता हूं कि प्रश्नावली किस भाषा में जारी की गई थी ?

श्री श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक मुझे स्मरण है यह अंग्रेजी भाषा में थी।

श्री नानादास : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि कब तक जांच समाप्त होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह कहना कठिन है। आयोग का उद्देश्य ३० सितम्बर, १९५४ तक एक अन्तकालीन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का है किन्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता कि वे अन्तिम प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर सकेंगे। अधिकतर साक्ष्य एकत्र करने पर ही निर्भर है।

श्री सारंगधर दास : क्या आयोग से इस प्रश्नावली को प्रादेशिक भाषाओं में जारी करने की प्रार्थना की वांछनीयता पर सरकार विचार करेगी ताकि ग्राम्य जनता इसे समझ सकेगी।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं आयोग से मालूम करूंगा कि प्रश्नावली को अंग्रेजी में जारी करने के फलस्वरूप जनमत जानने में क्या उन्हें किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा है और मैं उसे उनके स्वविवेक पर ही छोड़ता हूं। यह सुझाव निश्चित ही उनके पास भेज दिया जायेगा किन्तु मैं इसे उनके विवेक पर ही छोड़ता हूं कि क्या अब स्थिति में प्रश्नावली फिर से प्रादेशिक भाषाओं में जारी की जानी चाहिये।

सेठ गोविंद दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि इस देश में अंग्रेजी समझने वाले बहुत कम हैं और जब तक कि वह प्रश्नावली भिन्न भिन्न प्रान्तों की भाषाओं में नहीं भेजी जायेगी तब तक उस से कोई फायदा नहीं होगा ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। हम तर्क करने जा रहे हैं।

श्री आर० के० चौधरी : किसी श्रेणी के व्यक्तियों के लिये ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं।

नौसेना के कर्मचारियों को भत्ते

*२२३. **श्री नानादास** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय नौसेना के कर्मचारियों को विवाहितों के मकानों के बदले में किस दर से भत्ता दिया जाता है ;

(ख) क्या वर्त्तमान दर को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो ये बढ़ी हुई दरें कब से लागू होंगी ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) भत्ते की वर्त्तमान दरें निम्न हैं :—

मुख्य पेट्टी पदाधिकारी	१६ रुपये	प्रति मास
पेट्टी पदाधिकारी	६ रुपये	,,
प्रमुख नाविक	२ रुपये ८ आने	,,
सशक्त सामान्य रेटिंग	१ रुपया	,,

(पदाधिकारियों को मकानों के बदले भत्ता नहीं मिलता)

(ख) तथा (ग). यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री नानादास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि ये दरें कब निश्चित की गई थीं ?

श्री त्यागी : ये कुछ वर्षों से लागू हैं। मुझे इस की ठीक तिथि तो ज्ञात नहीं कि ये कब निश्चित की गई थीं।

श्री नानादास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि नौसेना के कर्मचारियों ने यह जोरदार मांग की है कि उनका विवाहित भत्ता तुरन्त बढ़ाया जाये ?

श्री त्यागी : हां, श्रीमान्, । सरकार इसके प्रति पूर्ण रूप से सजग है और सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है और मैं समझता हूं कि बहुत शीघ्र ही सरकार बड़ी हुई दरों की घोषणा कर सकेगी।

कुमारी एनी मस्करीन : रेटिंग्स को प्रति मास १ रुपया किस सिद्धांत के आधार पर दिया जाता है ?

श्री त्यागी : दरें निश्चित करने में किन्ही सिद्धांतों का प्रयोग नहीं किया जाता। मूलत: देश के आर्थिक साधनों को ध्यान में रखकर ये निश्चित किये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि क्या यह सत्य है कि विवाहित जीवन...

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। अगला प्रश्न।

फुलब्राइट योजना

*२२४. **श्री टी० के० चौधरी** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फुलब्राइट योजना के अधीन इस समय कितने अमरीकी विद्वान, अध्यापक और विद्यार्थी भारत में हैं ?

(ख) हम इन विद्वानों को अपने विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में क्या सुविधायें देते हैं ?

(ग) अब तक जितने अमरीकी विद्वान भारत आये हैं उनके बदले कुल कितने भारतीय विद्वान अध्ययन के लिये अमरीका भेजे गये ?

प्राकृतिक, संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :

(क) क्रमश: सत्रह, सात और सोलह।

(ख) इन विद्वानों को कोई विशेष सुविधायें नहीं दी जातीं तथापि प्रवेश के विषय में या अनुसंधान की सुविधाओं तथा इसी प्रकार की बातों के सम्बन्ध में कठिनाई होने पर भारत सरकार उन्हें आवश्यक सहायता देती रही है।

(ग) क्रमश: ३८८ और १२४

श्री टी० के० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि इन विद्वानों को कौन चुनता है ? क्या भारत सरकार उन भारतीय विद्वानों के चुनाव पर जिन्हें अमेरिका भेजा जाता है और उन अमरीकी विद्वानों के चुनाव पर जो इस देश में आते हैं किसी प्रकार का नियंत्रण रखती है ?

श्री के० डी० मालवीय : अनुदान के लिये भारतीय विद्यार्थियों का चुनाव पहले मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और देहली की प्रादेशिक समितियों द्वारा किया जाता है और बाद में फाउंडेशन की राष्ट्रीय चुनाव समिति द्वारा किया जाता है। अन्त में सभी चुनाव अमेरिका के विदेशी विद्वान बोर्ड द्वारा किये जाते हैं ?।

श्री टी० के० चौधरी : मैं यह जानना चाहता था कि क्या इन विद्वानों के चुनाव पर भारत सरकार का कोई नियत्रण है या इस में उस का कोई हाथ रहता है ।

श्री के० डी० मालवीय : जैसा कि मैंने अभी बतलाया चार प्रादेशिक समितियां इन भारतीय विद्यार्थियों को चुनती हैं । ये मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में हैं । इस प्रकार प्रथम चुनाव सदा ये प्रादेशिक समितियां ही करती हैं ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या इन प्रादेशिक समितियों को भारत सरकार नियुक्त करती है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस में भारत सरकार का अधिक हाथ नहीं होता, किन्तु इन समितियों की नियुक्ति बोर्ड करता है और इन में पचास प्रतिशत संख्या भारत सरकार के प्रतिनिधियों की होती है ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, क्या माननीय मंत्री जी संक्षेप में इस योजना का ब्योरा बतला सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या ये छात्रवृत्तियां केवल प्रौद्योगिक विषयों के लिये दी जाती हैं या अप्रौद्योगिक विषयों के लिये भी दी जाती हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : सभी प्रकार के विषयों के लिये ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या अमेरिका जाने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा मंत्रालय सक्षेप में यह बतला देता है कि उन्हें अमेरिका में कैसे व्यवहार करना चाहिये ?

श्री के० डी० मालवीय : कोई विशेष बात न बतलाई जाती है और न ही बतलाने की आवश्यकता है ।

मैंगनीज़ के निक्षेप

*२२५. **श्री रघुनाथ सिंह :** (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बम्बई राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में मैंगनीज़ के निक्षेप पाये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों से मैंगनीज़ की कितनी मात्रा प्राप्त होने का अनुमान है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :

(क) हां, श्रीमान् ।

(ख) लगभग ५,००,००० टन ।

श्री रघुनाथ सिंह : इन खानों का सरकार इन्तज़ाम करती है या इन खानों को ठेके पर दिया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : खानों का इन्तज़ाम तो सरकार नहीं करती । वह तो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट ही करते हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : इसका काम आरम्भ कब से होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : जब भी लोग चाहें कायदे के मुताबिक ठेका ले सकते हैं । लेकिन मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिये बतलाना चाहता हूं कि इन खानों की मैंगनीज़ बहुत अच्छे किस्म की नहीं है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को यह विदित है कि उत्तर कनारा के बहुत से मैंगनीज़ की खानों के स्वामी गोआ चले गये हैं, क्योंकि उत्तर कनारा में उनके लिये कोई तटीय या यातायात की सुविधायें नहीं हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : दुर्भाग्य से मुझे यह विदित नहीं है ।

भटाचार्य समिति

*२२६. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को भट्टाचार्य समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) श्री पी० सी० भट्टाचार्य के नेतृत्व में पदाधिकारियों के दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर विचार के फलस्वरूप आन्ध्र तथा अवशिष्ट मद्रास राज्य को अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत कई एक छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये और मद्रास राज्य के कोयमबटूर जिले में कन्टूर बंद बांधने के लिये सहायता दी जा रही है । योजना की अवधि में आंध्र के कमी वाले क्षेत्रों में लगभग ५ करोड़ रुपये की लागत से सुधार के एक स्थायी कार्यक्रम पर भी जिसके लिये कि केन्द्रीय सरकार ऋण देगी, इस समय विचार किया जा रहा है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : श्रीमान्, क्या सरकार इस समिति द्वारा सिफारिश की गई सभी योजनाओं की एक पूरी सूची सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : हां, श्रीमान् ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन सब योजनाओं में कुल कितनी राशि लगेगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह उस समय ज्ञात हो जायेगा जब विवरण सदन पटल पर रखा जायेगा । मेरे पास यहां इस के आंकड़े नहीं हैं ।

श्री नानादास : मैं यह जान सकता हूं कि १९५२-५३ और १९५३-५४ में आंध्र राज्य के लिये अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के निमित्त कितनी राशि मंजूर की गई है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह प्रश्न मेरे माननीय सहयोगी खाद्य तथा कृषि मंत्री से पूछा जाना चाहिये और इस के लिये पूर्व सूचना मिलनी चाहिये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जीवन बीमा समवाय

*१९७. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि कुछ विदेशी जीवन बीमा समवाय उच्च आर्थिक स्तर के व्यक्तियों को इस लिये अधिशुल्क की कम दर बताते हैं, कि धनियों में मृत्यु संख्या कम है ?

(ख) सरकार ने विभिन्न दर बताने के व्यवहार को समाप्त करने के लिये क्या पग उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख). कुछ विदेशी तथा कुछ भारतीय समवायों ने ऐसे व्यवहार का अनुसरण किया था परन्तु जीवन बीमा परिषद की कार्यपालिका समिति के प्रयत्नों से सब बीमा करने वालों ने यह अभ्यास स्वेच्छा से छोड़ दिया है ।

बेरीलियम तथा रिटानियम

*१९८. **श्री पुन्नूस :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मंत्रालय के सचिव के हाल में बाहर जाने पर अमेरिकन दलों से भारत में बेरीलियम और रिटानियम के उत्पादों के विकास में सहायता के लिये अनुरोध किया गया था ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : अणु शक्ति आयोग के सचिव और सभापति के हाल में बाहर के दौरे में, भारत में बेरीलियम और रिटानियम उत्पादों के विकास के लिये कतिपय अमेरिकन दलों के साथ चर्चा हुई। प्रस्थापनाओं पर अभी वार्तालाप हो रहा है।

पैप्सू में अपराध

*१९९. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से पैप्सू में राष्ट्रपति का शासन हुआ है वहां अपराधों की संख्या में कमी हो गई है ?

(ख) कितनी विधि विरुद्ध देशी बनी हुई .३०३ की राइफलें, देशी बने हुए पिस्तौल, देशी बनी हुई नाली दार बन्दूकें इस कालावधि में पैप्सू पुलिस ने बरामद की हैं ?

(ग) क्या ये अस्त्र पैप्सू में निर्माण किये गये हैं अथवा बाहर के राज्यों से चौर्यानयन किये गये हैं ?

(घ) यदि ये अस्त्र पैप्सू में बनाये गये हैं तो सरकार ने इस विषय में क्या पग उठाये हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) देशी बनी .३०३ की राइफलें ३० ;
देशी बने पिस्तौल ३५० ;
तथा देशी बनी नालीदार बंदूकें १३ ;

(ग) इन अस्त्रों में से कुछ पैप्सू में बनाये गये और कुछ अन्य राज्यों से आयात किये गये ;

(घ) पैप्सू में इन अस्त्रों के निर्माताओं को ढूंढने के लिये भरसक प्रयत्न किये गये और उन में से कुछ से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ११० के अधीन प्रतिभूति ली गई है ।

हीरों की खान का उद्योग

*२०३. **चौ० रघुवीर सिंह :** (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विंध्य प्रदेश में खानों से हीरे निकालने के उद्योग संबंधी खोज कहां तक सफल हुई है ;

(ख) विंध्य प्रदेश के कौन से स्थान देखे गये हैं ?

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी राशि व्यय की गई ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) पन्ना क्षेत्र के हाल के परीक्षण के फलस्वरूप भारतीय खान विभाग ने, ऐसे सम्पत्तिस्वामी समवायों द्वारा जिनके पास आधुनिक मशीनरी लगाने के पर्याप्त साधन हैं, और परम्परा गत रीति से हाथ से काम करने वाले ग्रामीण श्रमिकों द्वारा हीरों के उक्त क्षेत्र में कार्य करवाने की योजना बनाई है।

(ख) दक्षिण पश्चिम में मजगावन से लेकर उत्तर पश्चिम में पहाड़ी खेड़ा तक फैला हुआ पन्ना क्षेत्र का बड़ा भाग ।

(ग) उन पदाधिकारियों की यात्रा पर जो क्षेत्र में गये, १९५२ रुपये ।

इंजीनियरों का पंजीयन

*२११. **श्री अजित सिंह :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री कृपया इंजीनियरों के पंजीयन के सम्बन्ध

में १६ सितम्बर १९५३ के तारांकित प्रश्न १३३१ (क) के उत्तर की ओर ध्यान देंगे और बतायेंगे कि :

(क) इंजीनियरों के अनिवार्य पंजीयन के सम्बन्ध में विधान सदन के समक्ष कब लाया जाना है ; तथा

(ख) क्या वैज्ञानिक अनुसंधान के परिषद ने इंजीनियरों की उस राष्ट्रीय पंजी में दिये सब इंजीनियरों के विवरण की जांच कर ली है, जो तैयार हो गई है और मुद्रित हो चुकी है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) इंजीनियरों के अनिवार्य पंजीयन का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

(ख) क्योंकि पंजीयन केवल स्वेच्छा पर निर्भर है, सम्बन्धित व्यक्तियों के विवरण की जांच करनी आवश्यक नहीं समझी गई ।

स्पेशल पुलिस कर्मचारी वर्ग

*२१६ **श्री अजित सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्पेशल पुलिस कर्मचारिवर्ग की जांच समिति की किन सिपारिशों को स्वीकार किया गया है और सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : सरकार ने सब सिपारिशों को स्वीकार कर लिया है और दो को छोड़कर सब को क्रियान्वित किया है। ये दो सिपारिशें जो विचाराधीन हैं रेल अधिनियम के संशोधन और विभागीय मामलों के शीघ्र निपटारे के सम्बन्ध में प्रक्रिया के विषय में हैं ।

पैप्सू में चकबंदी

*२१७. **श्री माधव रेड्डी :** क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि पेप्सू सरकार ग्रामीण क्षेत्र में चकबंदी का कार्य करने वाली है और इस सम्बन्ध में चकबंदी के व्यय के लिये अंशदान के रूप में २ रु० १ आ० प्रति एकड़ कृषकों से एकत्र किया जा रहा है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ ने ग्रामीण क्षेत्र में चकबंदी का कार्य आरम्भ कर दिया है । ३ रुपये चकबंदी शुल्क और १ रुपया १३ आने की एक और राशि को चकबंदी कार्यों के व्यय को पूरा करने के लिये सम्बन्धित कृषकों पर भारित किया जा रहा है ।

पूर्वी कमान मुख्यालय

*२१८. **श्री माधव रेड्डी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने पूर्वी कामान मुख्यालय को रांची से लखनऊ स्थानांतरित करने का निर्णय किया है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : जी हां ।

बीमा समवाय

*१०४. **श्री एस०एन० दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बीमा समवायों की संख्या क्या है जिनके प्रबन्ध के लिये चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने प्रशासक नियुक्त किये हैं; तथा

(ख) ऐसे मामलों की संख्या क्या है जिन में किसी पिछले प्रबन्ध के विरुद्ध दीवानी और फौजदारी अभियोग चलाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) दो ।

(ख) उपरोक्त मामलों में से किसी के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही नहीं की गई ।

मद्रास तथा आंध्र राज्यों की जनसंख्या

१०५. सेठ गोविंद दास : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अवशिष्ट मद्रास राज्य तथा नवीन आंध्र राज्य में लगभग कितनी कितनी जनसंख्या है और दोनों राज्यों में तामिल तथा तेलगू भाषा भाषी लोगों की क्या संख्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : अवशिष्ट मद्रास राज्य तथा नवीन आंध्र राज्य की लगभग जनसंख्या, जैसा कि १९५१ की जनगणना से विदित होता है, क्रमश: ३,५७,३४,४८९ तथा २,०५,०७,८०१ है। अवशिष्ट मद्रास राज्य में तामिल तथा तेलगू भाषा भाषी लोगों की लगभग संख्या क्रमश: २,४०,७५,१९६ तथा ३३,२३,३४२ है और आंध्र राज्य में क्रमश: ४,०३,२६६ तथा १,८३,३०,९५७ है ।

कराची पतन न्यास के ऋण-पत्र

१०६. श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या **वित्त** मंत्री ४ सितम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०२७ तथा १०२८ के उत्तरों का निर्देश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्पीरियल बैंक आफ़ इंडिया ने १७ सितम्बर १९४९ तक करांची पत्तन न्यास तथा कराची नगर निगम के ऋण-पत्रों संबंधी कोई रजिस्टर रखे थे ; तथा

(ख) यदि हां, तो इम्पीरियल बैंक आफ़ इंडिया से पूछ ताछ करने के पर्यन्त १७ सितम्बर १९४९ को स्थिति क्या थी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख)। कराची पत्तन न्यास तथा कराची नगर निगम के ऋण-पत्रों सम्बन्धी रजिस्टर इम्पीरियल बैंक आंफ़ इंडिया ने कभी नहीं रखे ।

पश्चिमी बंगाल को टैक्निकल सहायता

१०७. श्री एस० सी० सामन्त : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५० के बाद पश्चिमी बंगाल राज्य से टैक्निकल सहायता के लिये, मंत्रालय की अन्तर्राष्ट्रीय सहायता एकीकरण इकाई में, प्राप्त हुए कितने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये हैं ?

(ख) किन किन विषयों में सहायता मांगी गई थी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) :

(क)

प्रशिक्षा के लिये	
कोलम्बो योजना	१४
चारसूत्रीय कार्यक्रम	३
संयुक्त राष्ट्र संघ का टैकनिकल सहायता प्रशासन	४
विशेषज्ञों के लिये	
चारसूत्रीय कार्यक्रम	२

(ख) एक विवरण जिसमें विषयों का वर्णन है सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्टि २, अनुबन्ध संख्या १३]**

मोदी उद्योग लिमिटेड

१०८. श्री टी० बी० बिट्ठल राव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ सितम्बर १९५३ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२८ के उत्तर का निर्देश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि उसके पश्चात सालीसिटर-जनरल के उस परामर्श की एक प्रति सदन पटल पर रखने के विषय में क्या निश्चय हुआ है, जो उन्होंने मोदी उद्योग लि० के महा-प्रबंधक तथा उप महा-प्रबन्धक के विरुद्ध मोदी नगर में २६ माल के डिब्बों में गलत लदान करने के सम्बन्ध में अभियोग की कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिये दिया था ?

गह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): सरकार ने यह निश्चय किया है कि साली-सिटर-जनरल के परामर्श की प्रति सदन पटल पर रखना स्थगित अभिसमय तथा सरकारी नीति के विरुद्ध होगा ।

कुरान का अनुवाद

१०९. श्री आर० एन० सिंह: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुरान का हिन्दी अथवा अन्य भाषाओं में अनुवाद करने पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध तो नहीं है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): नहीं ।

केन्द्रीय उत्पादन-कर विभाग, हैदराबाद

११०. श्री नाना दास: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में केन्द्रीय उत्पादन-कर समाहर्ता, हैदराबाद, के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-कर विभाग के कार्यालय में कितने लोअर डिवीज़न क्लर्क नियुक्त किये गये ;

(ख) अनुसूचित जातियों के कितने क्लर्क नियुक्त किये गये ; तथा

(ग) क्या यह भर्ती किसी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की गई थी ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) १२ नवम्बर १९५३ तक केन्द्रीय उत्पादन कर समाहर्ता, हैदराबाद, के अधीन ५७ लोअर डिवीज़न क्लर्क नियुक्त किये गये हैं ।

(ख) ५७ में से १० अनुसूचित जाति के हैं ।

(ग) नहीं श्रीमान् । समाहर्ता के कार्यालय के दो या तीन ज्येष्ठ अधिकारियों की समिति, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा लोअर डिवीज़न क्लर्कों के लिये निश्चित आयु तक वाले, प्रार्थियों से भेंट करने के पर्यन्त नियुक्ति के लिये संवरण करती है ।

यू० के० में भारतीय नौसेना अधिकारियों तथा नौभटों (रेटिंगज) की प्रशिक्षा

१११. श्री नानादास : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४७ के पश्चात् कितने भारतीय नौसेना अधिकारियों तथा नौभटों ने यू० के० में प्रशिक्षा प्राप्त की है और उनकी प्रशिक्षा पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : १९४७ से १९५३ तक कुल ३४८ अधिकारियों और ११४७ नौभटों ने यू० के० में प्रशिक्षा प्राप्त की है और उनकी प्रशिक्षा पर कुल ९७,४६६ पौंड व्यय हुआ है ।

निर्वाचन याचिकायें

११२. श्री आर० एस० तिवारी : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जो निर्वाचन याचिकायें अभी बाकी रह गई हैं उनकी राज्यवार संख्या कितनी है ; तथा

(ख) विंध्य प्रदेश में कितनी याचिकायें पेश की गई थीं, उनमें से कितने के विषय में निर्णय हो चुका है और कितने के विषय में निर्णय बाकी है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) जो निर्वाचन याचिकायें अभी शेष हैं उनकी राज्यानुसार संख्या निम्न तालिका में दी जाती है । ये आंकड़े १७ नवम्बर १९५३ को थे ।

राज्य का नाम	सामान्य निर्वाचन		उप-निर्वाचन	
	संसदीय राज्य विधान मंडल	संसदीय राज्य विधान मंडल		
बिहार	१	२	१	३
बम्बई	—	—	—	१
मध्य प्रदेश	—	—	—	५
मद्रास	—	१	—	—
उड़ीसा	—	१	—	१
उत्तर प्रदेश	२	८	—	५
मध्य भारत	—	२	—	२
मैसूर	—	१	—	—
राजस्थान	—	४	—	१
सौराष्ट्र	—	—	१	—
अजमेर	—	—	—	१
दिल्ली	१	३	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	१
विंध्य प्रदेश	२	२	—	१
योग	६	२४	२	२१

(ख) विंध्य प्रदेश में आजतक २५ याचिकायें की गई हैं। २० का निर्णय हो चुका है और ५ शेष हैं।

वाहन गोदाम तथा एम० ई० एस० पानगर

११३. श्री रामानन्द दास : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदित है कि सितम्बर, १९५३ में सैनिक कर्मचारियों ने पानगर के वाहन गोदाम तथा एम० ई० एस० के अनेक असैनिक श्रमिको पर कथित चोरी की शंका से प्रेरित होकर हमला किया और न्यायालय में श्रमिकों के विरुद्ध आरोप साबित नहीं हो सका ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि श्रमिक संघ द्वारा शिकायत की जाने पर पानगर के बेस कमांडर ने हमले के बारे में तथ्य जानने के लिये जांच जारी की जिसके अंतर्गत कुछ सैनिक अधिकारी अपराधी पाए गए ?

(ग) यदि उपयुक्त भाग (ख) का उत्तर हां में है तो अपराधी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) सरकारी प्रतिवेदनों के अनुसार पानगर के वाहन गोदाम तथा एम० ई० एस० के किसी असैनिक श्रमिक पर कथित चोरी की शंका से प्रेरित होकर सितम्बर १९५३ में सैनिक कर्मचारियों द्वारा हमला नहीं किया गया। न्यायालय में श्रमिकों के विरूद्ध आरोप साबित नहीं हो सका।

(ख) हां, जांच की गई थी किन्तु सैनिक कर्मचारियों के विरुद्ध लगाया गया आरोप निराधार साबित हुआ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पैप्सू में कुछ जिलों की समाप्ति

११४. श्री रणजीत सिंह : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पैप्सू के हर्नाला, फतेहगढ़ साहिब तथा कन्डाघाट जिलों की समाप्ति के फलस्वरूप होने वाली बचत की अपेक्षित राशि; तथा

(ख) उपयुक्त जिलों की समाप्ति के फलस्वरूप जिन कर्मचारियों की छटनी की गई है उनको पुनः नियक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) उल्लिखित जिलों की समाप्ति नहीं हुई है । मितव्यय के हेतु बरनाला जिला संगरूर के उपायुक्त के अधीन कर दिया गया है और फतेहगढ़ साहिब तथा कण्डाघाट जिले पनियाला के उपायुक्त के अधीन कर दिये गए हैं । इस पुनर्व्यवस्था के तथा कुछ तहसीलों की समाप्ति के फलस्वरूप ८ लाख रुपयों की वार्षिक बचत की अपेक्षा है ।

(ख) इस पुनर्व्यवस्था के फलस्वरूप जितने स्थायी कर्मचारी अतिरिक्त प्रतीत हुए उन सब को अन्य विभागों में भर्त्ती कर लिया गया है । जिन अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी की गई है उन के लिए भी वैकल्पिक नौकरियों की खोज सरकार द्वारा की जा रही है । इसीलिए राज्य सरकार ने राज्य सेवा के किसी पद के लिये नई भर्ती बंद कर दी है जब तक कि छंटनी किए गए कर्मचारी पुनः नियुक्त न हो जायं । विशिष्ट शिल्पिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होने वाले पद इसके अपवाद हैं

सोमवार,
२३ नवंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

सोमवार २३ नवम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

२.१६ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

कायामकुलम सभा में बल का प्रयोग

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम) : सदन की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। पिछले दिन श्री एच० एन० मुखर्जी तथा अन्य व्यक्तियों ने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी थी तथा सरकार की ओर से कहा गया था कि वह वास्तविकता का पता लगा कर इसका यहां वर्णन करेंगे।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): श्रीमान्, हमने पूछताछ कर ली है तथा मैं सदन को वह सूचना दे दूंगा जो कि हमें प्राप्त हुई है।

कुछ दिनों से चंडलम कालिज के क्षात्र अपनी यनियन के अभिज्ञान के प्रश्न के सम्बन्ध में कालिज प्राधिकारियों के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे तथा उन्होंने हड़ताल कर रखी थी, कायामकुलम हाई स्कूल ने कालिज छात्रों की सहानुभूति में २६ अक्टूबर, १९५३ को हड़ताल करने का फैसला किया। इस स्कूल के छात्र दो यूनियनों में बटे हुए हैं—एक कम्युनिस्ट प्रभाव के अधीन है तथा दूसरी गैर-कम्युनिस्ट है, २६ अक्तूबर, १९५३ की हड़ताल के सम्बन्ध में दोनों पक्ष सहमत थे, हड़ताल को जारी रखने के सम्बन्ध में दोनों यूनियनों में मतभेद उत्पन्न हुआ। एक इसे जारी रखना चाहती थी तथा दूसरी इसके पक्ष में नहीं थी। १३ नवम्बर १९५३ को कम्युनिस्ट पक्ष से सहानुभूति रखने वाले छात्रों ने कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ सदस्यों के सहयोग से हड़ताल कर ली, धुरना लगाया गया तथा हिंसा से काम लिया गया, हैड-मास्टर तथा कुछ छात्राओं से दुर्व्यवहार किया गया, इसके परिणामस्वरूप पुलिस ने ग्यारह व्यक्ति गिरफ्तार किये। कायामकुलम स्कूल में हड़ताल करने में असफल होने के बाद कम्युनिस्टों ने प्रेयर स्कूल के छात्रों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह १६ नवम्बर, १९५३ को अपना एक जत्था कायामकुलम भेज दें जोकि वहां प्रदर्शन करेगा, पुलिस ने शान्ति से उस जत्थे को तितर बितर किया। कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तथा क्रान्तिकारी समाजवादी दल ने पुलिस तथा स्कूल अधिकारियों की इस कार्यवाही के सिलसिले में अपना विरोध प्रकट करने के लिए कायामकुलम मैदान में

[डा० काटजू]

एक सभा का आयोजन किया, यह सभा श्री पी० के० कुंजु की अध्यक्षता में सायं के साढ़े छै बजे आरम्भ हुई, एक वक्ता श्री कुंजु कृष्ण पिल्ले ने इस अवसर पर गन्दी ज़बान प्रयोग की तथा उन छात्रों की घोर आलोचना की जिन्होंने कि अपनी क्लासों में जाने के लिए आग्रह किया था, वह इन छात्रों के प्रतिपालकों तथा प्रशासन पर भी बरस पड़े । इस पर श्रोतागण में से कुछ व्यक्तियों ने अपना घोर विरोध प्रकट किया तथा वक्ता को अपना भाषण बन्द करने के लिये कहा । इसके बाद मुक्केबाज़ी शुरू हुई तथा एक अथवा दो व्यक्तियों को गहरी चोटें भी आईं । इस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई । भीड़ विसर्जित हुई तथा लोग भाग गए । पुलिस ने सात व्यक्तियों को धर लिया । इनमें से दो व्यक्तियों को छुरे के घाव आये थे, छै व्यक्तियों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम तथा भारतीय दंड विधान की धारा १४७, ३२२ तथा ३२४ के अन्तर्गत मुकद्दमा चलाया गया है, तीन व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा १३३/३४ के अन्तर्गत मुकद्दमा चलाया गया है, सभी अभियुक्तों को ज़मानत पर रिहा किया गया है । केवल श्री श्रीधरन को इस शर्त पर ज़मानत दी गई कि वह प्रतिदिन अदालत में हाज़िर हो जाये ।

यह बात नोट कर लेनी चाहिए कि १३ तथा १६ नवम्बर १९५३ को पुलिस ने केवल तभी हस्तक्षेप किया जबकि शान्ति तथा व्यवस्था भंग हुई थी । पुलिस ने किसी पर कोई प्रहार नहीं किया । दोनों दिनों की घटनाओं का सम्बन्ध छात्र आन्दोलन से था । सरकार के पास जो कुछ सूचना है उससे पता चलता है कि पुलिस ने अनावश्यक रूप से तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया होता जब तक कि शान्ति तथा व्यवस्था भंग नहीं हुई होती । चूंकि पुलिस इन घटनाओं के सम्बन्ध में जांच कर रही है तथा सम्भवत: इस सिलसिले में कोई कानूनी कायवाही भी होगी, मैं समझता हूं कि इस बात पर यहां चर्चा करना उचित नहीं होगा । यह बिल्कुल गलत है कि पुलिस की इस कार्यवाही का सम्बन्ध मेरे दौरे से था जो कि ६ नवम्बर को समाप्त हुआ । दोनों घटनाओं का सम्बन्ध शान्ति तथा व्यवस्था की स्थापना से है तथा यह मामले त्रावणकोर-कोचीन सरकार के क्षेत्राधिकार में है न कि भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव में तारीख १७ दी गई है, मंत्रीजी ने १३ तारीख तथा १६ तारीख का वृत्तांत दिया है, शायद इसमें कोई गलती है, मैं इस प्रस्ताव के प्रस्तावक से जानना चाहता हूं कि जिस घटना का उन्होंने उल्लेख किया है, वह किस दिन हुई है ।

श्री श्रीकान्तन नायर : यह १७ तारीख को हुई है ।

डा० काटजू : मुझे इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं कि क्या उस दिन कोई सभा हुई थी मेरी सूचना यह है कि यह सारी बातें १३ तारीख तथा १६ तारीख को हुईं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी कठिनाई यह है कि प्रस्ताव में निश्चित रूप से १७ तारीख दी गई है । या तो इसमें कुछ गलती है या माननीय मंत्री.....

डा० काटजू : मैं १७ तारीख के सम्बन्ध में भी पूछताछ करूंगा । अन्यथा, मुझे जो लम्बा संदेश मिला है उसमें १७ तारीख के बारे में कोई भी बात नहीं दी गई है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : जैसे कि मैं निवेदन कर चुका हूं, हमने इस प्रस्ताव की सूचना श्री ए० के० गोपालन से एक तार प्राप्त करने के बाद दी है तथा इसमें १७ तारीख दी गई है, मुझे मालूम नहीं कि क्या इसमें टाइप की अथवा अन्य कोई गलती है

परन्तु इस घटना का सम्बन्ध कार्यमाकुलम में ऐसी ही परिस्थितियों में हुई बातों से है.....

डा० काटजू : मैं समझता हूं कि वक्ता भी वही हैं तथा गिरफ्तार हुए व्यक्ति भी वही हैं।

श्री सारंगधर दास : क्या मंत्री जी ने त्रावणकोर-कोचीन सरकार को यह सूचना देते हुए इस तारीख का निश्चित रूप से उल्लेख किया था ?

डा० काटजू : मैंने इस प्रस्ताव का सारा पाठ त्रावणकोर-कोचीन सरकार को भेज दिया था तथा उत्तर में मुझे एक लम्बा तार मिला है।

अध्यक्ष महोदय : मामला अब बिल्कुल स्पष्ट है, यह शान्ति तथा व्यवस्था का एक प्रश्न जो कि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है, प्रस्ताव में दो महत्वपूर्ण मामलों की ओर निर्देश किया गया है, एक यह कि निर्वाचन आन्दोलन वहां जारी था तथा दूसरा यह कि गृह मंत्री वहां गये थे। मैंने समझा था कि मुझे गृह मंत्री से वास्तविकता की जानकारी प्राप्त होनी चाहिये। इसके अलावा और भी एक जटिलता है, इस सम्बन्ध में शायद कोई कानूनी कार्यवाही होने वाली है, तथा यहां चर्चा की अनुमति देकर मैं इस पर कोई अनुचित प्रभाव नहीं डालना चाहता हूं। मैं इस प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता हूं। इस प्रस्ताव के प्रस्तावक गृह मंत्री के कथन का खंडन नहीं कर सके हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : हम इस सम्बन्ध में निश्चित हैं कि यह सब कुछ निर्वाचन आन्दोलन के सिलसिले में हुआ है, वहां पंचायतों के चुनाव समाप्त हुए हैं तथा विधान सभा के चुनावों के लिये तैयारी हो रही है, हमें इन घटनाओं के सम्बन्ध में बिल्कुल भिन्न सूचना है।

अध्यक्ष महोदय : हमें इन बातों में नहीं जाना चाहिये। मेरे विचार में मैं अपनी अनुमति नहीं दे सकता हूं।

अब हम अगली कार्यवाही पर जाते हैं।

सदन का कार्यक्रम

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम) : माननीय मंत्री द्वारा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व मैं आप से निवेदन करूंगा कि यह विधेयक अर्थात् धोतियां (अतिरिक्त उत्पादन-कर) विधेयक परसों अपरान्ह को प्रस्तुत किया गया है तथा इसे कल प्रातः संशोधित कार्य-सूची सहित परिचालित किया गया। कल रविवार होने के कारण हम अपने संशोधन पेश नहीं कर सकते थे, मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि क्या आप एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित नहीं कर सकते हैं जिसके अन्तर्गत कि संशोधन प्राप्त करने के लिए सरकार कम से कम २४ घंटे पहले विधेयक भेजा करेगी ?

दूसरी बात यह है कि प्रतिदिन विधेयकों का क्रम बदल दिया जाता है जिससे कि कठिनाई होती है क्योंकि सदस्य सदन की कार्यवाही के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : श्रीमान् डा० लंका सुन्दरम् ने औचित्य का जो प्रश्न उठाया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस सिलसिले में प्रक्रिया नियमों का नियम ७४ भी स्थिति को स्पष्ट करता है। विधेयक २१ तारीख को प्रस्तुत किया गया; २२ तारीख छुट्टी थी। विधेयक कल परिचालित किया गया। विधेयक की पुरः स्थापना में तथा विचार प्रस्ताव में दो दिन का अन्तर नहीं रहा है।

इसके अलावा जबकि एक विधेयक पहले ही सदन के विचाराधीन है, यह दूसरा विधेयक कैसे बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा पूर्व प्रस्ताव के सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि सरकार पहले प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव पर विचार उपस्थगित करना चाहती थी तो इस सम्बन्ध में उसे एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिये था न कि यह सचिव अथवा

[श्री एस० एस० मोरे]

कोई अभिकरण कार्यसूची में परिवर्तन करे। इस तरह से हमें विधेयकों पर ध्यानपूर्वक विचार करने का मौका नहीं मिलता है तथा इन में त्रुटियां रह जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : पहली आपत्ति सही है। मुझे मालूम नहीं कि सरकार क्यों आज ही धोतियां (अतिरिक्त उत्पादन कर) विधेयक को पूर्ववादिता देना चाहती है। मुझे मालूम नहीं कि यह विधेयक इसमें क्यों शामिल किया गया।

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : पिछले दिन वित्त मंत्री जी ने बताया कि हम बैंकिंग समवाय अधिनियम पर बाद में विचार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोरे ने स्वयं यह सुझाव दिया था तथा वित्त मंत्री ने यह मान लिया था कि वह सदन पटल पर कुछ आवश्यक उद्धरण अथवा प्रतियां रखेंगे। यह उपलब्ध करने के लिए ही उस विधेयक पर अग्रेतर विचार उपस्थगित करना आवश्यक बन गया।

डा० लंका सुन्दरम् : प्राचीन स्मारक विधेयक की भी यही दशा हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आइये हम प्रक्रिया के अनुसार काम करेंगे विशेषकर जब कि नियमों का पालन करने पर इतना ज़ोर दिया जाता है।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : इस सम्बन्ध में एक लम्बा स्मृतिपत्र प्रस्तुत किया जाना था। हम ने कहा था कि हम ५०० प्रतियां प्रदाय करने का अधिकाधिक प्रयत्न करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : स्वभावतः इसमें कुछ समय लग जाता। इसलिए इस पर तब तक विचार नहीं हो सकता जब तक कि वह प्रतियां उपलब्ध न होतीं।

श्री एस० एस० मोरे : सरकार भी यह कारण दे सकती थी।

अध्यक्ष महोदय: मुझे मालूम नहीं कि यह धोतियां (अतिरिक्त उत्पादन कर) विधेयक, कैसे बीच में आ गया, यह बात स्पष्ट थी कि अध्यादेशों को पहले लिया जायगा। परन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि सरकार अपनी मर्ज़ी से विधेयकों को किसी भी क्रम में रख सकती है। हमें अध्यादेशों को पहले लेना चाहिये। यदि वह चाहे तो औद्योगिक विवाद (संशोधन) को विचारार्थ लिया जा सकता है, वह भी एक अध्यादेश है। इस विधेयक को क्यों लिया जाये?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : श्रीमन्, क्या मैं एक निवेदन करूं? इस विधेयक को कब विचारार्थ लिया जायगा?

अध्यक्ष महोदय: ज्योंही औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक पर चर्चा समाप्त होगी।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : श्रीमन्, कार्यक्रम सलाहकार समिति ने इस मामले पर विचार करके निश्चय किया है। क्या यह उचित नहीं होगा कि इस परिवर्तन के कार्यक्रम सलाहकार समिति के निश्चय के बाद अन्तिम रूप दिया जाये?

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यह होगा कि सदन आज बिना कोई काम किये ही विसर्जित होगा।

श्री एस० एस० मोरे : प्राचीन स्मारक विधेयक भी।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि कार्यक्रम सलाहकार समिति ने अध्यादेशों को पूर्ववादिता देने का निश्चय किया है। मेरे विचार में यदि हम औद्योगिक विवाद (संशो-

धन विधेयक पर चर्चा करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं होगी।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

मैं इस संक्षिप्त विधेयक के उपबन्धों पर छोटा सा वक्तव्य देना चाहता हूं। इस विधेयक में उन मज़दूरों को क्षतिपूर्ति के रूप में धन दिये जाने का उपबन्ध है जिन्हें मिल मालिक विवशतावश कुछ काल के लिये नौकरी से हटा देंगे या जिनकी छटनी कर देंगे। यह ठीक है कि इन उपबन्धों को एक अध्यादेश के द्वारा अस्थायी वैधानिक मंजूरी दी गई है क्योंकि कपड़ा उद्योग में एकाएक संकट पैदा हो गया था जो मैं समझता हूं कि अब खत्म हो गया है। इस विधेयक में जितनी बातें दी हुई हैं सरकार ने उन पर काफी समय तक विचार किया था। छंटनी का मामला चार वर्ष पुराना है और इस पर १९४९ से त्रिदलीय और द्विदलीय बैठकों में विचार विमर्श हो चुका है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

इस विधेयक में दिये गये उपबन्धों के समान जो उपबन्ध हैं, और जो श्रम सम्बन्ध विधेयक में सम्मिलित कर लिये गये थे, गत संसद् के खत्म हो जाने के साथ साथ उनकी अवधि भी समाप्त हो गई। श्रम के मामले पर सभी सन्निहित हित वाले पक्षों के परामर्श से काफी समय तक विचार किया गया।

स्थायी श्रमसमिति के गत सत्र में, जो जुलाई में हुआ था, 'ले ऑफ' (विवशतावश कुछ काल के लिये मज़दूरों को नौकरी से हटाने) के सम्बन्ध में मिल मालिकों तथा मज़दूरों के प्रतिनिधियों में एक समझौता हुआ और वे इस बात के लिये उत्सुक थे कि इसे यथा सम्भव शीघ्र कानून में मिला लिया जाय। इन उपबन्धों पर सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा अनेक अवसरों पर काफ़ी विचार किया गया है। मिल मालिकों को समय समय पर विवशतावश मज़दूरों को नौकरी से हटाना पड़ता है, अर्थात् कभी कभी विभिन्न कारणों से वे सभी मज़दूरों या कुछ मज़दूरों को नौकरी नहीं दे सकते। कोयले बिजली की कमी से या कच्चा माल न मिलने के कारण मिल बन्द करनी पड़ती है या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मिलों में बहुत माल इकट्ठा हो जाय जिससे कि मिल बन्द करनी पड़े ऐसे मौकों पर मिल मालिक सभी मज़दूरों को काम नहीं दे सकते। जब देश में इस तरह से जब तब बेरोज़गारी हो जाती है तो मज़दूरों को दूसरी नौकरी मिलना कठिन हो जाता है और उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह कहना तर्कयुक्त न होगा कि ऐसी परिस्थितियों पर मिल मालिकों का भी वश नहीं होता तो ऐसी प्राकृतिक तथा विवश परिस्थितियों में उससे मज़दूरी देने के लिये क्यों कहा जाय। 'ले ऑफ़' को उद्योग में एक अनिवार्य कार्य के रूप में मान लिया जाना चाहिये। 'ले ऑफ' के परिणामस्वरूप उद्योग का जो खर्च हो उसे उद्योग का उचित खर्च समझा जाना चाहिये। मिल मालिकों पर इसका बहुत अधिक भार न पड़े इसलिये इस विधेयक द्वारा क्षतिपूर्ति को सामान्य मज़दूरी के ५० प्रतिशत के हिसाब से एक वर्ष में ४५ दिन तक के लिये ही सीमित किया जा रहा है। यह तथा अन्य उपबन्ध मिल मालिकों तथा मज़दूरों के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप बने हैं। छटनी के प्रश्न पर भी बहुत समय तक विचार किया गया था। इस मामले में दोनों दलों में उतना सामंजस्य नहीं हुआ जितना कि 'ले आफ' के मामलों

[श्री वी० वी० गिरि]

में। फिर भी मैं समझता हूं कि ये दोनों दल एक दूसरे की कठिनाई को समझते हैं। कई मिल मालिकों का यह कहना है कि यह अधिक अच्छा है कि मज़दूरों के छंटनी लाभ उनकी कुल मज़दूरी पर आधारित न होकर उनकी मूल मज़दूरी पर आधारित हों। इस विधेयक के उपबन्ध अधिकांशतः औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिये गये पंचाटों तथा प्रगतिशील मिल मालिकों द्वारा अपनाई गई प्रथा पर आधारित हैं। किन्तु इसमें ऐसे अन्तर नहीं हैं जिनसे इस योजना के आधार पर प्रभाव पड़े। छंटनी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है जिसके विषय में मतभेद हो सकता है। मिल मालिकों की यह मांग है कि उन्हें अपनी आवश्यकतानुसार अपने मज़दूरों की संख्या को घटाने बढ़ाने का अधिकार होना चाहिये और छंटनी के मामले तथा इस संख्या के मामले को न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं भेजना चाहिये। किन्तु मज़दूरों का यह कहना है कि यह अधिकार दूसरों को बिना किसी शर्त के नहीं दिया जा सकता, क्योंकि छंटनी के परिणामस्वरूप शेष मज़दूरों पर कार्य का अधिक भार पड़ता है या महत्वपूर्ण विभागों के कार्य पर असर पड़ता है, इसलिये इसका न केवल छंटनी किये मज़दूरों से अपितु जो मिलों में काम पर रह जाते हैं उनसे भी सम्बन्ध है। किन्तु जब देश में मन्दी तथा बेरोज़गारी हो उस समय सरकार के लिये वर्तमान कानून में परिवर्तन करना उचित नहीं है। निस्सन्देह ऐसा होना चाहिये कि मिल मालिक आवश्यक छंटनी कर सकें किन्तु मज़दूरों के लिये भी तो संरक्षण होना चाहिये। वर्तमान कानून यह है कि जब छंटनी का मामला उपस्थित हो तो सम्बद्ध सरकार इस बात का निश्चय कर सकती है कि इस मामले को न्यायनिर्णयन के लिये किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण में भेज दे या नहीं। इस सम्बन्ध में सरकार का यह विचार है कि यह स्थिति अभी ऐसी ही रहनी चाहिये।

इस विधेयक की आलोचना की जा सकती है क्योंकि इससे मज़दूर या मिल मालिक पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं हो सकते। सरकार ने दोनों ही के लिये समान कार्य किये हैं और दोनों पक्षों की शिकायतें रहने से ही यह पता चलता है कि सरकार ने दोनों पक्षों की कठिनाइयों का ख्याल रखा है। दोनों पक्षों की एक दूसरे के प्रति विरोधात्मक मांगें हैं। ऐसी अवस्था में मध्यस्थ की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। इस समय मिल मालिकों को भी, जिन बातों के लिये उन्होंने गत काल में व्यवस्था नहीं की थी, उन पर होने वाले व्यय को उचित व्यय समझना चाहिये। वे मशीनों को ठीक रखने तथा उनके बिगड़ जाने पर उनके बनवाने पर खर्च करते हैं। उसी प्रकार उन्हें मज़दूरों के लाभ के लिये भी खर्च करना चाहिये। इस के साथ साथ मज़दूरों को भी अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्त्तव्यों को भी समझना चाहिये। यदि मज़दूर छंटनी या बेकारी की अवधि के लिये क्षतिपूर्ति मांग सकते हैं तो उन्हें मिल मालिकों के लाभ का भी ध्यान रखना चाहिये। यह हो सकता है कि कभी कभी हड़ताल करना ठीक और आवश्यक हो, किन्तु मैं उनकी 'कम काम करने' की नीति को बहुत बुरा समझता हूं।

मज़दूरों को यह बात समझ लेनी चाहिये कि उनका कल्याण मिल मालिकों के कल्याण पर आधारित है और उनको नुकसान पहुंचाने के लिये जो काम किया जायगा उससे मज़दूरों को भी नुकसान होगा। मैं मानता हूं कि इस विधेयक के कारण उन मिल मालिकों पर, जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक इस खच को स्वीकार नहीं किया था, कुछ अतिरिक्त भार आ जायगा। किन्तु यदि मज़दूरों में ठीक काम करने

की भावना आ जाय तो यह भार उचित सिद्ध होगा। मज़दूरों को जो लाभ होगा उससे उनका यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह उद्योग की समृद्धि के लिये काम करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : मैंने इस सम्बन्ध में एक संशोधन भेजा है कि यह विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास यह संशोधन नहीं है। आपने यह संशोधन कब भेजा था।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैंने यह आज सवेरे भेजा था।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के संशोधनों की सूचना २१ तारीख को ही आ गई थी। मैं इस संशोधन के लिये अनुमति नहीं दे सकता।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : श्रीमान् जी, कृपया हमें यह बताइये कि क्रम पत्र में दिये गये विधेयकों पर किस क्रम के अनुसार चर्चा होगी जिससे कि हम उस विधेयक के बारे में तय्यार होकर आ सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्रम पत्र की सूची के अनुसार ही विधेयकों को लिया जाता है। क्रम पत्र में पांच या छै विधेयक दिये जायेंगे। माननीय सदस्य उन पर अपने संशोधन भेजें, चाहे वे परिचालन के लिये हों अथवा प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के लिये हों और या वे खण्डों के लिये संशोधन हों।

जिस दिन सरकार क्रम पत्र में परिवर्तन चाहती हो उससे पहिले वह सदन को सूचित कर दे कि अमुक विधेयक अन्य विधेयकों से पहिले लिया जायगा। इसलिये माननीय सदस्यों को क्रम पत्र में दिये गये पांच या छै विधेयकों के सम्बन्ध में तय्यार होकर आना चाहिये।

डा० लंका सुन्दरम् : इसमें एक शर्त है। जब सरकार इस क्रम में परिवर्तन करे तो सदस्यों को इतना पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये जिससे वे अपने संशोधनों की सूचना दे सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने मेरी बात को गलत समझा है। क्रम पत्र में दिये गये विधेयकों के बारे में सदस्यों को जब सूचना दी जायगी उस समय से ही सूचना की अवधि मानी जायगी। इससे विधेयकों की पूर्वता में किये गये परिवर्तन से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। सरकार एक दिन पूर्व यह बतला देगी कि अमुक विधेयक के स्थान पर यह विधेयक लिया जायगा।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर दक्षिण) : कठिनाई तो तब पैदा होती है जब बिना किसी सूचना के क्रम पत्र में परिवर्तन कर दिया जाता है। हमें यह बताया जाना चाहिये कि कौन सा विधेयक किस तारीख को लिया जायगा।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि कल कौन सा विधेयक लिया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्रम पत्र में जो विधेयक दिये हुए हैं। जो विधेयक क्रम पत्र में न दिये हुए हों, उन्हें सूचना दिये बिना क्रम पत्र में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। क्रम पत्र में सम्मिलित कर लिये जाने के बाद संशोधन भेजने के लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये। जो क्रम पत्र में विधेयक दिये हुए हों उनकी पूर्वता की सूची में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये।

श्री एस० एस० मोरे : औद्योगिक विवाद विधेयक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और सदस्य उस पर अपने संशोधन भेजना चाहते हैं अध्यक्ष यह वाद विवाद निरर्थक हो जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस क्रम में परिवर्तन नहीं करना चाहता । अब श्री एन० श्रीकान्तन नायर अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में इतनी कमियां हैं कि मजदूरों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा । हमारा ख्याल है कि 'ले ऑफ' (विशेष परिस्थितियों में किन्हीं मज़दूरों को नौकरी से अलग करना) की परिभाषा में "लाक आउट" (तालाबन्दी) भी शामिल किया जाये । विधेयक में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है जिससे कि मज़दूर को राहत मिल सके ।

मैं कुछ मामलों के बारे में जानता हूं जिनमें श्रम मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया और समझौता अधिकारी ने समझौते की कार्यवाही भी की, परन्तु त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने उसके फैसलों पर अमल करने से इंकार कर दिया और मामला फिर श्रम मंत्रालय को भेजा गया । पिछले एक वर्ष में इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ है । खैर, इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है । परन्तु यह विधेयक भी बहुत अपर्याप्त है । एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि "ले ऑफ़" का तो उल्लेख है, "लाक आउट" का नहीं ।

श्री वी० वी० गिरि : मैं "लाक आउट" को भी सम्मिलित कर रहा हूं ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : इसके लिये मैं माननीय मंत्री का कृतज्ञ हूं ।

एक बात और है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । विधेयक में एक कारखाने में काम करने वाले मज़दूरों की कम से कम संख्या पचास रखी गई है । परन्तु मेरा निवेदन यह है कि आधुनिक यंत्र युग में यह संख्या बहुत ज़्यादा है । मेरा सुझाव है कि यह संख्या घटा कर बिजली से चलने वाले तथा बिजली से न चलने वाले कारखानों में क्रमशः १० तथा २० कर दी जाये । यदि ऐसा न किया गया तो बहुत से कारखानों में काम करने वाले मज़दूर इस विधेयक द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ न उठा सकेंगे ।

जहां तक २४० दिन की उपस्थिति का प्रश्न है, मैं समझता हूं यह संख्या भी घटा कर लगभग २०० की जानी चाहिये ।

सदन में सब बातों की ओर निर्देश करना बहुत मुश्किल है; इसीलिये मैंने यह सुझाव दिया है कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये ।

पृष्ठ ४ पर एक सूची दी हुई है जिसमें यह बताया गया है कि अमुक अमुक दशा में मजदूरों को विशेष परिस्थितियों में नौकरी से अलग किये जाने पर प्रतिकार प्राप्त करने का हक़ नहीं होगा । उसमें एक दशा यह है :

"यदि वह उसी संस्थान में, जहां से कि उसे किन्हीं परिस्थितियों के कारण नौकरी से अलग किया गया हो, किसी वैकल्पिक काम को स्वीकार करने से इंकार कर दे और यदि मालिक की राय में ऐसे वैकल्पिक काम.....'

यदि यह बात 'मालिक की राय' पर ही छोड़ दी गई तो बड़ी तबाही मच जायेगी और मज़दूरों का अहित हो जायेगा । अतः यह खंड मेरी राय में निकाल दिया जाना चाहिये ।

एक दूसरी दशा यह है कि यदि किसी मज़दूर को संस्थान के दूसरे भाग में मज़दूरों द्वारा हड़ताल किये जाने या उत्पादन काम धीमा किये जाने के कारण अलग किया गया हो तो ऐसे मज़दूर को प्रतिकार नहीं दिया जायेगा । इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यहां "जान बूझ कर" शब्द अवश्य रखे

जान चाहियें--"उत्पादन जान बूझ कर धीमा किये जाने के कारण....."।

'छंटनी की प्रक्रिया' सम्बन्धी खंड में ये शब्द आते हैं :

"यदि कारण न अभिलिखित कर दिये जायें....." । मेरा कहना यह है कि यदि कारण के पहले "सन्तोषजनक" शब्द और रख दिया जाये तो मज़दूरों का बहुत सुरक्षण हो जायेगा ।

अब मैं 'बदली' मज़दूरों का प्रश्न लेता हूं । वस्त्र उद्योग में तो २० प्रतिशत से भी अधिक मज़दूर 'बदली' हैं । वे रोज़ फैक्टरी आते हैं परन्तु उन्हें महीने में अधिक से अधिक दस-पन्द्रह दिन ही काम मिलता है । ऐसे मज़दूरों की दशा पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

इनके अलावा और भी बहुत से ऐसे मामले हैं जिन पर सदन में ठीक तरह से चर्चा नहीं हो सकती । इसलिये मेरा सुझाव है कि यदि माननीय मंत्री को कोई आपत्ति न हो तो यह विधेयक सात व्यक्तियों की छोटी सी प्रवर समिति को सौंप दिया जाये ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को श्री वी० वी० गिरि, श्री कामाख्य प्रसाद त्रिपाठी, श्री खंडूभाई कासन जी देसाई, श्री टी० बी० विट्ठल राव, श्री शान्तिलाल गिरधरलाल पारिख, श्री शंकर शांताराम मोरे और प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये तथा समिति को १ दिसम्बर, १९५३ तक रिपोर्ट पेश करने का अनुदेश दिया जाये ।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

डा० लंका सुन्दरम् : थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इस विधेयक की पुरःस्थापना में वस्त्र उद्योग में के संकट का बहुत कुछ योग है । वस्त्र उद्योग में के संकट के सम्बन्ध में कुछ कहने से पहले मैं इस विधेयक में समाविष्ट दो-तीन बातों की ओर निर्देश करना चाहता हूं ।

मैं समझता हूं कि विधेयक के खंड २ के उपखंड (टटट) में जो परिभाषा दी हुई है उससे मालिकों को "ले ऑफ़" (विशेष परिस्थितियों के कारण मज़दूरों को काम से अलग करना) का सहारा लेने की प्रेरणा मिलेगी । मेरे ख्याल में परिभाषा इतनी विस्तीर्ण नहीं होनी चाहिये ।

दूसरी बात मैं विधेयक की धारा २५ क के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । इसमें जो अपवाद वर्णित हैं उनमें ऐसे औद्योगिक उपक्रमों को सम्मिलित नहीं किया गया है जो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में, आते हैं । मैं चाहता हूं कि ये भी उसके अन्तर्गत शामिल किये जायें ।

मेरे पास एक पत्र है जो मुझे, श्रमिक-संघ के प्रधान के नाते, पोत-निर्माणक कारखाने के प्रबन्ध संचालक से प्राप्त हुआ है । उसमें उन्होंने मुझ से यह कहा है कि मैं दक्ष श्रमिकों को अदक्ष कार्य करने पर राजी करूं । अब मैं सदन से यह कहना चाहता हूं कि "ले आफ़" की वर्तमान परिभाषा के अन्तर्गत केवल पोत-निर्माणक कारखाने के मज़दूरों का ही नहीं बल्कि अन्य मज़दूरों का भी अनहित होगा ।

जहां तक वस्त्र उद्योग का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि कुछ सप्ताह पूर्व ही इस उद्योग को जो कुछ दिया गया था वह अब वापिस लिया जा रहा है । इस प्रकार, जो कठिनाई अभी कुछ दिन पूर्व ही हल की गई थी वह पुनः उठ खड़ी होगी । बस मुझे यही चिन्ता है कि इस विधान द्वारा वस्त्र उद्योग में का संकट फिर से खड़ा हो जायेगा ।

[डा० लंक सुन्दरम्]

एक बात मुझे यह कहनी है कि मुझे यह पता चला है कि जहां तक इस विधान विशेष का सम्बन्ध है त्रिदलीय सम्मेलन में कोई समझौता नहीं हुआ था। दूसरे शब्दों में मालिकों का कहना है कि उन्होंने "ले आफ़" के प्रश्न तथा इस उपबन्ध में किये गये प्रबन्ध के वित्तीय आभारों को स्वीकार नहीं किया है। मैंने इस समय संक्षेप में ही ये सब बातें कही हैं क्योंकि बाद में खंडशः विचार के दौरान में भी मैं कुछ कहने की आशा रखता हूं।

श्री एस० एस० मोरे : यद्यपि मैं यह मानता हूं कि प्रस्तुत विधेयक में मज़दूरों की व्यथाओं के निवारण के लिये पर्याप्त उपबन्ध नहीं हैं, तथापि मैं विधेयक प्रस्तुत करने के उद्देश्य की सराहना करता हूं। संक्षेप में मैं यह बताऊंगा कि इसमें मुख्य दोष क्या हैं।

पृष्ठ २ में "निरन्तर सेवा" की परिभाषा ठीक नहीं है। इसमें कई और बातों को भी शामिल किया जाना चाहिये था। इस सम्बन्ध में मैं जून १९५३ में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६ वें अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट की ओर निर्देश करूंगा। यह रिपोर्ट इस संगठन के सब सदस्यों को परिचारित की गई है। हम भी इस संगठन के सदस्य हैं और इसलिये उसके द्वारा पारित संकल्प का पालन करने के लिये बाध्य हैं। इसमें जिन जिन अवस्थाओं के अन्तर्गत होने वाली अनुपस्थिति को नौकरी के जारी रहे आने में बाधा पहुंचाने वाली नहीं समझी जानी थी सिफारिश की गई है, हमें भी उन्हें मान लेना चाहिये।

(ट ट ट) में दी गई परिभाषा में "similar reasons" ("समान कारणों") शब्द हैं। मैं समझता हूं कि "similar" ("समान") शब्द रख कर हमें इस खंड विशेष का क्षेत्र सीमित नहीं रखना चाहिये। यह "similar" ("समान") शब्द हटा दिया जाना चाहिये।

इसी परिभाषा में ये शब्द आते हैं : "who has not been retrenched" ("जो निकाला न गया हो") मैं समझता हूं कि इसके मालिकों को किसी व्यक्ति को निकालने की प्रेरणा मिलेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि "retrenched" शब्द पर्याप्त रूप से विशेषित होना चाहिये था। उदाहरणार्थ, ये शब्द भी उपबन्ध होने चाहिये थे कि "उचित कारणों से".....।

नये अध्याय ५ क के खंड २५ क (क) में ५० की सीमा बहुत अधिक है, यह कम की जानी चाहिय।

खंड २५ क (ख) में जो उपबन्ध है उसका दुरुपयोग हो सकता है। उदाहरणार्थ, चीनी बनाने वाले बड़े बड़े कारखाने भी इस वर्ग में आ जायेंगे और उनमें काम करने वाले कर्मचारी इसके लाभ से वंचित हो जायेंगे। इस सम्बन्ध में भी कुछ किया जाना चाहिये ताकि ये अपवाद कम से कम लोगों पर लागू हो।

प्रस्तुत विधेयक के कुछ खंडों में यह कहा गया है "यदि इसके विपरीत कोई समझौता न हो तो"। मेरा कहना यह है कि हो सकता है कि किसी मज़दूर से, उसे फ़ुसला बहला कर, किसी समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिये गये हों और फिर उस समझौते का फ़ायदा उठाया जाये। इसलिये किसी भी ऐसे समझौते को मान्य न समझा जाये जिसके बारे में किसी अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकार ने यह न कह दिया हो कि अमुक समझौता दोनों के हित में है। यदि ऐसा न किया गया तो यह उपबन्ध हानिकारक सिद्ध हो सकता है।

मैं इस विधेयक पर और कुछ अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि सदन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस क्षेत्र में विशेष ज्ञान है। मेरा ख्याल है कि यदि श्रम मंत्री इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव मान लें तो इसमें अधिक सुधार होने की सम्भावना है।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरभंगा) : मैं इस विधान का स्वागत करता हूं जो सरकार द्वारा लाया जा रहा है।

गत कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि जब घाटा होने लगता है तो उद्योगपति छंटनी तथा 'ले ऑफ़' के द्वारा घाटे का आभार मज़दूरों पर डाल देते हैं। अभी कुछ ही दिनों की बात है कि इंग्लैण्ड में चाय के दामों में ऐसा हेर फेर किया गया कि चाय के दाम बहुत गिर गये। इस प्रकार उद्योग को जो घाटा होने वाला था वह छंटनी तथा 'ले ऑफ़' के द्वारा मज़दूरों पर लाद दिया गया। इसके अतिरिक्त सरकार पर भी दबाव डाला गया और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और शुल्क को घटाना पड़ा। हिसाब लगाया गया था कि उद्योग को इस के कारण दस प्रतिशत का घाटा होगा परन्तु वह घाटा या तो सरकार पर लाद दिया गया या मज़दूरों पर। १९५२, इस उद्योग के लिये, गतिरोध का वर्ष था फिर भी अस्सी प्रतिशत चाय बगानों ने लाभ उठाया। सरकार को तीन चार करोड़ रुपये का घाटा बरदाश्त करना पड़ा जबकि मज़दूरों को कई करोड़ रुपये का घाटा सहन करना पड़ा।

पटसन, सूती कपड़े तथा अन्य उद्योगों में भी इसी युक्ति से काम लिया गया। यह बहुत ही खतरनाक तरीका उद्योगों ने मंदी की समस्या का सामना करने का निकाला है। सरकार भी विवश थी क्योंकि अपनी तथा मज़दूरों की रक्षा करने के लिये, उसके पास कोई विधान नहीं था। वैयक्तिक तथा राष्ट्रीय उद्योगों का अन्तर बताते हुए एक सज्जन 'श्री कप' ने अपने ग्रन्थ, 'दि स्पेशल कास्ट आफ़ प्राइवेट इंटर प्राइज़', में लिखा भी है कि वैयक्तिक उद्योग, राष्ट्रीय उद्योग की अपेक्षा कम खर्चे से चल सकता है क्योंकि घाटा होने पर वह घाटे का भार समाज पर डाल देता है।

सरकार ने इस खतरे का सामना करने के लिये इस विधान का प्रबन्ध किया है जो पहले अध्यादेश के रूप में लागू किया गया था। इसी प्रकार का अध्यादेश १९५२ में चाय उद्योग के संकट के समय हमारी सहायता कर सकता था। आय व्ययक वार्ता के अवसर पर सरकार ने स्पष्ट रूप से वचन दिया था कि मज़दूरों के हितों पर कोई आंच न आने पावेगी। परन्तु अवसर आने पर सरकार मज़दूरों के हितों की किसी प्रकार रक्षा नहीं कर पाई।

[**श्री पाटस्कर** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

मुझे प्रसन्नता है कि सूती कपड़े के उद्योग के गतिरोध के अवसर पर, सरकार ने यह अध्यादेश जारी किया और अब इस विधान का प्रबन्ध कर रही है।

इस विधान का उद्देश्य यह है कि यदि कोई उद्योग अनुभव करे कि उसे छंटनी इत्यादि करने की आवश्यकता है तो वह मज़दूरों को ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति अदा करे। परन्तु जिन लोगों ने फ़ैक्टरीज़ अधिनियम तथा इसी प्रकार के अधिनियमों के उपलेख बनाये थे उन्हीं लोगों ने इस विधेयक का भी उपलेख तय्यार किया है। परन्तु फ़ैक्टरीज़ अधिनियम तो, मज़दूरों के बजाय, अधिक अंशों में, मालिकों की ही रक्षा करने के लिये बनाया गया था। उसी की भाषा वैसे ही उठा कर इस विधान में भी रख दी गई है। उसका परिणाम यह हुआ है कि यह विधान मज़दूरों को वह सहायता पहुंचाने में असमर्थ है जिसे पहुंचाने

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

के लिये इसका प्रबन्ध किया गया था । इस विधेयक का जो आधारभूत सिद्धान्त है उसके अनुसार तो, जिस उद्योग को एक बारगी छंटनी इत्यादि की आवश्यकता पड़ जाय तो उसका कर्तव्य है कि वह मज़दूरों की क्षतिपूर्ति करे जिससे मज़दूर जीवित रह सकें । अन्यथा एक बारगी मज़दूरों की एक बहुत बड़ी संख्या की छंटनी हो जाती है; समाज के उतने हिस्से की क्रय शक्ति समाप्त हो जाती है तथा इस देश का सारा विक्रय संगठन धराशायी हो जाता है । गत कई वर्षों से हमारे देश में यही हो रहा है ।

यदि हमारे देश की क्रय शक्ति एक बारगी २० प्रतिशत भी कम हो जाय तो उसका प्रभाव यह होगा कि उससे सम्बन्धित सारे ही उद्योगों में मंदी आ जायेगी जिससे और भी घाटा होगा । इसीलिये यह विधान मज़दूरों की क्रय शक्ति की रक्षा करने के लिये बनाया जा रहा है । इस दृष्टिकोण से क्षतिपूर्ति की आवश्यकता की कसौटी छंटनी इत्यादि की आवश्यकता होनी चाहिये न कि यह कि उस मज़दूर ने लगातार ६ महीने या साल भर या कई वर्ष तक काम किया हो । इस प्रकार हम जो लाभ मज़दूरों को पहुंचाना चाहते हैं न वही पहुंचेगा और न वह समस्या ही हल होगी जो हम हल करना चाहते हैं ।

भारतीय मज़दूर के पास कोई संचित निधि नहीं होती है जिसका वह बुढ़ापे या बेकारी में प्रयोग कर सके । इसलिये यदि आप कहते हैं कि क्षतिपूर्ति अदा किये बिना ही मज़दूरों की छंटनी की जा सकती है तो क्षतिपूर्ति की धन राशि निर्धारित करने का कार्य मालिकों के ही हाथ में रहेगा और हो सकता है कि मालिक क्षतिपूर्ति न अदा करें । तब मामला न्यायाधिकरण के पास जायेगा और न्यायाधिकरण तीन साल का समय लेगा । क्या वह बेकार मज़दूर तीन साल तक राह देख सकता है ? इसीलिये हमें ऐसे विधान की आवश्यकता है जो अत्यन्त सरल हो तथा उसके प्रभाव को नष्ट करने का कोई मार्ग शेष न रहे । सरकार, मालिक तथा मज़दूर सभी को यह विश्वास रहे कि छंटनी होते ही मज़दूर क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी हो जायेंगे । क्षतिपूर्ति की धनराशि चाहे कम हो परन्तु ऐसी हो जो सभी को मालूम हो । जब मैंने सुना था कि इस क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में सरकार, मज़दूरों तथा मालिकों के बीच में कोई क़रार हो गया है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी । परन्तु मैं देखता हूं कि फ़ैक्टरीज़ अधिनियम वाली क्षतिपूर्ति पाने की शर्त इसमें भी रख दी गई है । फ़ैक्टरीज़ अधिनियम के लिये तो यह शर्त ठीक है क्योंकि कुछ निश्चित दिनों तक कार्य करने पर मज़दूरों को मालिक से कुछ निश्चित सुविधायें प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है । यहां प्रश्न यह नहीं है कि किसी मज़दूर ने कितने दिन कार्य किया है वरन् यह है कि मालिक छंटनी करने के लिये विवश है और इस बेकारी के समय में मज़दूर कुछ कमा नहीं सकता है ।

आसाम की पहाड़ियों में मैंने देखा था कि सप्ताह में एक दिन, शनिवार को, मज़दूरों से कार्य नहीं लिया जाता है एक दिन के लिये वह बेकार रहता है परन्तु कहीं कमाने के लिये नहीं जा सकता क्योंकि सोमवार को उसे काम पर जाना है । अनेक उद्योगों में काम करने वाले मज़दूरों के रहन सहन की परिस्थितियों की जांच करने वालों के प्रतिवेदन देखिये । चाय बग़ान के मज़दूरों की रहन सहन की हालत पर एक डाक्टर ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । उसका कहना है कि मज़दूरों की हालत इतनी ख़राब है कि बच्चे पैदा होने के अवसर पर ही अनेकों मृत्युएं हो जाती हैं । इसीलिये मैं माननीय मंत्री से बराबर कहता रहा हूं कि इसकी जांच करना चाहिये कि कहां

तक मजदूरों की अदक्षता उनकी रहन सहन की खराब हालतों के कारण हैं । मान लीजिये एक आदमी के घर की मरम्मत नहीं की गई है । रात में उसका सारा घर टपकता है जिसके कारण वह सो नहीं पाता है । दूसरे दिन प्रातः काल वह काम पर जाता है तो क्या वह दक्षता से काम कर सकता है ?

आप कहते हैं कि बिना छुट्टी लिये मजदूरों को नागा नहीं करना चाहिये । चाय बग़ानों में यह नियम है कि यदि कोई मजदूर तीन दिन तक बीमार हो जाय तो वह बीमार नहीं समझा जाता है । पश्चिमी देशों के इन नियमों के प्रयोग से आप न्याय नहीं कर सकते हैं । भारत सरकार के श्रम विभाग का [illegible] यही है कि पता लगाये कि श्रम की अदक्षता का क्या कारण है और उनके दूर करने के उपाय करे ।

इसलिये आवश्यकता यह है कि इन सारे खण्डों को फिर से तय्यार किया जाय जिनके लिये मैं संशोधन दे चुका हूं जिससे छंटनी इत्यादि होने पर हम मजदूरों को जो लाभ पहुंचाना चाहते हैं वह उनको सुगमता से मिल सके और छंटनी होने के समय किसी प्रकार का कोई संघर्ष न हो । इसीलिये मेरा विचार है कि छंटनी होने के समय तक मालिक ने किसी मज़दूर को छंटनी के योग्य नहीं समझा है तो उसका कर्तव्य है कि छंटनी करने के पश्चात् उसका पालन करे, जिस प्रकार काम न करने के समय भी मशीन को ठीक हालत में रखना आवश्यक है ।

आप कहते हैं कि उसे क्षतिपूर्ति का ५० प्रतिशत मिलना चाहिये और यदि अनायास उसे कुछ दिन का भी काम मिल जाय तो उसी मात्रा में उसकी क्षतिपूर्ति कम कर दी जाय । वह पूरी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है जिसकी जगह आप उसे आधी क्षतिपूर्ति देते हैं और उसमें से भी, यदि उसे कुछ दिन का काम मिल जाय और उसे कुछ आने मिल जायें, तो आप वह भी क्षतिपूर्ति से काट लेना चाहते हैं । आप तो ऐसा विधान बना रहे हैं जो उससे कहता है, "काम न करो, बेकार बैठे रहो ।"

छंटनी की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि यदि मालिकों तथा मज़दूरों में इसके सम्बन्ध में कोई समझौता हो जाय तो क्षतिपूर्ति अदा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । चाय बग़ान में तीन वर्ष का क़रार होता है परन्तु तीन वर्ष समाप्त होने पर उसे अधिकार होता है कि यदि चाहे तो काम पर बना रहे और घर न जाये । यदि किसी संविदा में इस प्रकार की शर्त हो तो उस पर यह खण्ड लागू नहीं होना चाहिये । आप चाय के बग़ान में काम लेने के लिये मज़दूरों को हज़ारों मील से तीन साल के लिये लाते हैं, वापस जाने पर उसका घर भी उजड़ चुकता है इसलिये घर वापस जाने के लिये उसे विवश नहीं करना चाहिये ।

छंटनी सम्बन्धी प्रक्रिया में कहा गया है "यदि किन्हीं कारणों से जो लेखबद्ध किये गये हों..........।" इसकी प्रक्रिया होना चाहिये "पहले आने वाला बाद में जायगा ।" इस प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है ।

कहा गया है कि उसको प्रतिदिन उपस्थिति लिखाना पड़ेगी । यदि आपको छंटनी करने की आवश्यकता है तो उसको प्रतिदिन बुलाने की क्या आवश्यकता है । आप उसकी छटनी भी कर दें और वह रोज़ आकर दो घंटे खड़ा रहे और आप से पूछे "क्या आप कार्य देंगे ?" यह तो बड़ा ही अन्याय है ।

मैं उद्योगपतियों से भी निवेदन करना चाहता हूं । हमारा और उनका दोनों ही का उद्देश्य है कि देश का आर्थिक संगठन सुन्दर हो, मालिकों तथा मज़दूरों के पारस्परिक व्यवहार अच्छे हों तथा उसी के लिये यह

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

विधान बनाया जा रहा है इसलिये यह विधान ऐसा होना चाहिये जिसमें उसके प्रभाव के नष्ट करने का कोई रास्ता शेष न रहे । यदि इसे इसी कार्य के लिये समिति को लौटाया जा रहा है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली) : इस प्रकार शीघ्रतापूर्वक अध्यादेश जारी करने तथा विधेयक प्रस्तुत करने की अपेक्षा यह कहीं अच्छा होता कि स्थायी श्रम समिति अथवा मज़दूरों तथा मालिकों के प्रतिनिधियों को इस बात का अवसर दिया जाता कि अध्यादेश के उपबन्धों पर वे पूरी तरह विचार कर पाते तथा अपना मत ज़ाहिर करते और तब दोनों हितों के दृष्टिकोणों की अच्छी तरह जांच करके यह विधेयक तैयार किया जाता; फिर इसमें ये कमियां न रहतीं जो अब मौजूद हैं ।

मेरे माननीय मित्र डा० लंका सुन्दरम् अभी बतला चुके हैं कि किस प्रकार इस विधेयक से कपड़ा उद्योग की कठिनाइयां बढ़ जायेंगी । यह उद्योग इस समय एक संकट अवस्था से होकर गुज़र रहा है और ऐसे समय जब कि इस संकट को टालने के लिये इसे कुछ राहत प्रदान करने की आवश्यकता थी, इस पर अतिरिक्त भार डाल कर इसकी कठिनाइयों को बढ़ाया जा रहा है ।

कुछ लोगों की यह धारणा जम गई है कि बहुत सी मिलें मज़दूरों को तंग करने के लिए अस्थायी रूप से बन्द कर दी जाती हैं अथवा उत्पादन घटा दिया जाता है । मैं इस भ्रांति को दूर करना चाहता हूं । यह तो उद्योग के हित में ही है कि उत्पादन अधिकतम स्तर पर हो और कार्य-क्षमता बढ़े । उत्पादन तथा कार्यक्षमता बढ़ने पर उसका तो लाभ ही है । उत्पादन कम करने से अथवा मिल-बन्दी से अथवा कोई पारी बन्द कर देने से तो किसी भी अन्य की अपेक्षा मिल मालिकों की ही हानि अधिक है । इसलिए यह कहना कि अपनी हानि मज़दूरों पर लादने के लिए मिल मालिक ऐसा करता है सही नहीं है ।

मैं माननीय श्रम मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि बम्बई के कपड़ा उद्योग पर 'बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम' लागू होता है किन्तु जहां तक मुआवज़े का प्रश्न है, यह संशोधक विधेयक उक्त अधिनियम के तत्सम्बन्धी उपबन्धों को निराकृत कर देगा । मेरा निवेदन है कि मामला यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए कि मज़दूरों को मुआवज़ा मिल गया । इस के बाद इस बात का कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए कि फिर भी मज़दूरों को इस बात का अधिकार रहे कि वे मिल मालिक को न्यायालय तक घसीटें ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा ३३ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । सरकार द्वारा समय समय पर आश्वासन दिया गया था कि अवसर आने पर इस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा जिससे कि वर्तमान असंतोषजनक स्थिति दूर हो । मैं समझता हूं कि अब इस सम्बन्ध में उनके लिए कार्यवाही करना सम्भव होगा तथा उक्त अधिनियम की धारा ३३ का संशोधन यथाशीघ्र किया जाएगा ।

प्रस्तुत विधेयक के अनुसार यदि किसी नियमित मज़दूर को दो घंटे तक काम न दिया जाए तो वह इस विधेयक के खण्ड (ट ट ट) के अंतर्गत आ जाएगा और मुआवज़ा पाने का अधिकारी होगा । मेरा निवेदन है कि यह बात ठेके के मज़दूरों के सम्बन्ध में लागू नहीं करनी चाहिए । मिलों में ऐसा होता है कि कुछ करघे कुछ घटों के लिए बेकाम रहते हैं क्योंकि उस काल के लिए उनके बेलन उपलब्ध नहीं होते । ठेके के मज़दूरों को कार्य के अनुसार वेतन मिलता है और अपने करघों पर कार्य

प्रारम्भ करने के पूर्व यदि उन्हें दो घंटे से अधिक भी इंतज़ार करना पड़े तो मुआवज़े का प्रश्न नहीं उठना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस चीज़ को ठीक कर देंगे ।

जहां तक मजूरी के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह उपबन्धित किया गया है कि इसमें मजदूर को दी जाने वाली सब सुविधाएं सम्मिलित हैं जैसे मकान अथवा रोशनी, पानी या चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा या कंसेशन रेट पर खाद्यान्न देना । किन्तु इस सम्बन्ध में उठने वाली व्यवहारिक कठिनाई की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का मूल्य आंकना व्यवहारिक रूप से एक बड़ी कठिनाई होगी ।

अंत में मुझे यही कहना है कि इस उद्योग में लगे हुए बहुत से मिल मालिक इस तरह का मुआवज़ा पहले से ही अपने मज़दूरों को दे रहे हैं और यह कहना अनुचित होगा कि उद्योग मज़दूरों के लिए कुछ नहीं कर रहा है । इस विधान द्वारा उद्योग पर भारी बोझा रक्खा जा रहा है और यही चीज़ स्वयं इस बात का काफी प्रमाण है कि यह इसे खुशी से सहने को तैयार है ।

ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा (मुज़फ्फरपुर—उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रम मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हों ने बेकारी की समस्या को हल करने के सिलसिले में एक बिल आज हमारे सामने रखा है । बिल रखने के समय शायद उन्हों ने उस पृष्ठभूमि का ख्याल नहीं किया जिस पृष्ठभूमि में बेकारी की समस्या हमारे हिन्दुस्तान में दिन पर दिन होती जा रही है । बेकारी की समस्या इस तरह से बढ़ रही है । यों तो जो बेकार होते थे उन की संख्या तो स्कूलों और कालिजों से निकलने के बाद बढ़ती ही जाती थी लेकिन इस से भी बढ़ती थी कि किसी इंडस्ट्री से, या किसी फैक्टरी से मज़दूर निकाल दिये गये और वे कहीं रखे नहीं जाते थे और उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी, इस तरह से भी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती थी । जब इस सवाल ने देश में भीषण रूप धारण कर लिया तो इस के सिलसिले में एक आर्डिनेन्स निकालने की बात हुई, लेकिन जैसा कि श्री त्रिपाठी जी ने बतलाया, इस बिल को बनाते समय मज़दूरों की और आम लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने का सवाल सामने नहीं रखा गया और इसलिए तरह तरह के कम्पेन्सेशन की बात कही गयी । यह भी कहा गया कि अब जब कि एक ट्रेड यूनियनिस्ट लेबर मिनिस्टर हो कर आये हैं तो मज़दूरों की आशायें बंधी थीं कि उन के हकों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत से विधेयक हमारे सामने आवेंगे और उन के हकों की रक्षा होगी लेकिन जो बिल हमारे सामने आया है वह बहुत छोटा सा है और उस से हमारा काम चलने वाला नहीं है । मैं उन को इस बात का ख्याल करा देना चाहता हूं कि जो इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट अभी मौजूद है और जिस के संशोधन के लिए उन्हों ने यह बिल रखा है, उस में वर्कमैन की टेकीनीशन में ही इतनी कमी रह गयी है कि जिस की वजह से दिन प्रति दिन झगड़े खड़े होते हैं । मज़दूर हाईकोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं पर उन से वहां यह कहा जाता है कि तुम्हारा मामला वर्कमैन की डैफीनीशन के अन्दर नहीं रखा जा सकता है । पत्रकारों के सम्बन्ध में भी अभी एक मामला हुआ था । उस सम्बन्ध में भी इस सदन में भी बहुत से सवाल पूछे गये और यह कहा गया कि इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट तरमीम होने वाला है और उस में इस बात को भी कोशिश की जायगी कि पत्रकारों का भी उस में समावेश

[ठा० जुगल किशोर सिन्हा]

होगा । आज हमारे सामने यह बिल है और हम वर्कमैन की डैफीनीशन में तरमीम कर सकते हैं और उन पत्रकारों को भी उस में डाला जा सकता था जिन का कि केस सुप्रीम कोर्ट के सामने और हाई कोर्ट के सामने खर्चा ज्यादा होने की वजह से सफलतापूर्वक नहीं लड़ा जा रहा है । इसी के साथ साथ हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि कुछ सरकारी कर्मचारी भी वर्कर की डैफीनीशन में नहीं आते । आज बहुत से सरकारी कर्मचारी छांटे जा रहे हैं । सप्लाई विभाग से और दूसरे विभागों से लोग हटाये जा रहे हैं । लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर वर्कमेन की मौजूदा डैफीनीशन रहेगी तो उन का केस उस में देखा जा सकता है ।

अभी बिहार में जमींदारी ले ली गयी है और ज़मींदारी लेने के सिलसिले में करीब दस हजार कर्मचारी वहां बेकार कर दिये गये । सरकार ने ज़मींदारियों को लिया, उस के बाद दूसरे दूसरे आदमियों को भरा और इस भरने में इस बात का ख्याल नहीं किया गया कि जो पुराने कर्मचारी हैं, जो अपना घर छोड़ कर आये हैं, और जिन की जीविका का यही सहारा था, और जिनके बच्चे शहरों में पढ़ रहे थे, उन का क्या होगा । जब आर्डिनेन्स बनाया गया तो यह उम्मीद की जाती थी कि इस आर्डिनेंस को रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दिया जायगा यानी इस को दो वर्ष पहले से लागू किया जायगा जब से प्लानिंग कमिशन की बात हुई और बेकारी को दूर करने की चर्चा हुई । तो आगे जो बेकारी होने वाली है उस की बात तो दूर रही, जो काम में लगे हुए हैं अगर उन को सरकार बेकार करती है, या उन को कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बेकार करता है, या वह किसी और तरह से बेकार होते हैं, तो मैं नहीं समझता कि जो प्लान आपने बनायी है उस में आप को कहां तक सफलता मिलेगी । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने यह सुना कि बेकारी की समस्या भीषणरूप धारण कर रही है और इस सदन में और बाहर भी रिट्रेंचमेंट के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, तो उन्हों ने अपने यहां से बहुत से लोगों को हटाना शुरू कर दिया और यह बहुत बड़े पैमाने पर किया गया । अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि मिल मालिक नहीं चाहते कि उन का काम खराब हो । उन्हों ने कहा कि हम लोग वैसे छंटनी करना नहीं चाहते, लेकिन जब मजबूर होते हैं तभी छंटनी करते हैं । मैं उन्हीं लोगों के हित की बात कहता हूं और उन को अपने हित की बात माननी चाहिए । लेकिन वह मानते नहीं हैं क्यों कि वे उस को ठीक से समझते नहीं हैं । मैं यह बात उन्हीं के लाभ के लिए कहता हूं, इस में मेरा अपना कोई लाभ नहीं है । गया में एक शुगर मिल है जो मिल मालिकों के मिसमैनेजमेंट की वजह से लिक्विडेशन में आ गयी । उस के बाद कोआपरेटिव ने उसका लीज़ लिया और उस के बाद पहले जितने मज़दूर वहां काम करते थे उस से दस प्रतिशत अधिक रखे जब कि बिहार में दूसरी फैक्टरियों में दस प्रतिशत मज़दूर कम किये गये हैं । और इतना होते हुए भी जहां उस मिल में सालों से नुकसान होता था वहां उन्हों ने तीन लाख का मुनाफा दिखलाया है । मैं समझता हूं कि इस से हमारे मिल मालिकों और उद्योगपतियों को शिक्षा लेनी चाहिए कि ज्यादा मज़दूर रखने से उन को नुकसान नहीं होता है । बल्कि उन का फायदा होता है जैसा कि बिहार में कोआपरेटिव ने कर के दिखला दिया । लेकिन मिल मालिक इस बात को नहीं समझते इसलिए यह दिक्कत है । हम तो उन को यही समझाना चाहते हैं कि ज्यादा मज़दूरों को रखने से उन को फ़ायदा ही होगा । बहस के लिए वह कह देते हैं कि अगर

हम को नुकसान होगा तभी हम छटनी करेंगे वैसे नहीं करेंगे, लेकिन वह करते जा रहे हैं।

दूसरी बात जो इस बिल में नहीं है वह यह है कि ऐवरेज पे के बारे में कहा गया है कि पेड और पेएबिल। यह इस में नहीं है कि तीन महीने के अन्दर जो पेएबिल हो या पे किया गया हो। अतः मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ पेड और पेएबिल नहीं बल्कि जो मंथली पेमेंट किया गया है उस का रेट होना चाहिए। जो उस महीने का रेट रखा गया है अगर उस को जोड़ कर रखते तो ज्यादा साफ होता।

दूसरी बात यह है कि तीन महीने के अन्दर बहुत से पेमेंट बाकी भी रहते हैं। ऐसी हालत में दिक्कत होगी सिर्फ पेड रखने से। इस की ठीक लेंग्वेज़ क्या होगी यह तो मैं नहीं कह सकता क्यों कि मैं वकील नहीं हूं। आप इस को ठीक करवा लें लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप पेड रखेंगे तो मजदूरों को बहुत दिक्कत होगी और वह परेशान हो जायेंगे।

दूसरे वेज के सिलसिले में यह बातें कही गयी हैं कि और जो रिआयतें उन को मिलती हैं, उन को भी इस में जोड़ दिया जाय। इस सिलसिले में हमारे दोस्त सोमानी जी ने कहा है कि किस तरह से उस का हिसाब होगा, किस तरह से वाटर सप्लाई का, लाइट का और दूसरे सवाल तय होंगे, किस तरह से इन सब का असैसमेंट होगा। मैं इस में उन के साथ राज़ी हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितनी लोगों की पे हो, उस के ऊपर १० पर सेंट फ्लैट रेट इस अमैनिटीज़ के लिये कनसीडरेशन कर के जोड़ दीजिये और कह दीजिये कि इतने की अमैनिटीज़ उन को मिलती। इस तरह से हिसाब करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, किसी तरह का झगड़ा नहीं होगा।

वेजेज़ के सिलसिले में जिन अलाउंसेज़ को आप ने रखा है, उस में आप ने प्राविडेंट फंड को नहीं रखा है। वह रखना चाहिये, क्योंकि जितना प्राविडेंट फंड का पैसा मज़दूर अपनी तरफ़ से जमा करते हैं, एम्प्लायर की तरफ़ से भी उन को मिलता है। इसलिये तीन महीने का जोड़िये या जो कुछ भी चाहें जोड़िये, लेकिन इस प्राविडेंट फंड का भी पैसा उन को मिलना चाहिये। अगर और अमैनिटीज़ के साथ प्राविडेंट फंड नहीं जोड़ते हैं तो सामाजिक न्याय नहीं होगा।

ग्रैच्युइटी के बारे में जो बात कही गयी है और कहा गया है कि लोग प्ले आफ किये जावेंगे या रिट्रैंच किये जावेंगे, इस में भी मैं त्रिपाठी जी के साथ हूं कि यह रिलीफ देने की बात समझी जा रही है, बेकारी को हल करने की बात समझी जा रही है। हां, एक बात के लिये ज़रूर ग्रैच्युइटी रखी जाय। जो बूढ़े हो गये हैं, जो काम करने लायक नहीं हैं, जो डिसएब्लड हैं, ऐसे लोगों को छांटने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे लोगों को नौकरी के हिसाब से यानी साल में १५ दिन के हिसाब से या एक महीने के हिसाब से, जो भी आप रखें, उस हिसाब से दें। लेकिन जिन की नौकरी बहुत कम दिनों की है, उन लोगों के रिलीफ के सम्बन्ध एक फ्लैट रेट होना चाहिये, यानी कोई इस तरह का रिलीफ मिलना चाहिये कि जब तक उन को दूसरी नौकरी न मिल जाय, तब तक उन के लिये कुछ न कुछ प्रबन्ध रहे।

रिट्रैंचमैंट के बारे में कहा गया है कि :

"retrenchment means the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever."

[ठा० जुगल किशोर सिन्हा]

बहुत से रिट्रेंचमेंट तो बिना किसी रीजन के होते हैं। तो फार ऐनी रीजन या विदाउट ऐनी रीजन, दोनों की इस में गुंजाश होनी चाहिये, क्योंकि बिना रीजन दिये हुए ही बहुत से लोगों को रिट्रेंच कर दिया जाता है।

इस में बोनस को हटा दिया गया है। टोटल इमाल्युमेंट्स में यह होना चाहिये। जहां एक प्राफिट का सवाल है; प्राफिट से बोनस मज़दूरों को मिलता है। इस सम्बन्ध में दो मत हो सकते हैं कि उस को इस के साथ जोड़ा जाय या न जोड़ा जाय; उन को इमाल्युमेंट्स देने के लिये, रिलीफ देने के सम्बन्ध में, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सी फैक्टिरियों में अटैंडैंस बोनस मिलता है, प्रोडक्शन बोनस मिलता है और वह उन की वेजेज़ का एक हिस्सा हो गया है। ऐसी हालत में अगर ऐसे बोनस को आप उन के वेतन से निकाल देते हैं, तो इस का असर उन के ऊपर खराब होगा, क्योंकि वह बराबर इतना लेते रहे हैं। इंडस्ट्रियल ऐस्टैब्लिशमेंट के बारे में यह कहा गया है कि मस्टर रोल में इतने आदमी रखे जायेंगे उन्हीं इंडस्ट्रियल ऐस्टब्लिशमेंट पर यह लागू होगा। मैं यह कह देना चाहता हूं, मुझे ऐसा कहने के लिये बहुत से एम्प्लायर जो यहां बैठे हुए हैं माफ करेंगे, कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो मस्टर रोल पर बहुत कम आदमी रखती हैं, कांट्रैक्टर के ज़रिए पे करते हैं और इंडस्ट्री का काम कराते हैं। ऐसी हालत में चाहे वह कांट्रेक्टर के ज़रिए से काम करायें, या मस्टर रोल के ज़रिए करायें, वहां जो भी काम करने वाले हों, सब का हिसाब रखेंगे तभी मज़दूरों के साथ कुछ न्याय हो सकेगा। सिर्फ मास्टर रोल की बात कहेंगे तो कितनी ही फैक्टिरियों में आप जाइये, वहां मस्टर रोल का पता ही नहीं चलेगा। इसलिये मस्टर रोल की बात कहेंगे तो यह उन पर लागू नहीं होगा। छोटी छोटी फैक्टरियों के देखने के बाद मुझे इस का तज़र्बा हुआ है।

ले आफ के बारे में कहा गया है कि बदली और कैज्युअल वर्कमैन के लिये इस की ज़रूरत नहीं है। बदली वर्कमैन के लिये आप ने तो डैफिनीशन देने की कोशिश की है। लेकिन कैज्युअल वर्कमैन के लिये कोई डैफिनीशन नहीं है। मैं जानता हूं कि बिहार सरकार में दस दस वर्ष तक काम करने वाले मज़दूर आज भी कैज्युअल मज़दूर कहे जाते हैं। दूसरी इंडस्ट्रीज़ में हम लोगों ने लड़ कर कहीं तीन महीने में और कहीं छः महीने में, जो लोग काम कर रहे थे, उन को परमानेंट कराया है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों में दस दस वर्ष तक काम करने वाले जो लोग हैं वह टैम्पोरैरी कहलाते हैं। पी. डब्ल्यू. डी. में ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इस तरह के वर्कर्स हैं। इसलिये कैज्युअल वर्कमैन की डैफीनीशन आप नहीं देंगे तो बहुत से लोगों को कैज्युअल करार दे कर उन के साथ इंसाफ नहीं हो सकेगा। तो या तो इस में से आप इस को हटा दें, या कैज्युअल वर्कमैन की आप कुछ डैफीनीशन दें, ताकि उन के साथ हार्डशिप न होने पाये।

इस में यह कहा गया है कि अगर कोई भी दूसरा काम मज़दूरों को दिया जाय और वह स्वीकार न करें तो ऐसी हालत में उन को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। मैं जानता हूं कि मज़दूरों को तंग करने के लिये कुछ इस तरह का काम दिया जाता है और वेतन कम कर के दिया जाता है कि जो उन के स्टेटस के बरखिलाफ़ होता है। एक फिटर को कुली का काम करने को दिया जाता है। अच्छे इंजीनियर को इस तरह का काम दिया जाता है जो उस के स्टेटस के अनुसार नहीं होता और वेतन भी उसी हिसाब से कम कर दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम

काम करो। वह उस तरह का काम नहीं कर सकते हैं, न वह उस के आदी हैं और वह उस के लायक़ हैं। न उन्हों ने कोई उस तरह का काम करने के लिये ट्रेनिंग ली है। लेकिन दिखावे के लिये यह इस तरह का काम दिया जाता है जिस से कि वह छोड़ कर चले जायं। इस तरह की कोशिश मिल मालिकों की तरफ़ से होती है। तो अगर इस तरह की हालत में ले आफ जायज समझा जायगा, इस तरह की बात आप रखेंगे तो उस से इन्साफ़ नहीं हो सकेगा।

यह कहा गया है कि अगर मज़दूर दूसरी जगह काम करता हो तो उसे मुआवज़ा नहीं मिलेगा। इस तरह की हालत में मालिक और मज़दूर दोनों में यह कंट्रीवर्शियल और विवादास्पद बात होगी। वह दो आदमियों को ले जा कर खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि हम ने इस मज़दूर को काम पर रखा है। इस के लिये वह बेचारा मजदूर कैसे इंडस्ट्रियल डिप्यूट ट्रिब्यूनल के सामने जावेगा? इसलिये इस क्लाज को इस में से हटा देना चाहिये।

दूसरी बात स्लो डाउन और स्ट्राइक के बारे में कही गयी है। उस के लिये अगर ले आफ करना पड़ेगा तो मज़दूरों को कर मुआवज़ा नहीं मिलेगा। हम सब चाहते हैं और सरकार चाहती है कि स्ट्राइक न हो और प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन इस तरह की हालत में तो आप जो मज़दूर स्ट्राइक पर नहीं हैं उन को भी आप स्ट्राइक के कुछ लोगों के साथ बिठा देते हैं। उन को आप बेकार कर देते हैं तो वह तो समझेंगे कि हम न तो इधर के रहे और न उधर के ही रहे। हम ने स्ट्राइक का साथ नहीं दिया, आप का साथ दिया और प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन उन को आप मिल से बाहर करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लोगों ने स्ट्राइक किया, तुम भी निकलो तुम को हम काम नहीं देंगे। यह चीज़ अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन्स के लिये ठीक नहीं होगी। जहां तक स्लो डाउन का सवाल है, इस के सम्बन्ध में सरकार ने कहा है और नेहरू साहब ने भी अपील की है कि स्लोडाउन अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं आप से पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि मज़दूर क्या करें। उस के सामने इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट है, उस के अन्दर कनसीलियेशन मैशीनरी है। उस के बाद ऐडज्युडिकेशन है, ट्रेड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, फिर अपीलेज ट्रिब्यूनल है। इस तरह से चार चार पांच पांच और सात सात साल तक उस का मामला इन मैशीनरियों के बीच में पड़ा रहता है। जब तक उन के बीच में उस का मामला पड़ा रहे तब तक वह स्ट्राइक नहीं कर सकता। अपने हथियार को वह नहीं चला सकता। दूसरी तरफ़ मिल वाले अपीलेट ट्रिब्यूनल का हुक्म ले कर किसी को भी छांट सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं। लेकिन उस इंडस्ट्रियल डिसप्यूट ऐक्ट में यह प्रावीजन कहीं नहीं दिया गया है कि मज़दूर चाहे तो इंडस्ट्रियल डिसप्यूट ट्रिब्यूनल की इजाज़त ले कर भी कभी स्ट्राइक कर सकता है, बल्कि ले आफ का प्रावीजन इंडस्ट्रियल डिसप्यूट ऐक्ट में है। छः छः सात सात साल तक किसी के लिये इन्तज़ार करना बड़ा मुश्किल है। ऐसी हालत में वह न भी चाहे तो भी स्लो डाउन हो ही जाता है। लेकिन हमारा अपना तजुर्बा है कि बिहार में इस तरह की दो तीन मिलों में ऐसी बातें हुईं कि मिल वालों की तरफ़ से स्लो डाउन किया गया और मज़दूरों को बदनाम करने के लिये कोशिश की गयी।

उन की कोशिश यह हुई कि चूंकि अपने गोदामों में उन की चीनी भर गयी थी और उस हालत में वह यह नहीं चाहते थे कि हमारा प्रोडक्शन जारी हो, दूसरी जगह से उन के

[ठा० जुगल किशोर सिन्हा]

पास आर्डर आ नहीं रहा था इसलिये बदनाम मज़दूरों को किया गया कि वह स्लो करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में जांच की गयी तो पता चला कि यह आक्षेप गलत है, मिल-मालिक स्वयं स्लो करना चाहते थे और उन्हों ने यह किया है और उल्टा इलज़ाम लगाते हैं मज़दूरों पर इस के लिये। इस तरह की कार्यवाही अगर दो, एक इम्पलायर्स ही करते होते तो मैं कदाचित इस चीज़ को सदन के सामने उपस्थित न करता, लेकिन मैं आप को बतलाऊं कि छोटे छोटे इम्पलायर्स की तो बात ही क्या, बड़े बड़े उद्योगपति टाटा, बिड़ला और डालमिया ये तीन जिन की गणना हिन्दुस्तान में सब से प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है, उन लोगों की फैक्टरीज़ में जब तक 'गो-स्लो' नहीं हुआ है, तब तक उन्हों ने मज़दूरों के हक़ नहीं माने, वे हक़ जिन के बारे में आपस में एक समझौता और वायदा हो चुका था और फलस्वरूप उन पर मुक़दमा चलाया गया लेकिन क्या नतीज़ा निकला, जहां वायदे के मुताबिक मिलमालिकों को एक, एक लाख रुपया बतौर के बोनस के मज़दूरों को देना पड़ता था, वहां इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट के तहत ऐसे मिल मालिकों पर कोर्ट में दो सौ रुपया जुर्माना किया गया, अब भला बतलाइये कौन मिल-मालिक दो सौ रुपया जुर्माना भुगत कर बोनस देने आदि से अपना पिंड छड़ाना न चाहेगा और ज़ाहिर है कि मिलमालिक जुर्माना देना ज्यादा पसन्द करते थे बनिस्बत एक लाख रुपया देने के। ऐसी अवस्था में जब मज़दूर स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, तो अपनी जायज़ मांगें और हक़ मनवाने के लिये उन के पास सिवाय गो स्लो के और कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता और विवश हो कर जब बिहार में कुछ मिल में मज़दूरों ने गो स्लो किया तो मिलमालिकों में उस के फलस्वरूप खलबली मच गयी। सरकार ने उन के मामले को स्वयं अपने हाथ में लिया और दोनों दलों के आदमियों को बुलाया और एक उन के सामने प्रोमीडयोर रखा कि आप को गो स्लो करना है तो कीजिये, आप गो स्लो कर सकते हैं जब कोई मिलमालिक समझौते और वायदे के अनुसार आप के हकों को न दें जब कोई मिलमालिक इंडस्ट्रियल ऐवार्ड की टर्म्स को पूरा न करे तो उस हालत में आप गो स्लो कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि गो स्लो शुरू करने के पहले आप को उस मिलमालिक को एक हफ्ते का नोटिस देना पड़ेगा। हम ने इस को कबूल किया, आखिर नैतिकता का तकाज़ा है कि गो स्लो शुरू करने से पहले हम मिलमालिक को उस की सूचना दे दें और मैं आप को और सदन को बतलाना चाहता हूं कि मेरे प्रान्त बिहार में मिलमालिकों द्वारा जो वायदे के इम्पलीमेंटेशन करने का झगड़ा चार, चार और पांच, पांच साल से चला आ रहा था और उन का इम्पलीमेंटेशन बाक़ी था, सारे चीनी व्यवसाय में इस स्लो गो नोटिस ने दो महीने के अन्दर पूरा कर दिया और मिलमालिकों को विवश हो कर मज़दूरों के प्रति किये गये अपने वायदे को पूरा करना पड़ा। आखिर किया भी क्या जाय ? लेबर डिपार्टमेंट मालूम होता है उस को इन के इम्पलीमेंटेशन कराने का कोई अख्तियार नहीं है उस के सारे अख्तियार खत्म हो गये और बिहार में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उस के लिये न नेहरू जी को और न हमारे श्रम मंत्री गिरि जी को कोई ख्याल है, उन्हों ने न तो उस को देखने की कोशिश की और न ही उस को हल करने की दिशा में कोई कदम उठाया, तब आप ही बतलाइये मज़दूरों के पास अपनी मांगों को मनवाने के लिये जिनका वायदा मिल मालिक कर चुके हैं सिवाय गो स्लो करने के और दूसरा कौन उपाय

बच रहता है मज़दूरों को आख़िर में सब तरह से लाचार होकर गो स्लो का हथियार अपने हाथ में लेना पड़ता है और इसी तरह वह मिल-मालिकों से उन के वायदों को इम्पलीमेंट कराने में कामयाब होते हैं, और मैं तो कहूंगा कि इसके लिये मिल-मालिक ही ज़िम्मेदार हैं। मज़दूरों को ज़्यादा काम देकर रिलीफ़ न देना बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी होगी इस सिलसिले में मैं भी कह देना चाहता हूं कि रिलीफ़ ज्यादा न मिलने का एक कारण ऐपेलेट ट्रिब्यूनल भी है और मैं समझता हूं कि जब तक हम एपेलेट ट्रिब्युनल को ख़त्म नहीं करते हैं तब तक मज़दूरों का कोई भला नहीं होने वाला है, क्योंकि यह देखा गया है कि मज़दूर लोग मुक़दमा नहीं लड़ सकते हैं और बहुत जल्दी टायर आउट हो जाते हैं और मुक़दमे के फ़ैसले की कोई मियाद निश्चित कर दें और दूसरे कलकत्ता, बिहार और उड़ीसा जहां पर आखिरी फ़ैसला होता है वहां पर मज़दूर पहुंच नहीं पाता है और क़रीब क़रीब एकतरफ़ा फैसला छटनी आदि के विषय में हो जाता है। मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्दर ऐसे ऐसे प्राविज़न जो मज़दूरों के हक़ के बरख़िलाफ़ हैं, नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हैं, प्रोडेक्शन के ख़िलाफ़ हैं और सामाजिक न्याय के ख़िलाफ़ हैं, उन सब प्राविज़नों को हटाने और उन में संशोधन करने के हेतु इस मौजूदा बिल में गुंजायश होनी चाहिये थी।

यह कहा गया है कि एक महीने का नोटिस देकर किसी को हटाया जा सकता है, मैं समझता हूं कि इस तरह की किसी को हटाने अथवा अलग करने की बात आम तौर पर नहीं होनी चाहिये। बिहार में रिट्रेंचमेंट के मुताल्लिक हमने एक पालिसी अखितयार की है जिसके मुताबिक पहले मज़दूर यूनियन और मिल-मालिक बैठते हैं और आपस में यह तय करते हैं कि इतने मज़दूरों की अमुक मिल में ज़रूरत नहीं है और आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं और अगर एग्रीमेंट पूरा नहीं होता है तो उस को कमिश्नर को रेफ़र किया जाता है और मसला हल करने के लिये एक्सपर्ट लोगों की और और दूसरे लोगों की कमेटी बैठती है जो इस सारे सवाल की पूरी तरह जांच करती है और यह देखती है कि वाकई रिट्रेंचमेंट होना चाहिये या नहीं और रिट्रेंचमेंट अगर ज़रूरी समझती है तभी वह इस के लिये इजाज़त देती है अन्यथा नहीं। मैं तो यह कहूंगा कि इस तरह का बिल न लाकर एक क्लाज़ का बिल उन को लाना चाहिये था ताकि आज की परिस्थिति में जब हम बेकारी का प्रश्न हल करना चाहते हैं तो कम से कम जो लोग काम पर लगे हुए हैं, उन को तो बेकार न करें। एक तरफ़ तो हम बेकारी को मिटाना चाहते हैं और दूसरी तरफ़ हम काम पर लगे हुए लोगों को निकालें, यह कुछ शोभा नहीं देता है। लेकिन अगर यह नहीं कर सकते हैं, सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह छटनी को बिल्कुल रोक सके तो कम से कम उस को एक मशीनरी तो ऐसी अवश्य सब जगह बना देनी चाहिये और जब तक उस की राय न ले ली जाय, उस की प्रायर सैंक्शन न हो जाय तब तक कोई भी इम्पलायर एक आदमी को अपने यहां से न निकाले।

श्री के० के० देसाई (हालर) : कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह विधेयक अप्रत्याशित था। किन्तु छंटनी का प्रश्न गत तीन-चार वर्षों से बराबर चर्चा का विषय रहा है और वास्तव में यह विधेयक और भी पहले आना चाहिये था। विशेषकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात से मैं समझता हूं कि मज़दूर वर्ग ने उत्पादन बढ़ाने में बड़ा महत्वपूर्ण भाग अदा किया है किन्तु मिल-मालिकों ने उनके प्रति अपना कर्तव्य पूर्णतया नहीं निभाया है। वे समय की आवश्यकताओं के साथ नहीं चले हैं। छंटनी अथवा 'ले-आफ' का प्रश्न

[श्री के० के० देसाई]

मज़दूरों पर प्रेत-छाया की भांति मंडराता रहता है। यदि उन्हें नौकरी की सुनिश्चितता प्रदान न की जाए तो आप उन से क्षमतापूर्वक काम करने की आशा नहीं कर सकते। नौकरी की अनिश्चितता में उन का बेचैन और चिन्तित रहना अनिवार्य ही है। आखिर वे भी मानव हैं जिन्हें अपने जीवन के लिए पेट भरने की आवश्यकता होती है। यदि 'ले-आफ' के लिए उन्हें मुआवज़ा नहीं दिया जायगा तो वे खायेंगे क्या? यहां केवल यह उपबन्ध किया गया है कि यदि किसी मज़दूर को बिना उस के कोई कसूर के 'ले-आफ' किया जाता है तो उसे आधी मजूरी दी जाए। यद्यपि यह पर्याप्त नहीं है तथापि इस से वह उस दिन अपने पेट में कुछ तो पहुंचा ही सकेगा। मैं समझता हूं कि यह शुरुआत ही है। इसलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री सोमानी ने कहा कि मुआवज़ा दे देने के पश्चात् इस बात का कोई प्रश्न नहीं रह जाना चाहिए कि मज़दूर अधिकरण अथवा न्यायालय के सम्मुख जाएं। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। इस विधेयक में तो केवल यह उपबन्धित है कि 'ले-आफ' अथवा छंटनी की अवस्था में उसे कम से कम इतना मुआवज़ा दिया जाए। वह 'ले-आफ' या छटनी ठीक थी या नहीं यह प्रश्न कानून के तय करने का है और मज़दूरों को इस प्रश्न को उठाने का अधिकार है। मुझे आशा है कि श्रम मंत्री इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे।

मैं इस विधेयक का प्रस्तुत रूप में पूर्ण स्वागत करता हूं और मुझे आशा है कि सदन इसे एकमत से पास करेगा।

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण): यह विधेयक सरकार ने मज़दूरों की भलाई के लिये प्रस्तुत किया है। हम तो आशा कर रहे थे कि श्रम सम्बन्ध विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा परन्तु पता नहीं कि उस के सम्बन्ध में देर क्यों की जा रही है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में सामयिक तथा बारह महीने चलने वाले उद्योगों में कोई अन्तर नहीं रखा गया है। उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग को ही ले लीजिये। गन्ने के मौसम में तो मज़दूरों की संख्या १००० तक पहुंच जाती है किन्तु इस में से ५० या ४० प्रतिशत कम से कम ऐसे होते हैं जो पूरे साल काम करते हैं। मेरा निवेदन है कि यह उन पर भी लागू हो। यदि ऐसा न हुआ तो उन्हें परिस्थितियों से विवश होकर काम से अलग करे दिया जा सकता है तथा कोई भी हर्जाना नहीं दिया जा सकता है। अतएव सामयिक उद्योगों के सम्बन्ध में भी इस विधेयक को लागू किया जाना चाहिये तथा प्रस्तावित धारा २५ क (ख) को निकाल दिया जाना चाहिये।

मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह लाभ केवल उन कारखानों तक ही सीमित क्यों रखा गया है जिन में कम से कम ५० व्यक्ति काम करते हों। कारखाना अधिनियम के अनुसार तो २० व्यक्ति जहां पर काम करते हों उसी को कारखाना समझा जाता है। यदि ५० व्यक्तियों की ही सीमा रखी गई तो हो सकता है कारखानेदार ठेके पर काम करवाने लगें तथा अपने कारखानों में मज़दूरों की संख्या कम कर दें। अतएव मेरा निवेदन है कि धारा २५ क (क) में २० व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों का उल्लेख न किया जाये।

मैं विधेयक की धारा २५ ङ से सहमत नहीं हूं। धारा २५ ङ (१) में कहा गया है कि यदि कोई मज़दूर वैकल्पिक काम करने से इन्कार करता है तो उसे हर्जाना नहीं मिलेगा। हो सकता है मज़दूर को ऐसा काम दिया जाये जो उस की प्रतिष्ठा के अनुकूल

न हो । इस प्रकार वैकल्पिक काम के नाम पर मालिक मज़दूरों को काम से अलग कर सकते हैं तथा उन्हें हर्जाने से भी वंचित रख सकते हैं ।

धारा २५ ङ (२) के अनुसार किसी भी उस मज़दूर को हर्जाना नहीं दिया जायगा जो दिन में कम से कम एक बार नियत समय पर हाज़िरी नहीं देता है । मान लीजिये मज़दूर बीमार हो जाता है और नहीं आ पाता है तो उस को हर्जाने से हाथ धोना पड़ेगा। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह इस बात को ठीक करने के सम्बन्ध में पूरा पूरा ध्यान दें ।

जब आप मज़दूर को परिस्थितियों से विवश हो कर काम से अलग कर देते हैं तो वह दूसरी जगह काम तो ढूंढेगा ही । परन्तु धारा २५ ङ (३) के अनुसार उसे उतने दिनों के लिये हर्जाना नहीं दिया जायेगा जितने दिन वह अन्य स्थान पर काम करता है । इस तरह तो आप यह चाहते हैं कि मज़दूर खाली बैठा रहे और कोई काम न करे । मेरे विचार में यह ठीक बात नहीं है । यदि वह दूसरी जगह नौकरी पा जाता है तो आप उस का हर्जाना क्यों रोकते हैं । मेरा निवेदन है कि इस उपबंध को निकाल दिया जाये ।

धारा २५ ङ (४) में बतलाया गया है कि मज़दूर को परिस्थितियों से विवश हो कर अलग किये जाने पर भी हर्जाना नहीं दिया जायेगा यदि मजदूर को अलग इस लिये किया गया है कि हड़ताल हो गई है या कारखाने के किसी भाग में 'धीरे काम करो' नीति के अनुसरण करने के कारण उत्पादन में कमी हो गई है । इस उपबन्ध के अनुसार आप कुछ मज़दूरों को अन्य मज़दूरों की ग़लती के लिये सज़ा दे रहे हैं । यदि कारखाने के कुछ मज़दूर जान बूझ कर काम में अड़चन डालते हैं तो उस के लिये आप उन मजदूरों का हर्जाना क्यों रोकते हैं जो ईमानदारी से काम करते रहे हैं । अतएव इस उपबन्ध में संशोधन किया जाना चाहिये जिस से कुछ मज़दूरों की ग़लती के कारण सारे मज़दूरों को हानि न उठानी पड़े ।

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : जिन लोगों ने इस विधेयक की आलोचना की है यदि वे इस की पृष्ठभूमि जानते होते तो कभी भी ऐसा न करते । सरकार मिल-मालिकों तथा मज़दूरों में कुछ बातों के सम्बन्ध में समझौता हो जाने के पश्चात् ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । वास्तव में, यह तो पूंजी और श्रम का मेल है । मेरे विचार में इसे प्रवर समिति को सौंपने की आवश्यकता नहीं है । मेरे विचार में मालिक और मज़दूर के बीच पहले ही से हुआ कोई भी समझौता इस विधेयक के उपबन्धों पर लागू न होना चाहिये ।

श्री टी० बी० विठ्ठल राव (खम्मम) : क्योंकि यह संशोधक विधेयक प्रस्तुत ही कर दिया गया है तो इस के अनुबन्धों का अनुदर्शी प्रभाव होना चाहिये अर्थात् स्थायी श्रम कमेटी के समझौता करने के समय से । बहुत से ऐसे कारखाने हैं जिन में मालिक मज़दूरों को निकालते नहीं हैं क्यों कि उन्हें मज़दूर-संघों का डर होता है । वे मज़दूरों का पूल बना देते हैं जिस में फालतू मज़दूरों को रखा जाता है । इन्हें पूरी मज़दूरी दी जाती है । पर इस विधेयक में अलग किये गये मज़दूरों को केवल ५० प्रतिशत ही हर्जाना देने की व्यवस्था की गई है । अतः यह विधेयक प्रगतिशील नहीं है ।

जहां तक छंटनी का सम्बन्ध है मेरे विचार में औद्योगिक विवादों को सरकार को निर्देश करने तथा सरकार द्वारा औद्योगिक अधिकरणों को निर्देश करने की बजाय सीधा तरीका अपनाया जाये । यदि मज़दूर

[श्री टी० बी० विट्ठल राव]

यह समझते हैं कि छटनी की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें इस बात की छूट होनी चाहिये कि वे सीधे ही अधिकरण को निर्देश कर सकें तथा न्यायनिर्णयन की मांग कर सकें।

सामयिक कारखानों में बराबर काम करने वाले मज़दूरों के लिये इस में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कम से कम उन लोगों को तो संरक्षण दिया ही जाना चाहिये जो ऐसे कारखाने में वर्ष भर काम करते रहते हैं।

हर्जाने के सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दी जानी चाहिये कि १५ दिन का उपदान तो न्यूनतम है। यदि कोई कारखाना अधिक लाभ उठाता है तो उसे अधिक उपदान देना चाहिये।

वैकल्पिक काम की व्याख्या ठीक ठीक कर दी जानी चाहिये। क्यों कि यदि आप कुशल कारीगर को साधारण मज़दूर के काम पर लगा देते हैं तो परिस्थिति बहुत विषम हो सकती है। अतएव, कुशल कारीगर को कारीगर का ही काम दिया जाना चाहिये तथा साधारण मज़दूर को साधारण मज़दूर का।

"बदली मज़दूरों" को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। बम्बई की कुछ कपड़ा मिलों में तीन या चार वर्ष तक काम करते रहने पर भी मज़दूरों को 'बदली' सूची पर रहना पड़ता है। मैं ने अपने संशोधन द्वारा यह सुझाव रखा है कि इन मज़दूरों को भी निकाल दिये जाने पर हर्जाना दिया जाये।

हम ने श्री सोमानी को, जो कि मिल-मालिक संघ के अध्यक्ष हैं, यह मांग करते हुए सुना है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३३ में संशोधन किया जाये। यदि इस धारा में संशोधन किया गया तो परिस्थिति और भी गम्भीर हो जायेगी इस धारा के अन्तर्गत कोई भी मालिक उस समय तक किसी भी मज़दूर को निकाल नहीं सकता है जब तक कि समझौता सम्बन्धी कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है। यदि इस में संशोधन हुआ तो परिस्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ ही जायेगी।

मैं चाहता हूं इस खण्ड को निकाल दिया जाये जिस का सम्बन्ध हड़ताल या 'धीरे काम करो' के कारण मज़दूरों को निकाल देने से है। ऐसा भी कई बार हुआ है जब मज़दूरों को हड़ताल की अवधि के लिये मज़दूरी दी गई है। अतः इस उप-खण्ड की आवश्यकता नहीं है।

इस संशोधक विधेयक का उन समझौतों, पंचाटों या संविदाओं पर कोई प्रभाव न होना चाहिये जो कि मालिक और मज़दूरों के बीच हुई हों और जिन के अनुसार अधिक समय तक काम दिया जा सकता हो या अधिक हर्जाना दिया जा सकता हो।

कारखानों के बन्द किये जाने के सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। हावड़ा से अनेक कारखानों के बन्द किये जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस सम्बन्ध में उस समय विस्तार में कहूंगा जब इस पर खण्ड वार विचार होगा। मैं श्री श्रीकान्तन नायर के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाये।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : मेरा निर्वाचन क्षेत्र इस विधान से विशेष संबधित है, क्योंकि मैं बम्बई के वस्त्र-मिलों के मज़दूरों वाले क्षेत्र से चुना गया हूं। सभी सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है और आलोचना हुई भी है तो इस के दुर्बल होने की या बहुत अधिक न करने की ही हुई है। मैं इसे आगे की ओर उठाया गया एक पग मानता हूं और यद्यपि यह अन्य देशों जितनी सामाजिक-सुरक्षा नहीं देता तथापि

यह एक ऐतिहासिक विधान है और हम बहुत अधिक की आशा भी नहीं कर सकते। विदेशों से तुलना करना ठीक नहीं, क्योंकि यह विधान बन जाने पर नहीं, बल्कि बहुत कुछ हमारे श्रम की उत्पादन-क्षमता पर निर्भर है और कोरे विधान द्वारा यह संभव नहीं है। और यह उत्पादन-क्षमता लगाई गई पूंजी पर निर्भर है। वेल्स में खान उद्योग एक पुराना और सुसंगठित उद्योग है। अब यदि वहां के खान-मज़दूर को प्रति दिन १० शिलिंग मिलें और पेंसिलवेनिया (अमरीका) के खान-मज़दूर को २० शिलिंग प्रति दिन मिलें, तो इस का यह अर्थ कदापि नहीं कि वेल्स खान मज़दूर कम कार्यकुशल है या ब्रिटिश सरकार विधान द्वारा उस की मज़दूरी बढ़ाने को तैयार नहीं है। अमरीका के मज़दूर को दूना इसीलिए मिलता है कि पूंजी-सामग्री की अधिकता के कारण वहां के मज़दूर की उत्पादन-क्षमता अधिक है। भारतीय खान-मज़दूर भी कैम कार्यकुशल नहीं है, पर पूंजी सामग्री ही इस अंतर का कारण बनती है। डीट्रौइट स्थित फोर्ड-कारखाने में सैकड़ों भारतीय काम करते हैं, पर वहां भारतीय मज़दूरों को कार्यकुशल न मानते हुए कभी नहीं निकाला गया। केलीफोर्निया और कनाडा में भारतीय किसान वहां के अन्य किसानों जितना ही काम करते हैं पर भारत आने पर उन की उत्पादन-क्षमता घट जायेगी। बम्बई में एक स्टीमर का माल उतारने में ५० आदमियों को दो दिन लगते हैं, पर न्यूयार्क में वे आधे दिन में ही यह कर लेंगे। दोष मज़दूरों का नहीं, बल्कि पूंजी सामग्री का है। बड़े पैमाने पर होने वाली बेरोजगारी मज़दूरों, समाज और उद्योग सभी के लिये बुरी है, भले ही इस बेरोजगारी का कारण हड़ताल हो, या तालाबन्दी हो, या बुढ़ापा हो, या बीमारी हो, या अस्थायी रूप से बिठा रखना (ले-आफ) हो या छंटनी हो या आर्थिक संकट हो। माननीय मित्र श्री त्रिपाठी ने कामकरों की क्रय-शक्ति बनाए रखने या अन्य शब्दों में 'प्रभावी मांग' बनाए रखने की आवश्यकता बताई थी, जो सर्वथा उचित है।

श्री सोमानी ने साधारणतः इस का समर्थन किया है, और इस से मिल-मालिकों के वर्ग की इच्छा का आभास मिलता है। उन का यह सुझाव कि श्रम को क्षतिपूर्ति देने की समस्या पर पूरा-पूरा विचार किया जाए और कुछ समय और लगाया जाए, भले ही एक अच्छे इरादे से रखा गया हो, पर यह इस विषय में विशेष विलम्बकारी होगा, और यह विधान कोई बहुत जल्दी थोड़े ही आ गया है। श्री खंडूभाई देसाई के शब्दों में इसे और भी शीघ्र आना चाहिए था। बल्कि इस विधेयक को सामने लाने के नाते मैं इस वस्त्र-संकट को भी अच्छा ही समझता हूं, और यह बात श्रम-मन्त्री ने स्वयं मानी है। पर श्री सोमानी की बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद इस समस्या पर फिर पूरा-पूरा विचार किया जाए। मजदूरों या मालिकों किसी के ऊपर दोषारोपण करने या धीमें चलो' वाली नीति हमें भुला देनी चाहिए। यह एक सरल, सुस्पष्ट और सुलिखित विधान है। इस प्रकार के किसी विधान की सफलता दोनों पक्षों के सहयोग पर निर्भर है। हमारा मूल मन्त्र होना चाहिये "जो मिल रहा है, उसे स्वीकार करो और अधिक प्राप्त करने के लिए उद्यम करो।"

श्री एन० राचय्या (मैसूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : देश में मज़दूरों को सुविधा देने वाले इस विधान का मैं स्वागत करता हूं। हमारी लोकप्रिय सरकार ने मज़दूरों की दशा सुधारने के लिए बहुत कुछ किया है, परन्तु अभी बहुत कुछ करने को बाकी पड़ा है। इंगलैण्ड और जर्मनी के मज़दूरों की तुलना में हमारे मज़दूरों की दशा बहुत गिरी हुई है और हमें उस के सुधारने की पूरी-पूरी चेष्टा करनी चाहिए। मैं श्री खंडूभाई

[श्री एन० राचय्या]

देसाई की बात से सहमत हूं, और श्री वी० बी० गांधी की बात से नहीं, जो मज़दूरों की अपेक्षा मालिकों को अधिक संरक्षण देने के पक्ष में थे। जब कि दूसरे देशों में शारीरिक श्रम करने वालों का आदर होता है, दुर्भाग्य से हमारे देश में आलसियों की पूजा होती है। हमारे यहां श्रम को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। दक्षिण भारत में तो मज़दूरों का विशेषतः बुरा हाल है। मैसूर में चमड़ा तथा चमड़ा रंगाई उद्योगों में ३०–४० वर्षों तक काम कर चुकने पर भी मज़दूरों को निकाल दिया जाता है। और उन को मकान या अन्य कोई सुविधा नहीं दी जाती और उन के बच्चे दर-दर भीख मांगते फिरते हैं। और मुझे माननीय श्रम मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए खेद होता है कि मैसूर में कारखाना विधियों को भली भांति कार्यान्वित नहीं किया जाता।

फिर ऐसा लगता है कि यह मंत्रालय केवल औद्योगिक श्रम के ही लिए है और खेतिहर श्रम के लिए आज तक कुछ नहीं किया गया। जनसंख्या-रिपोर्ट के अनुसार देश में २५ करोड़ व्यक्ति खेती पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आश्रित हैं, पर सरकार ने खेतिहर श्रम की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। अब समय आ गया है कि सरकार इधर भी ध्यान दें और कुछ विधान बनाए, अन्यथा राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती।

अभी मैं इंगलैंड के एक फार्म में ठहरा था वहां खेतिहर मज़दूर को पूरे वर्ष रोजगार का भरोसा रहता है, वह ९ घंटे काम करता है और उसे उचित मकान और मजूरी मिलती है। उसे दो रुपये प्रति घंटे से भी अधिक मिलता है, और प्रतिदिन १५ रुपये से कम नहीं मिलते। जर्मनी में भी प्रति घंटे २–३ मार्क मिलते हैं। इसकी तुलना में हमारे श्रम की दशा बहुत गिरी हुई है। आशा है, सरकार खेतिहर मज़दूरों के लिए भी शीघ्र ही एक विशद-विधान बनाएगी। मेरे राज्य में धान के एक पल्ले का दाम ९ रुपए था, जो ४–५ वर्ष में बढ़ कर २२ रुपए हो गया, और इस का सारा लाभ जमींदारों ने ही उठाया। मज़दूरों को कुछ भी न मिला।

पश्चिमी देशों में अनेक समाज सुधारक विधान बने हैं। खुशी की बात है कि हमारी सरकार भी श्रीगणेश कर रही है। भले ही कुछ सदस्य इस का विरोध करें, पर एक अध्यादेश के स्थान पर जाने वाले इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। देश में मज़दूरों का सब प्रकार से शोषण होता रहा है। आशा है, श्रम मन्त्रालय मज़दूरों को निवास स्थान देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा। मैं ने देखा है कि पैसे वाले मालिक सदैव विधि के उपबन्धों का पालन न करने की चेष्टा करते हैं, आशा है सरकार इस का ध्यान रखेगी। मैं इस का स्वागत करता हूं और आशा है सदन बिना विशेष विवाद के इसे पारित कर देगा।

पंडित सी० एन० मालवीय (रायसेन) : जनाब चेयरमैन साहब, यह जो बिल पेश हुआ है उस में तो कोई विरोध की बात नहीं है। लेकिन मुझे ताज्जुब है, मुझे हैरत है और अफसोस भी है कि हम जिस तरीके से इंडस्ट्री और लेबर के रिलेशन्स को बनाना चाहते हैं उसमें हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है कि जिससे हम कम से कम अपने संतोष के लिए यह कह सकें कि इस समस्या का इस वक्त यह एक ऐसा हल है कि जो कुछ दिन के लिए हमने इस चीज़ को अपने ख्याल के मुताबिक लाकर ठहरा दिया है। आप इतने दिनों में कुछ टुकड़ों में दो तीन बातें लाये हैं। एक तो इंडस्ट्रीज़ के रेगूलेशन के लिए आपने एक बिल पास किया है और फैक्टरीज ऐक्ट आपने पास किया है। इसके बाद एक यह डिस्प्यूट्स ऐक्ट

पास किया है जिसमें हम इस वक्त अमेंडमेंट लाये हैं और इसका मतलब यह है कि मालिक और मज़दूरों की जो समस्या आज पैदा होने वाली है और जो ज्यादातर मिलें और कारखाने बन्द होने वाले हैं, उनमें जो मज़दूरों के बहुत से झगड़े पड़ रहे थे उनके लिए आप यह मेज़र लाये हैं। लेकिन इस मेज़र से हम किस चीज़ को सिद्ध कर रहे हैं ? इससे हम यह सिद्ध कर रहे हैं कि आज भी हमने अपने दिमाग से मालिक और मज़दूर के रिश्ते को नहीं हटाया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब यह वह वक्त है जबकि हमारे दिमाग में यह तबदीली होनी चाहिए, यह परिवर्तन होना चाहिए कि हम मालिक और मज़दूर के रिश्ते को खत्म करें और जो हमारे यहां की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे यहां के कारखाने हैं, जो हमारे प्राकृतिक साधन हैं जिनका इस्तैमाल हम अपनी सम्पत्ति बढ़ाने में कर रहे हैं, उनको हम सब की बराबर की मिल्कियत समझें। अगर हमारी ज़हनियत इस तरह से बदल जाती तो आप इस बिल में जिस सिद्धान्त को मान कर बैठे हैं वह सिद्धान्त हरगिज़ नहीं हो सकता था और वह यह कि एक कारखाना चल रहा है, उस कारखाने को कुछ कारखानेदार बन्द करते हैं तो आपने इसी सिद्धान्त को कायम रखा है कि जिस तरह नौकर के साथ रखा जाता है। अगर आपने अपने नौकर से आज खाना नहीं पकवाया है तो आप चाहते हैं कि वह आपका बिस्तर ही कर दे या आप उसको अपने साथ बाज़ार ही ले जायं। इसमें जो आपने बात कही है वह इसी सिद्धान्त की पुष्टि करती है कि आपने कारखाने को बन्द कर दिया और जो मजदूर लोग हैं उनसे आप कहते हैं कि आप रोज़ आकर हाजिरी दीजिये जिस तरह से कोई मुलजिम हो और उससे कहा जाय कि पुलिस स्टेशन पर रोज़ तुमको बतलाना चाहिए कि तुम हाजिर हो या नहीं। उनसे कहा जाता है कि हम तुम को जो काम दें वह करो और अगर नहीं करोगे तो तुम को जो हक हमने दिया है वह हम नहीं देंगे। यह वही मालिक और मज़दूर कीसी बात हुई। आज भी इंसान इंसान का मालिक बन सकता है, हम इस चीज़ को सिद्ध कर रहे हैं। इससे पीछे हम कदम नहीं हटाते हैं।

दूसरी बात जो आपने इसकी पुष्टि में कही है वह यह है कि अगर आप स्लोडाउन या इस किस्म की चीज़ करेंगे तो भी हम कुछ नहीं देंगे। हम आज मज़दूरों के उस इतिहास को पलटना चाहते हैं जिसको मज़दूरों ने अपना खून बहा कर लिखा है। अपनी इस मिल्कियत को, अपने इस हक को उन्होंने अपना खून बहा कर हासिल किया है। जिस वक्त वह मज़बूर हो जाते हैं उस वक्त उनको स्ट्राइक करना पड़ता है।

उस वक्त वह इस क़िस्म की चीज़ को अख्तियार करते हैं। यह ग़लत है कि वह मिलों से या फैक्टरियों से ज़बरदस्ती से कोई अपना हक़ मनवाने के लिये इस क़िस्म का क़दम उठाते हैं। मुझे भी कुछ तजुर्बा है। मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया है। जब वह परेशान हो जाते हैं। जब मज़दूर परेशान हो जाते हैं तो वह बार बार रिप्रेंजेंटेशन करते हैं, दरख्वास्तें देते हैं और जब बिल्कुल मज़बूर हो जाते हैं तब सामूहिक रूप से प्रदर्शन करने का उन को अवसर मिलता है। उस को आप एक तरीक़े से तो अख्तियार देते हैं, दूसरे तरीक़े से उसके अधिकार को हटा लेते हैं, गोया कि वह एक तरह से गुलाम हैं, जिस पर आप मेहरबानी करके उसकी झोली में एक टुकड़ा दान के लिये डालते हैं। मेरे ख्याल में हमारे इस बिल का यह बुनियादी उसूल ग़लत है। इसको बदलना चाहिये। मैं इस के सिलसिले में और ब्यौरेवार जब तरमीमें आवेंगी तब कहूंगा। लेकिन अभी उसूली तौर पर आप से यह कहना चाहता हूं कि इस पर आप को ग़ौर करना है। यह बिल आज हमारे

[प० सी० एन० मालवीय]

सामने आया है, इसे हमें पास करना है, क्योंकि अगर आप इसे पास नहीं करते हैं तो दूसरी उलझनें पैदा होंगी। इसलिये मैं इसका समर्थन तो करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे लेबर मिनिस्टर साहब इस बात की कोशिश करें कि लेबर और इंडस्ट्री के रिश्तों को एक जगह ला कर के ऐसा खड़ा करें जिससे कि हमारी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह सफल हो सके। मेरी हैरत की कोई इन्तहा नहीं रही जबकि एक तरफ़ तो आप इंडस्ट्रियल रैग्यूलेशन एक्ट पास करते हैं और जब हम कहते हैं कि भोपाल के अन्दर एक इंडस्ट्री बन्द पड़ी हुई है, उसको आप नहीं चलाते। सवाल करने पर कि वह मैच फैक्टरी बन्द पड़ी है आप क्यों उसको नहीं चलाते हैं तो जवाब आप देते हैं कि उस के लिये अच्छी मैशीनरी की ज़रूरत है। क्या आपने इसी के लिये इंडस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट को बनाया है, क्या इसी के लिये इस को पास किया है? क्या जब तक अच्छी मैशीनरी नहीं होगी, कोई फैक्टरी गवर्नमेंट नहीं चला सकती? यह बात तो कहीं एक्ट में नहीं कही गयी थी। यह मांग कभी नहीं थी। कहा तो यह गया था कि इंडस्ट्रियल डिसप्यूट ऐक्ट में अगर हम देखेंगे कि मैनेजमेंट में ख़राबी आ गयी है और वह इस को ठीक तरह नहीं चला सकता तो आप उस को ले लेंगे और सरकार की तरफ़ से चलावेंगे। लेकिन आप, मालूम पड़ता है, ऐसा करने से इसलिये डरते हैं कि शायद मिल वालों के संगठन का बल इतना बढ़ा हुआ है कि वह सरकार के ख़िलाफ़ बगावत कर देंगे और झगड़ा करने लग जावेंगे और हमारी हुकूमत नहीं चल सकेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि आप उस का डर न रखिये, आप उस जनता पर विश्वास करिये जिसने कि हम को यहां पर ला कर बिठाया है और आप उस जनता की ज़रूरत के साथ चलिये, जिस में मज़दूर और किसानों की बड़ी भारी तादाद है। ये मुट्ठी भर लोग, जिन के साथ बहुत मेहरबानी का बरताव आप अब तक बरतते आ रहे हैं, कभी भी हम को इस तरह के ख़तरे में नहीं डाल सकते हैं। इसलिये यह जो रैग्यूलेशन एक्ट है, इस को तो आप पास कीजिये इस वक्त इस को तो पास करना है, लेकिन जैसा मैंने कहा दूसरा बिल भी आप बाद में लाइये।

हम को नये इलैक्शन के बाद भी साल डेढ़ साल हो गया। इस से पहले भी कई वर्ष गुज़र गये, लेकिन हम उन तमाम चीज़ों को पूरी तरह से रैग्यूलेट नहीं कर सके। मैं चाहता हूं कि इस क़िस्म का एक बिल ला कर, जिस के अन्दर हमारी इंडस्ट्री के सारे रिश्ते एक ऐसे लैविल पर हों कि जहां मज़दूर और मिल मालिक का रिश्ता ख़त्म हो जाय, उस बिल को पास करें। जो हमारी फैक्टरियां हैं उस में प्राफिट फैक्टर तो रहेगा, लेकिन वह हमारी समान रूप से मिल्कियत होनी चाहिये। इस तरह की भावना उस बिल में होनी चाहिये। अगर हम इस के ख़िलाफ़ कुछ करते हैं तो वह हमारे बुनियादी सिद्धातों के ख़िलाफ़ की चीज़ हो जाती है जो अच्छी नहीं है।

इस के साथ ही, जैसा मेरे एक मित्र ने कहा, लेबर की प्रोडक्टिविटी और कैपिटल इनवैस्टमैंट की भी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन साथ साथ यह भी बात है कि हम जो कुछ पैदा करते हैं, हम जो कुछ अपना प्रोडक्शन करते हैं उस को किस तरह से खपाते हैं, उस की उपयोगिता क्या है? अगर हम कपड़े की गांठें बहुत सी बना लेते हैं, लेकिन वह अगर हमारी दूकानों में पड़ा रहता है और वह स्टाकों में जमा हो कर सड़ता रहता है, तो उस दशा में फिर मज़दूर की क्या हालत होगी; उस फैक्टरी की हालत क्या होगी।

इस बारे में हम क्या कर रहे हैं ? हम ने इस का क्या प्लानिंग किया है ? एक तरफ़ तो हमारी मिलें इतना प्रोडक्शन करेंगी, लेकिन उस की खपत किस तरह से होगी, किस तरह से उस की तिजारत होगी। जो हमारी फैक्टरियां हैं वह अगर अपने प्रोडक्शन को खपा नहीं सकेंगी तो उन की दिवालेपन की हालत हो जायगी। लेकिन इस की शायद कोई पिक्चर हमारे प्लानिंग में नहीं आ रही है। इस लिये मैं आप का ध्यान इस तरफ़ दिलाना चाहता हूं और ज़ोर दे कर कहना चाहता हूं कि इस तरह से टुकड़े टुकड़े में आ कर आरज़ी तौर पर, सिर्फ़ एक ख़तरे को कुछ समय के लिये टाल कर आप कोई लम्बी शान्ति स्थापित नहीं कर सकते। अगर आप को एक सुखी और समृद्धिशाली भारत बनाना है और अगर हमारी पंचवर्षीय योजना को पूरी तरह से सफल बनाना है तो फिर ज़रा और तेज़ी के साथ क़दम उठाने की ज़रूरत है। इस तरह की सुस्त रफ्तार से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिये इस बिल का मैं समर्थन करता हूं लेकिन आप से यह अपील करता हूं कि कम से कम इस बिल को पास कर के आप इस ओर एक व्यापक बिल लावें। आप मज़दूरों के जीते हुए अधिकार को इस तरह मत खत्म कीजिये।

हम यह महसूस करते हैं कि जब यह कहा जाता है कि मजदूर जान कर स्लो प्रोडक्टिविटी की बातें करते हैं तो यह उन के प्रति अविश्वास की ही बात हो जाती है। मेरे ख्याल से यह बात ग़लतफ़हमी से फैलाई गयी है। मैं समझता हूं कि यह स्लो प्रोडक्टिविटी की बात ग़लतफ़हमी की बिना पर और ग़लत अनुभव की बिना पर क़ायम है। मज़दूर ग़लत तरीक़े से कभी इस तरह की बात नहीं कर सकता है। जब कभी भी कुछ होता है तो मज़दूरों को दबाने की कोशिश की जाती है, मज़दूरों को अपने अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जाती है। मिल मालिक ही इस तरह की बात करते हैं, कारखानेदार ही इस प्रकार की बात करते हैं। वे अपने हितों की रक्षा के लिये अनेक प्रकार की बातें सोचते रहते हैं। हमारा यही तजुर्बा शुरू से आखिर तक रहा है। इस बिल के पहले आप ने जो यह आर्डिनेन्स पास किया है, यह खुद ही इस बात की दलील है कि आप को मजबूर होना पड़ा है कि आप जल्दी से इस लैजिस्लेशन को काम में लायें, वरना समस्याएं ज़्यादा बिगड़ सकती हैं।

इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ यह अपील करता हूं कि और भी जल्दी हम ऐसा मज़दूरों का लैजिस्लेशन लावेंगे जिस की वजह से हम यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के और इस तरह के तमाम मामलों को एक ऐसे लेविल पर ला कर रखेंगे कि जिस में मिल मालिक और मज़दूर का इन्सान और इन्सान का रिश्ता रहे। आजकल जो प्रवृत्ति है, उस का खात्मा हो और एक समानता की भावना ओतप्रोत हो। यही कह कर और फिर एक बार अपील कर के मैं बैठता हूं।

श्री केशवैयंगार (बंगलौर उत्तर): इतने भाषणों के बाद मैं अब थोड़ी सी ही बातें कहूंगा। मैं श्री नायर के प्रवर समिति को निर्देश सम्बन्धी प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं पूरे मन से नहीं तो आधे मन से ही इस विधेयक का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से लोग वार्षिक विवाद विधेयक का आमूल पुनरवलोकन चाह रहे थे। विद्यमान विधेयक किसी भी प्रकार पर्याप्त नहीं है और उसे समाप्त करके हमें उसके स्थान पर एक संगठित विधेयक लाना चाहिए। वस्त्र उद्योग का संकट टालने के लिये लागू किया गया वह अध्यादेश, जिस का स्थान अब यह विधेयक ले रहा है, सर्वथा

[श्री केशवैयंगार]

समयोचित था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक मिल में हड़ताल होने जा रही थी, जो इस अध्यादेश के कारण टल गई। इस सदन के सदस्यों के लिये श्रम की असुरक्षा का अन्दाज लगाना कठिन है। मेरे यहां एक मिल के १४ मजदूर दिन भर काम कर के अपने घर गये। चार बजे बिना कारण बताए नोटिस लगा दिया गया कि उसी शाम से उनकी छंटनी कर दी गई है। ऐसी विकट स्थिति है। इसका मजदूरों को छंटनी या अस्थायी रूप में बिठाये रखने (लेआफ) के सम्बन्ध में सामना करना पड़ता है। आशा है, माननीय मंत्री "तालाबन्दी" को समेटने वाला एक संशोधन अवश्य रख देंगे। उन्होंने इस विषय में जो आश्वासन दिया है, उससे मुझे खुशी है।

मैं जानना चाहूंगा कि संगठित विधेयक के लिये देर क्यों हो रही है? क्या वह एक नये संकट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मालिकों को अब यह बता देने का समय आ गया है और इसका बहुत कुछ उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर है कि मालिक वे नहीं हैं, बल्कि देश के नागरिक मालिक हैं और मजदूरों के साझीदारी ही हैं। इस अध्यादेश और इस विधेयक से वे यह समझने लगे हैं कि अस्थायी रूप में बिठा रखने के समय में उनको मजदूरों की मुसीबतों में हिस्सा बंटाना पड़ेगा। उनका यह समझना ठीक नहीं है कि वे जब चाहें तब मजदूरों को रख या निकाल सकते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से संगठित विधेयक में विलम्ब का कारण पूछते हुए इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं, यद्यपि इसमें कई दोष हैं।

सभापति महोदय : पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। अब मैं माननीय मंत्री को बुलाता हूं।

श्री वी० वी० गिरी : सदन के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्यों द्वारा की गई रचनात्मक आलोचनाओं के लिये मैं उनका आभारी हूं। मैं इन सबका ध्यान रखूंगा और कुछ तो मेरे आगामी संशोधनों में ही समेट ली जायेंगी। श्री श्रीकान्तन नायर कहते हैं कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया; सौभाग्य से मेरा नाम गिरि (पहाड़) है और यह लज्जा की ही बात है कि मेरे और सरकार के श्रम से चाहिया ही निकले। पर 'अस्थायी रूप से बिठाये रखने (लेआफ) के विषय पर मैंने बड़े बड़े श्रम नेताओं के साथ श्रम किया था। विगत जुलाई में श्रम स्थायी समिति की बैठक में देश के सभी मजदूर संघों के, सभी मालिक संघों के, सभी राज्य सरकारों के और भारत सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित थे और इस बात पर पूरा पूरा विचार किया गया। समिति में एक ओर मजदूरों के प्रतिनिधियों और दूसरी ओर श्री श्रीराम जैसे बड़े बड़े उद्योगपति और कुछ योरोपी पूंजीपतियों के बीच इस विषय में एक समझौता हुआ था।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं समझता हूं कि सदन निश्चय ही मुझे यह आश्वासन देगा कि मैं मजदूर लोगों को धोखा नहीं दे सकता। श्री डांगे, श्री के० के० देसाई श्री एच० एन० शास्त्री, श्री देब, श्री बासदेव श्री दिन करराव, तथा मृणाल कान्ति बोस, मजदूरों को धोखा नहीं दे सकते। आई० एन० टी० यू० सी०, ए० आई० टी० यू० सी० यू० टी० यू० सी, तथा एच० एम० एस० के प्रतिनिधि नियोजकों के साथ एक कमरे में ज्यूरी के रूप में एकत्रित हुए थे। एक

अवसर पर तो मैंने यह कह दिया था कि जब तक वे समझौता नहीं करते, मैं उन्हें कमरे में बन्द रखूंगा । उन्होंने इस बात को अपनाया और सर्व सम्मित से निर्णय कर लिया । अतः मैं सदन के सब दलों के सदस्यों से कहूंगा कि, देश के समस्त मजदूरों के नेता के रूप में अथवा इस सरकार के श्रम मंत्री के रूप में यह मेरी बनाई हुई योजना नहीं है । यह श्रमिकों के समस्त प्रतिनिधियों का प्रयत्न है, जो विभिन्न दलों से सम्बन्ध रखते हैं, तथा यह भी अनुभव करते हैं कि देश की वर्तमान परिस्थितियों के अधीन इस से अधिक कुछ नहीं हो सकता ।

६ म० प०

मैं बड़ा भाग्यशाली हूंगा कि मुझे खाली दिनों में पूरा पारिश्रमिक मिलेगा । दूसरे दल के व्यक्तियों ने जिन व्यक्तियों का वर्णन किया है, मैं उन्हें दूर करने का प्रयत्न करूंगा । इस बात को सिद्ध करने के लिये कि यह समझौता बड़े सोच विचार के पश्चात् किया गया है, मैं इस समझौते के कुछ खंड पढ़ कर सुनाऊंगा । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमनें नये यथार्थ वादी और क्रियात्मक व्यक्तियों के नाते इस विषय पर विचार करने के पश्चात् समझौता किया है । हम सबने अपने मजदूरों के हितों के लिये संघर्ष किया है, और सदन इस बात को अस्वीकार नहीं करेगा कि इन में से अधिक व्यक्तियों ने अपना जीवन ही मजदूरों के हितों में लगा दिया है । मैं फिर से कहूंगा कि देश की आर्थिक परिस्थिति और अन्य कई कारण ऐसे हैं कि हमें यह समझौता करना पड़ा, जिसके खंडों की इतनी कड़ी आलोचना की जा रही है । समझौते के औचित्य की जांच करना आपके लिये ठीक है मैं आप से सहमत हूं, और चाहे आज श्रम मंत्री के नाते भविष्य में मजदूर नेता अथवा प्रतिनिधि के नाते, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक इस देश के प्रत्येक काम करने वाले के लिये काम करने, रहने तथा सामाजिक सुविधायें प्राप्त न हो जायं, जो उस का जन्म सिद्ध अधिकार है । इस लिये हमें भी सब पहलुओं पर विचार करना है । पंच वर्षीय तथा अन्य योजनाओं का उद्देश्य जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना तथा सरकारी काम में यदि कुछ कमियां हों, उनको दूर करना होता है ।

जहां तक बेकारी और छंटनी का सम्बन्ध है, ऐसा बतलाया गया है कि कि यह विधान नियोजकों की ओर संकेत करता है, जिन्हों ने श्रम के प्रति अपना उतरदायित्व नहीं समझा, जिससे यह वर्तमान असंतोष उत्पन्न हुआ । यदि वे लोग बीस वर्ष पहले अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करते और कर्मकरों को संघटित होने में बाधक न बन कर तथा उनकी सहायता के लिये कुछ करते, तो श्रम विधियों के बिना ही प्रायः सब झगड़ों में समझौता हो जाता, और यह वर्तमान स्थिति न होती ।

मैं सदा ही इस बात पर जोर देता हूं कि व्यापार सम्बन्धी झगड़ों में बाहरी लोगों द्वारा दिये गये निर्णय से आपस में किया गया समझौता अधिक चिरस्थायी होता है ।

मैं निस्संकोच भाव से कहूंगा कि मुझे अपने शब्दों से विपरीत जा कर निर्णयन लोक उपयोगिता तथा गैर लोक-उपयोगिता के क्षेत्रों में न्यायनिर्णयन को जारी रखने में सहमत होना पड़ा, क्योंकि मैं समझता था कि नियोजक ठीक बातों को न समझ कर वर्तमान आर्थिक स्थिति का लाभ उठा रहे हैं । इस लिये मैंने निश्चय किया कि श्रम सम्बन्धी विधेयक की धारा १० को कुछ समय के लिये जारी रखा जाय । अतः

[श्री वी० वी० गिरि]

मैं माननीय सदस्य से कह सकता हूं कि यदि संचित विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया, तो इसका कारण यह है कि मैं संभवताओं को सोचने तथा काम करने वाले और नियोजक लोगों के संघों के मन में क्या है, इन बातों का पता लगाने का प्रयत्न कर रहा हूं, कि हमारे लिये कौन सा मार्ग उपयुक्त रहेगा। हमने प्रश्नावली जारी की, और इसके बाद त्रिदलीय सम्मेलन हुआ, जिस के पश्चात् सात व्यक्तियों की समिति बैठी। इसके पश्चात् श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। अब स्थिति यह है कि मैं दूसरे मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करनेवाले अपने साथियों से परामर्श कर रहा हूं कि देश और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप किस प्रकार संतोष पूर्ण विधेयक बनाया जाय।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि श्रम विधान पर गलत ढंग से विचार किया जाता है। आप चाहे कितने ही पृष्ठों में आने वाला व्यापक श्रमविधान बना लें, परन्तु उसका तब तक कोई विशेष लाभ नहीं जब तक प्रजातंत्र आधार पर मजदूरों के संघ नहीं बनते, वे न्याय पूर्ण ढंग से अपनी मांगों को विधि पूर्वक प्रस्तुत करने, तथा नियोजक लोग उद्योग के प्रमुख हिस्सेदार मजदूर के साथ सद्व्यवहार करने की आवश्यकता को अनुभव नहीं करते। मैं सदा यही कहा करता हूं कि कमकर ही उद्योग के स्थायी और वास्तविक हिस्सेदार होते हैं। कर्मकरों के नेताओं और नियोजकों को मेरे इन दो सिद्धातों को हृदयंगम कर लेना चाहिए। तब, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी विधान पारित किया जायेगा, उसे ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जा सकेगा, अन्यथा निश्चय ही यह गलत ढंग से कार्यान्वित होगा।

हम सब व्यक्ति बेकारी के सम्बन्ध में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि इसमें सफलता तभी हो सकती है, जब मजदूरों के नेता अपने अधिकार और उत्तरदायित्व जानें, और साथ ही नियोजक लोग भी अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों को समझें। जब हमने श्रम कार्य शुरू किया, तो कोई विधान नहीं था। हमारे संगठन की शक्ति, हमारे भागों का औचित्य, और महात्मा-गान्धी के आदेश का पालन करने से, कि हड़ताल अन्तिम उपाय होना चाहिए, जब बाकी सब साधन बेकार हो जायं, हमको सफलता प्राप्त हुई है। यदि हमारा सत्य और अहिंसा के सिद्धान्त पर विश्वास है, तभी हम नियोजकों के सन्मुख ठीक ढंग से अपनी मांगों को रख सकेंगे, और यदि वे उन्हें स्वीकार नहीं करते, तब हम निश्चय ही सीधी कार्यवाही करेंगे। हमने ऐसा किया और विजय पाई। इस बात को ठीक भाव से हृदयंगम कर लेना चाहिए। इतना कहने के पश्चात् मैं १४ बात में कुछ बातें के सम्बन्ध में कहूंगा, जिन पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों तथा मजदूरों और नियोजकों के संघों के प्रतिनिधियों से बनाई गई त्रिदलीय समिति ने सहमति दी है, ताकि आप यह जान सकें कि हम ने आधे दिल से अथवा गम्भीरता विहीन ढंग से ये निर्णय नहीं किये हैं, जिसे हम बहुत पवित्र समझते हैं।

इन बातों के विषय में यह उद्धत करूंगा :

"स्वेछा विहीन बेकारी के लिये मुआवज़ा देने की योजना सरकारी तथा गैरसरकारी दोनों क्षेत्रों में लागू होनी चाहिये।"

डा० लंका सुन्दरम को यही आशंका थी, अब मैं उन्हें आश्वासन दिलाता हूं कि यह सरकारी क्षेत्र में भी लागू होता है।

"पचास प्रतिशत मूल वेतन और मंहगाई भत्ते कर्मकरों को भी मुआबजे के रूप में दिये जायेंगे ।"

क्या आपके कहने का यह आशय है कि हम किसी न किसी ढंग से कर्मकरों को वंचित रखना चाहते हैं ? बेकारी के विषय में विदेशों में प्रशासित इस प्रकार की विधि का पूर्णनिश्चय करने तथा देश और विदेश की परिस्थितियों की गवेषणा करने के पश्चात् हम इस समझौते पर पहुंचे हैं ।

"वर्ष में लाभ की कालाविधि ४५ दिन से अधिक नहीं होगी । यह योजना उन कारखानों पर लागू नहीं की जायेगी जिन में ५० से कम कर्मकर काम करते हैं । कर्मकरों को कम से कम दिन में एक बार उपस्थित होना चाहिए । छुट्टी सम्बन्ध किसी विषय का निर्देश समझौता अथवा न्याय निर्णयन तक नहीं किया जा सकेगा ।

छंटनी के मामले में, वर्तमान विधि लागू होती है । प्रतिकर देते समय इसी का अनुसरण किया जायेगा, और इसके सम्बन्ध में कोई अपील नहीं हो सकेगी । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि कितनी छंटनी होनी चाहिए, यह परिस्थिति पर निर्भर है ।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत से संशोधन आये, और आज मैं ने भी कई संशोधन रखे, जिन पर जब वादविवाद होगा, तो सब बातों का स्पष्टीकरण हो जायेगा । जहां तक बेकारी के प्रश्न का सम्बन्ध है, आप इस बात पर विश्वास कीजिये कि इस मामले पर अच्छी तरह वादविवाद किया गया था, तथा हमने सब बुराइयों अच्छाइयों पर गम्भीरता पूर्ण विचार करने के पश्चात् यह समझौता किया है । और आपको उस समिति में बैठने वाले श्रम के प्रतिनिधियों के सद्भाव पर विश्वास रखना चाहिए, जिन्होंने मजदूरों के लिये अटूट सेवा की है ।

यह कोई बड़ा विधान नहीं है । परन्तु कर्मचारियों के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है । आज यदि किसी कर्मचारी की छटनी कर दी जाती है तो वह दर दर की धूल फांकने लगता है, परन्तु इस विधान से उसे छटनी हो जाने पर अगले ही दिन से भूखों मरने की नौबत नहीं आयेगी । उसे सोचने विचारने का अवसर मिलेगा । यदि उसे दुबारा काम मिल जाता है तो वह भाग्यशाली है, और यदि एक महीने तक भी उसे काम न मिले तो भी वह एक हज़ार रुपये से कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर सकता है । यह एक बहुत ही सामान्य तथा नम्र विधान है और मुझे आशा है कि इस देश के सभी मज़दूर इसका स्वागत करेंगे ।

वस्त्र उद्योग में आया संकट ही इस विधान के प्रस्तुत किये जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है । परन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि अध्यादेश इसी कारण प्रकाशित किया गया था । परन्तु जहां तक काम बन्दी और छटनी का प्रश्न है यह कोई नवीन प्रश्न नहीं हैं । आज से ३० वर्ष पहले भी यह मौजूद था और आज तो है ही । गत ३५ वर्षों का मेरा स्वयं का यही अनुभव है कि यदि मितव्ययता करनी अपेक्षित होती है तो मालिक किन्हीं अन्य उपायों को सोचने के स्थान पर मज़दूरों की छटनी करने लगते हैं । परन्तु इस विधेयक से उनको ऐसा न करने का निर्देश मिलेगा, क्योंकि छटनी की बात को ध्यान में लाते ही उनको मज़दूरों की सेवा काल के प्रतिवर्ष के लिए आधे महीने की मज़री देने की बात को भी सोचना पड़ेगा । इस विधेयक से उनको छटनी न करने का निर्देश मिलता है । यदि हम छटनी के रोग का निराकरण करने का निश्चय कर लें तो छटनी

[श्री वी० वी० गिरि]

कभी होगी ही नहीं। उन व्यक्तियों को सेवा-युक्त करने के दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाये जा सकते हैं, और मुझे विश्वास है कि जो मालिक पहले छटनी के बारे में बहुत ही अनुत्तरदायी रीति से अपनी सम्मति दिया करते थे वह अब ऐसा नहीं करेंगे। यदि मज़दूर अपने अधिकारों तथा दायित्वों को समझें और मालिक भी उनको समझें तो कामबन्दी या छटनी की आवश्यकता ही नहीं रहेगी : मुझे यह कहते प्रसन्नता होती है कि जहां तक काम बन्दी का सम्बन्ध है हम सर्वप्रथम एक त्रिदलीय क़रार करने में सफल हुए हैं। मुझे विश्वास है कि बोनस (लाभांश) तथा ऐसे ही अन्य बड़े प्रश्नों के सम्बन्ध में भी अधिनिर्णय किये जाने की मांग के स्थान पर हम इसी प्रकार तथा इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार अपना काम चला सकते हैं। सभी कुछ मालिकों की सद्इच्छा मज़दूरों की सद्भावना तथा श्रम नेताओं के योग्य तथा उत्तम नेतृत्व पर निर्भर है। पिछली बार जब मैं कलकत्ता गया था तो २०,००० गोदी कर्मचारियों की एक सभा में भाषण देते हुए मैंने उनको बताया था कि मालिक को घेर कर उससे ज़बरदस्ती कुछ लिखवा लेने से कोई लाभ नहीं हो सकता है। इस प्रकार का दुराग्रह उनको नहीं करना चाहिये। अपने संगठन के बलबूते पर अपनी मांगों की सत्यता के आधार पर वह यदि चाहें तो आग्रहपूर्वक कोई भी समझौता कर सकते हैं। यही कार्यप्रणाली हमें अभी सीखनी है।

मैं सदन का और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, संशोधनों के सम्बन्ध में मैं उनके प्रस्तुत किये जाने पर अपने विचार प्रकट करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस विधान को सदन की एकमत स्वीकृति प्राप्त होगी।

मैं विधेयक के प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने वाले प्रस्ताव का विरोध करता हूं, क्योंकि मेरे विचार से वह आवश्यक है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : हमको अभी तक संशोधनों की प्रतिलिपियां प्राप्त नहीं हुई हैं। क्या वे हम लोगों में परिचालित करवाई जायंगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को उनके पढ़ने के लिये काफी समय मिलेगा।

श्री टी० बी० मिठ्ठल राव : किन्तु यदि हम उन संशोधनों में संशोधन रखना चाहें तो.....

उपाध्यक्ष महोदय : इन संशोधनों में यदि किसी माननीय सदस्य को संशोधन करना हो तो वह तैयार होकर आये और सदन में रख दे। वह कल प्रातः ही इसके सम्बन्ध में सूचना दे दे।

(श्री एन० श्रीकान्तन नायर का संशोधन उपाध्यक्ष की अनुमति से वापस ले लिया गया।)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में आगे संशोधन करने के लिये विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक नहीं रख रहा हूं। मैं संकल्प रख रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस संकल्प में अधिक समय लगेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सब मैं सभापति की इच्छा पर छोड़ता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है यदि मैंने माननीय मंत्री को समझने में गलती की है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं, श्रीमान्। जब संशोधन विधेयक पर चर्चा होती है, तो यही एक समय होता है जबकि

कहवा के सम्बन्ध में सभी कुछ बातें उठाई जा सकती हैं। यह मामला केवल निर्यात किये गये कहवे पर निर्यात शुल्क का है, तो मैंने सोचा कि मैं संकल्प रख कर उसे पारित करा सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प रखा जा सकता है।

श्री ए० वी० टामस (बैकुण्ठम) : एक औचित्य प्रश्न है, श्रीमान्। यह संकल्प एक साधारण प्रस्ताव नहीं है। यह बड़ा आवश्यक है तथा हम लोगों में बहुत से लोग इस पर बोलना चाहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को बोलने से रोकता कौन है?

संकल्प रखा जा सकता है। किन्तु औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक उसके बाद लिया जा सकेगा।

श्री गाडगिल : पहले से ही तीन विधेयक विचाराधीन हैं। यह चौथा हो जायेगा।

संकल्प
कहवे पर निर्यात शुल्क के--- सम्बन्ध में।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"भारतीय तटकर अधिनियम, १९३४, (१९३४ का ३२ वां) की धारा ४ क की उपधारा (२) के अनुसार भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की एस० आर० ओ० १९०४, तिथि १० अक्तूबर, १९५३ की अधिसूचना का लोक सभा अनुमोदन करती है, जिसके द्वारा कथित अधिसूचना की तिथि से कहवा पर ६२ रु० ८ आ० ० पाई प्रति हंडरवेट निर्यात शुल्क लगाया गया था।"

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक संशोधनों पर विचार करने के लिये सदस्यों को सूचना नहीं मिल सकी है। सरकार ने भी विभिन्न संशोधन रखे हैं। वे भी विधेयक के अंग बन जाने चाहियें। अतः विरोधी पक्ष वाले उन पर विचार करने तथा संशोधन रखने के लिये समय चाहेंगे। इसी कारण मैंने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से अपना संकल्प रखने के लिये कहा है। यदि संशोधनों पर संशोधन अधिक संख्या में होंगे तो सरकार भी उन पर विचार करेगी। अतः औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक पर परसों तथा इस संकल्प पर कल विचार किया जायगा।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, कहवा के निर्यात की आवश्यकता इस लिये पड़ी कि अधिक मूल्य के कारण कहवे का उपभोग सितम्बर में बहुत कम हो गया था, कहवा मण्डल के पास कहवे का स्टाक १२,७०० टन था जिसमें से सबसे घटिया किस्म का कहवा लगभग ५,००० टन था। सरकार के पास अभ्यावेदन केवल इस कारण किये गए थे कि कहवा के निर्यात के लिये अनुमति केवल इस कारण दी जाय कि संसार के कहवों का मूल्य भारत से कहीं अधिक है।

इन अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप सरकार उससे सहमत हो गई है कि भारत में घटिया किस्म के कहवे की मांग पर्याप्त नहीं है और इस तथ्य को ध्यान में रख कर कि अगली फसल भी दो माह बाद उपलब्ध हो जायगी, सरकार ने प्रारम्भ में २,००० टन इस किस्म की काफी के निर्यात के लिये अनुमति दे दी। बाद को इसमें १,००० टन की वृद्धि और हो गई है।

भारत के रोबस्ता (घटिया किस्म) का कहवा का मूल्य १४६ रु० है। इस १४६ रु० में अन्य शुल्क आदि भी सम्मिलित हैं। वास्तव में उत्पादक को रोबस्ता का मूल्य ११७ रु० प्रति हंडरवेट मिलता है। विदेशों में कुछ स्थानों पर इस प्रकार के कहवे का मूल्य ३६० शिलिंग तथा ४०० शिलिंग प्रति हण्डरवेट है। अतः कई मध्यस्थों के बीच काफी धन राशि को

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

गुजरने से बचाने के लिये सरकार ने आयात किये गए कहवे पर प्रति हण्डरवेट ६२ रु० ८ आ० शुल्क लगा दिया है। एक चीज़ के विषय में सम्भवतः माननीय सदस्य नहीं जानते होंगे कि आयात किये गए कहवे पर उत्पादन शुल्क नहीं लगता है; यहां तक कि इस शुल्क से यह ज्यों का त्यों बना रहे, कहवा मण्डल प्रति हण्डरवेट १६८ रु० ८ आ० से १६९ रु० तक औसतन वसूल कर सका है, जिस पर विचार करने पर ११७ रु० उत्पादक को, ७ रु० ४ आ० कहवा मण्डल के व्यय के लिये तथा १ रु० उपकर देकर भी योग लगभग १२५ रु० ४ आ० होता है, जिसमें मण्डल के लिये तब भी लगभग ४३ रु० की गुंजाइश रह जाती है।

यह तथ्य कि २००० टन तत्काल ही विदेशों द्वारा उठा लिया गया है और शेष १००० टन ज्यों ही दिया जायेगा उठा लिया जायेगा, यह प्रदर्शित करता है कि मध्यस्थ को भी लाक की काफी गुंजाइश रहती है। अर्थात्, श्रीमान् इस शुल्क विशेष की स्थिति यह है कि यदि ३००० टन कहवा निर्यात किया जाता है तो राजकोष को इस शुल्क के आधार पर ३७$\frac{1}{2}$ लाख रुपये का लाभ होगा। जैसा कि मैंने बताया, २००० टन पहले से ही खरीदा जा चुका है तथा राजकोष को लाभ होगा जबकि २५ लाख रुपये का माल जहाज से भेजा गया है तथा शेष १२$^{1}/_{2}$ लाख भी मिल जायगा। इस संकल्प विशेष के सम्बन्ध में कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु यह हो सकता है कि माननीय सदस्य एक ओर सरकार की नीति दूसरी ओर कहवा मण्डल की नीति अथवा दोनों की नीतियों या कहवा उपभोक्तों की नीति पर विचार कर सकते हैं। इन सब बातों पर उस समय विचार किया जाना चाहिये जब संशोधन विधेयक पर चर्चा की जाय अन्यथा इस पर उसी चर्चा की पुनरुचि हो सकती है।

यह इतनी साधारण सी बात है कि इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं। सम्भव है कि कुछ माननीय सदस्य संशोधन रूप में यह कहें कि कर केवल ५० रु० हो या ४५ रु० हो अथवा बिल्कुल ही कर न लगाया जाय। यह ऐसी चीज़ हो सकती है जो मुझे नहीं ज्ञात है किसी अमूल संशोधन की इसमें गुंजाइश नहीं क्योंकि नीति यह है कि उस कहवा पर जिसका निर्यात होता है तथा जो राजकोष में राशि जाती है, वह ६२ रु० ८ आ० है।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प रखा जाता है :

"भारतीय तट कर अधिनियम, १९३४ (१९३४ का ३२ वां) की धारा ४ की उपधारा (२) के अनुसार भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की एस० आर० ओ० १९०४, तिथि १० अक्तूबर, १९५३ की अधिसूचना का लोक सभा अनुमोदन करती है, जिसके द्वारा कथित अधिसूचना की तिथि से कहवा पर ६२ रु० ८ आ० ० पाई प्रति हंडरवेट निर्यात शुल्क लगाया गया था।"

इसके पश्चात सदन मंगलवार, २४ नवम्बर, १९५३ के डेढ़ बज तक के लिये स्थगित हो गया।